Con. 3. IX.26.49
320

अंक 9
संख्या 26

सोमवार
5 सितम्बर
सन् 1949 ई.

सत्यमेव जयते

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

संविधान का मसौदा—*(जारी)*
[पांचवीं अनुसूची: पैरा 1 से 6 पर विचार]
[छठी अनुसूची: पैरा 1 पर विचार] .....[1479–1550]

भारतीय संविधान सभा

सोमवार, 5 सितम्बर, सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान-सभा कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

संविधान का मसौदा–जारी

पांचवीं अनुसूची

***अध्यक्ष:** अब हम पांचवीं अनुसूची को लेते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई : जनरल): मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान:

"कि पांचवीं अनुसूची के स्थान पर यह अनुसूची रखी जाये:—

'FIFTH SCHEDULE

[Articles 215-A(a) and 215-B(1)]

PROVISIONS AS TO THE ADMINISTRATION AND CONTROL OF SCHEDULED AREAS AND SCHEDULED TRIBES

Part I

GENERAL

1. *Interpretation.*—In this Schedule, unless the context otherwise requires, the expression "State" means a State for the time being specified in Part I or Part III of the First Schedule.

2. *Executive power of a State in scheduled areas.*—Subject to the provisions of this Schedule, the executive power of a State extends to the scheduled areas therein.

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

3. *Report by the Governor or Ruler to the Government of India regarding the administration of the scheduled areas*.—The Governor or Ruler of each State having scheduled areas therein shall annually, or whenever so required by the Government of India, make a report to that Government regarding the administration of the scheduled areas in the State and the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to the State as to the administration of the said areas.

Part II

ADMINISTRATION AND CONTROL OF SCHEDULED AREAS AND SCHEDULED TRIBES

4. *Tribes Advisory Council.*—(1) There shall be established in each State having scheduled areas therein and, if the President so directs, also in any State having scheduled tribes but not scheduled areas therein, a Tribes Advisory Council consisting of not more than twenty members of whom as nearly as may be, three-fourth shall be the representatives of the scheduled tribes in the Legislative Assembly of the State:

Provided that if the number of representatives of the scheduled tribes in the Legislative Assembly of the State is less than the number of seats in the Tribes Advisory Council to be filled by such representatives, the remaining seats shall be filled by other members of those tribes.

(2) It shall be the duty of the Tribes Advisory Council to advise on such matters pertaining to the welfare and advancement of the scheduled tribes in the State as may be referred to them by the Governor or Ruler, as the case may be.

(3) The Governor or Ruler may make rules prescribing or regulating as the case may be—

(a) the number of members of the Council, the mode of their appointment and the appointment of its Chairman and of the officers and servants thereof;

(b) the conduct of its meetings and its procedure in general; and

(c) all other incidental matters.

5. *Law applicable to scheduled areas.*—(1) Notwithstanding anything contained in this Constitution the Government or Ruler, as the case may be, may by public notification direct that any particular Act of Parliament or of the Legislature of the State shall not apply to a scheduled area or any part thereof in the State or shall apply to a scheduled area or any part thereof in the State subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification.

(2) The Governor or Ruler, as the case may be, may make regulations for the peace and good government of any area in a State which is for the time being a scheduled area.

In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may—

(a) prohibit or restrict the transfer of land by or among members of the scheduled tribes in any such area;

(b) regulate the allotment of land to members of the scheduled tribes in such areas;

(c) regulate the carrying on of business as money-lender by persons who lend money to members of the scheduled tribes in such areas.

(3) In making any regulation as is referred to in sub-paragraph (2) of this paragraph, the Governor or Ruler may repeal or amend any Act of Parliament or of the Legislature of the State or any existing law which is for the time being applicable to the area in question.

(4) All regulations made under this paragraph shall be submitted forthwith to the President and until assented to by him shall have no effect.

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

(5) No regulation shall be made under this paragraph unless the Governor or the Ruler making the regulation has, in the case where there is a Tribes Advisory Council for the State, consulted such Council.

Part III

SCHEDULED AREAS

6. *Scheduled Areas.*—(1) In this Constituion the expression "scheduled areas" means such areas as the President may by order declare to be scheduled areas.

(2) The President may at any time by order—

(a) direct that the whole or any specified part of a scheduled area shall cease to be a scheduled area or a part of such an area;

(b) alter, but only by way of rectification of boundaries, any scheduled area;

(c) on any alteration of the boundaries of a State or on the admission into the Union or the establishment of a new State, declare any territory not previously included in any State to be, or to form part of a scheduled area, and any such order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper, but save as aforesaid, the order made under sub-paragraph (1) of this paragraph shall not be varied by any subsequent order.

Part IV

AMENDMENT OF THE SCHEDULE

7. *Amendment of the Schedule.*—(1) Parliament may from time to time by law amend by way of addition, variation or repeal any of

the provisions of this Schedule and when the Schedule is so amended any reference to this schedule in this Constitution shall be construed as a reference to such Schedule as so amended.

(2) No such law as is mentioned in sub-paragraph (1) of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this Constitution for purposes of article 304 thereof.'"

[पंचम अनुसूची

[अनुच्छेद 215-क (क) और 215-ख (1)]

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के सम्बन्ध में उपबन्ध।

भाग 1

साधारण

1. **निर्वचनः–** इस अनुसूची में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो 'राज्य' पद से अभिप्रेत प्रथम अनुसूची के भाग 1 और 3 में उल्लिखित राज्य।

2. **अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की कार्यपालिका शक्ति.–** इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा।

3. **अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भारत शासन को राज्यपाल या शासक द्वारा प्रतिवेदन.–**प्रत्येक राज्य का राज्यपाल या शासक जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, प्रतिवर्ष अथवा जब भी भारत शासन इस प्रकार की अपेक्षा करे, उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भारत शासन को प्रतिवेदन करेगा तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में निदेश देने तक विस्तृत होगी।

भाग 2

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

4. **आदिमजाति मंत्रणा-परिषद्.–**(1) प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, तथा, यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित आदिमजातियां हैं, किन्तु, अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् स्थापित की जायेगी जिसके बीस से अधिक सदस्य न होंगे जिनमें कि यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में के अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधि होंगे:

परन्तु यदि उस राज्य की विधान सभा में के अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या आदिमजाति मंत्रणा परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा भर जाने वाले स्थानों की संख्या कम है तो शेष स्थान उन आदिमजातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जायेंगे।

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

(2) आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य में की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बद्ध ऐसे विषयों पर मंत्रणा दे जो उनको यथास्थिति राज्यपाल या शासक द्वारा सौंपे जायें।

(3) राज्यपाल या शासक–

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति की तथा परिषद् के सभापति तथा उसके पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति के,

(ख) उसके अधिवेशन के संचालन तथा उसकी साधारण प्रक्रिया के, तथा

(ग) अन्य सब प्रासंगिक विषयों के यथास्थिति विहित करने या विनियम करने के लिये नियम बना सकेगा।

5. **अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि.**–(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुये भी यथास्थिति राज्यपाल या शासक लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू न होगा अथवा राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में ऐसे अपवादों और रूप भेदों के साथ लागू होगा जैसे कि वह अधिसूचना में उल्लिखित करे।

(2) यथास्थिति राज्यपाल या शासक राज्य में के किसी ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा जो कि तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है।

विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले ऐसे विनियम—

(क) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों द्वारा या में भूमि के हस्तान्तरण का प्रतिषेध या निर्बंधन पर सकेंगे।

(ख) ऐसे क्षेत्रों में की आदिमजातियों के सदस्यों की भूमि बांटने का विनियम कर सकेंगे।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियम कर सकेंगे।

(3) ऐसे किसी विनियम बनाने में जैसा कि इस कंडिका की उपकंडिका (2) में निर्दिष्ट हैं, राज्यपाल या शासक संसद के या उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम को अथवा किसी वर्तमान विधि को जो प्रश्नास्पद क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसित या संशोधित कर सकेगा।

(4) इस कंडिका के अधीन बनाये गये सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपति को प्रेषित किये जायेंगे और जब तक वह उनको अनुमति न दे दे तब तक उनका कोई प्रभाव न होगा।

(5) इस कंडिका के अधीन कोई विनियम तब तक न बनाया जा सकेगा जब तक कि विनियम बनाने वाले राज्यपाल या शासक ने, उस राज्य के लिये आदिमजाति मंत्रणा परिषद् होने की अवस्था में ऐसी परिषद् से परामर्श न कर लिया हो।

भाग 3

अनुसूचित क्षेत्र

6. **अनुसूचित क्षेत्र.**–(1) इस संविधान में 'अनुसूचित क्षेत्रों' पदावली से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी समय भी आदेश द्वारा–

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों का भाग न रहेगा।

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र को बदल सकेगा, किन्तु केवल सीमाओं का शोधन करके ही बदल सकेगा।

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर अथवा संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर अथवा नये राज्य की प्रस्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा जो पहले से किसी राज्य में समाविष्ट नहीं है तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध हो सकेंगे जैसे कि राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु उपर्युक्त रीति से अन्यथा इस कंडिका की उपकंडिका (1) के अधीन निकाला गया आदेश किसी अनुगामी आदेश से परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

भाग 4

अनुसूची का संशोधन

7. **अनसूची का संशोधन**–(1) संसद समय-समय पर विधि द्वारा, जोड़ फेर फार या निरसन करके, इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन कर सकेगी तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित हो जाये तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निदेश का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह निदेश इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति है।

(2) ऐसी कोई विधि जो इस कंडिका की उपकंडिका (1) में वर्णित है, इस संविधान के अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।]

इस संशोधित अनुसूची के द्वारा जो सभा के समक्ष रखी गई है मूल अनुसूची 5 में क्या मुख्य परिवर्तन किये जा रहे हैं। उसे मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके द्वारा किया जा रहा है पैरा 4 में जिसमें जनजाति

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

मंत्रणा परिषद् की स्थापना का प्रावधान किया गया है। मूल पैरा के अनुसार हर राज्य के लिये जहां अनुसूचित प्रदेश या अनुसूचित जातियां हैं, यह आवश्यक था कि वहां कि जनजाति मंत्रणा परिषद् हो ही। पर अब सोचा यह गया कि ऐसे राज्य के लिये जहां अनुसूचित जाति के कुछ लोग बसते तो हों पर वहां अनुसूचित प्रदेश न हों, संविधान में मंत्रणा परिषद् का प्रावधान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोचा यह गया कि अगर वहां के अनुसूचित जाति के लोगों के प्रयोजना के लिये जो वहां यत्र-तत्र बिखरे हुये बस गये हैं मंत्रणा परिषद् का निर्माण करना जरूरी ही हुआ तो इसको राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाये और वह इसकी आवश्यकतानुसार व्यवस्था करेंगे। इसलिये यहां "यदि ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित आदिमजातियां हैं किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् स्थापित की जायेगी" शब्द रखे गये हैं। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् की स्थापना करना अनिवार्य होगा। पर उन राज्यों में जहां आदिमजाति के लोग बसते हैं पर कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं मंत्रणा-परिषद् की स्थापना का प्रश्न राष्ट्रपति के हाथ में छोड़ा गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है पैरा 5 में। संसद एवं स्थानीय विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रयोगतत्व करने के बारे में इस पैरा में प्रावधान किया गया है। मूल मसौदे के पैरा 5 में यह कहा गया था कि अगर आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् यह निदेश दे कि संसद या स्थानीय विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियां अनुसूचित क्षेत्रों में भी संशोधित रूप में लागू की जायें तो राज्यपाल को मंत्रणा-परिषद् के ऐसे निदेश को पूरा करना ही होगा। अब सोचा यह गया है कि संसद या स्थानीय विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाये या नहीं इस प्रश्न को राज्यपाल के हाथ में छोड़ना ही ज्यादा अच्छा होगा और उसको इस संबंध में निर्णय करने की पूरी स्वतन्त्रता रहनी चाहिये। वह स्वविवेक से जैसा ठीक समझे करे। मूल मसौदे में यह बात नहीं थी। मूल मसौदे के अनुसार राज्यपाल को मंत्रणा-परिषद् के निदेश पर चलना लाज़िमी था।

दूसरा महत्व का परिवर्तन किया गया है पैरा 6 में। मूल मसौदे में एक तालिका में यह निश्चित कर दिया था कि अमुक-अमुक प्रान्त के अमुक-अमुक क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र समझे जायेंगे। पर अभी इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि भाग 3 के राज्यों के कौन-कौन क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र समझे जायेंगे। इसलिये अब मूल मसौदे में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। महसूस यह किया गया कि प्रस्तुत संशोधन से वह कठिनाई भी दूर हो जायेगी जिसका कि मैंने अभी उल्लेख किया है और प्रावधान भी लचीला बन जायेगा। इसलिये इसको राष्ट्रपति का छोड़ना ही अच्छा है।

दूसरा महत्व का परिवर्तन जिसकी ओर सभा का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा वह किया गया है पैदा 7 में जो अब इस अनुसूची के भाग 4 का अंग है। इसी परिवर्तन के द्वारा अनुसूची 5 में संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। मूल मसौदे में इस अनुसूची में संशोधन करने के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। अब यह कर दिया गया है कि संसद इसमें चाहे तो संशोधन कर सकती

है और मेरी समझ से यह वांछनीय भी है कि इस अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त रहना चाहिए। राज्य के भीतर एक और राज्य की सृष्टि करने में कोई लाभ नहीं है और फिर यह भी वांछनीय नहीं है कि इस तरह का विशेष प्रावधान संविधान में रखा जाये जिसके अधीन कुछ आदिमजाति के लोगों पर संसद या स्थानीय विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियां लागू न की जायें। यहां पैरा 5 के उप पैरा 2 में जो यह प्रावधान रखा गया है कि राज्यपाल को यहां (क), (ख) और (ग) में वर्णित विषयों के बारे में ऐसे विनियमन बनाने का अधिकार होगा जिनको इन विषयों के बारे में संसद या स्थानीय विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राधान्य प्राप्त रहेगा वह ऐसा नहीं चाहिये कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। संसद को यह अधिकार रहना चाहिये कि समय तथा स्थिति के अनुसार वह उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सके। इस लिये यहां संशोधित अनुसूची के भाग 4 के पैरा 7 में यह कहा गया है कि संसद इसमें ऐसे संशोधन कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे और इन संशोधनों को संविधान का संशोधन न माना जायेगा बल्कि साधारण विधि प्रक्रिया द्वारा ही ये संशोधन किये जायेंगे।

मैं यह बता दूं कि मसौदा-समिति ने प्रान्तों के प्रतिनिधियों से जिनका कि इस मामले में भावी अनुसूचित क्षेत्रों और आदिमजातियों से सम्बन्ध है अच्छी तरह विचार-विमर्श करके ही यह संशोधन यहां रखा है। माननीय मित्र श्री ठक्कर की राय को भी हमने ध्यान में रखा है जो इस मामले की यथेष्ट जानकारी रखते हैं। मैं यह निर्विरोध कह सकता हूं कि इस नवीन अनुसूची को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो चुका है जिनका कि इस मसले से संबंध है। आशा है कि पुरानी अनुसूची 5 के स्थान पर इस नई अनुसूची को रखने में सभा को कठिनाई न होगी।

***अध्यक्ष:** मूल अनुसूची पर और इस नई अनुसूची पर भी कितने ही संशोधन आये हैं। पुरानी अनुसूची पर जो संशोधन आये हैं उन पर यहां विचार करने में मेरी समझ से कोई लाभ नहीं है क्योंकि पुरानी अनुसूची को रखने का यहां कोई प्रस्ताव ही नहीं पेश किया गया है। इसलिये हम उन्हीं संशोधनों को अब लेंगे जो डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित नई अनुसूची के संबंध में आये हैं। उन पर एक-एक करके अब विचार किया जायेगा।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): मैं यह सुझाव दूंगा कि डॉ. अम्बेडकर की इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस नई अनुसूची पर सभी वर्ग सहमत हैं, हमें यहां केवल उन्हीं संशोधनों पर विचार करना चाहिये जिनमें किसी मुख्य बात में परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है।

***अध्यक्ष:** हम ज्यों-ज्यों संशोधनों को लेते जायेंगे यह देख लेंगे कि किन में खास परिवर्तन का सुझाव दिया गया है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन नं. 154 को यहां रखना चाहता हूं पर उसका पहला हिस्सा निकाल कर। इसमें कोई खास परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। केवल मसौदे की रचना में परिवर्तन करने की बात कही गई है। यदि अनुमति हो तो इसे पेश करूं।

***अध्यक्ष:** हां, आप इसे पेश कर सकते हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान्:

"कि संशोधन सूची 1 (सातवें सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 2 के स्थान पर यह रखा जाये:

'2. The executive power of a State shall extend to the Scheduled Areas within the State subject to the provisions of this Schedule.' "

[2. इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा।]

इस संबंध में मेरा जो दूसरा संशोधन है मैं उसे भी पेश किये देता हूं। यहां भी पहले हिस्से को मैं निकाल देता हूं। मेरा प्रस्ताव यह है:

"कि संशोधन सूची 1 (सातवें सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 2 में:

(क) 'extends' शब्द की जगह 'shall extend' शब्द रखे जायें।

(ख) 'therein' शब्द के स्थान पर 'within the State' शब्द रखे जायें।"

मैं यह कहूंगा कि इन संशोधनों का सम्बन्ध केवल मसौदे की रचना से है और जो परिवर्तन यहां मैंने सुझाये हैं उनकी ओर मैं मसौदा-समिति का ध्यान आकृष्ट करूंगा। पैरा 2 में "shall extend" शब्दों को रखना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मूल संशोधन के पैरा 3 में इसी रूप में यह बात कही गई है। वहां यही कहा गया है कि "the executive power of the Union shall extend" यहां पैरा 2 में यह शब्द रखे गये हैं "the executive power of a State extends"। बजाय "extend" शब्द रखने के "shall extend" शब्द यहां होने चाहियें।

(संशोधन नं. 156 और 157 पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन केवल मसौदे की रचना के संबंध में हैं और वह स्वयं मसौदा-समिति की मर्जी पर इन्हें छोड़ना चाहते हैं। इसलिये मैं नहीं समझता कि इन पर मत लेना आवश्यक है। इन पर मसौदा-समिति विचार कर लेगी। अब हम पैरा 3 पर आते हैं।

(संशोधन नं. 158, 159 और 160 पेश नहीं किये गये।)

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं यह सुझाव देना चाहता हूं श्रीमान, कि पैरों पर हम एक-एक करके विचार करते जायें और उसे पास करते जायें।

***अध्यक्ष:** हां ऐसा ही किया जायेगा। पैरा 1 पहले लिया जाता है।

***श्री ए.वी. ठक्कर** (सौराष्ट्र): समूची अनुसूची के बारे में मैं आमतौर पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। कब मुझे इसका मौका दिया जायेगा?

***अध्यक्ष:** आये हुये संशोधनों में से किसी एक पर विचार करते समय मैं आपको बोलने का मौका दे दूंगा। उस समय आप संशोधन और अनुसूची सभी के बारे में अपनी राय जाहिर कर दीजियेगा।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): उन्हें अभी अपनी राय जाहिर करने का मौका दे दिया जाये श्रीमान्! उसके बाद इस पर विचार करें।

***अध्यक्ष:** इसमें दो घंटे का समय लग जायेगा और फिर उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति करनी होगी। मैं सभा का इतना समय नहीं लेना चाहता।

***श्री अमिय कुमार घोष** (बिहार: जनरल): मैं यह सुझाव दूंगा, श्रीमान, कि पहले सभी संशोधन पेश कर दिये जायें। उसके बाद आम बहस की जाये और फिर संशोधनों पर एक-एक करके मत ले लिया जाये।

***अध्यक्ष:** संशोधनों पर एक-एक करके यहां विचार किया जायेगा। प्रस्ताव यह है:

"कि पांचवीं अनुसूची का पैरा 1 अनुसूची का अंग समझा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पैरा 1 पांचवीं *अनुसूची में* शामिल किया गया।

पैरा 2

***अध्यक्ष:** पैरा 2 पर जो संशोधन श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने पेश किया है उस पर मैं राय नहीं लूंगा क्योंकि वह मसौदा की रचना के बारे में है। अब प्रस्ताव यह है:

"कि पांचवीं अनुसूची का पैरा 2 अनुसूची का अंग समझा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पैरा 2 पांचवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

पैरा 3

***अध्यक्ष:** संशोधन नं. 161 का भी केवल मसौदे की रचना से सम्बन्ध है।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं यह जानना चाहता हूं, श्रीमान्, कि आप क्या प्रणाली यहां अपनाने जा रहे हैं। सदस्यों को इन प्रावधानों पर आमतौर पर बहस करने की आप अनुमति दे रहे हैं या नहीं?

***अध्यक्ष:** इसकी अनुमति मैं दूंगा।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** अगर हर पैरा पर अलग-अलग विचार करके उनको स्वीकार किया जायेगा तो इस सूरत में भी क्या आम बहस का मौका मिल पायेगा?

***अध्यक्ष:** अगर ऐसा कोई संशोधन आ जाता है जिस पर आम बहस चल पड़ती है तो उस सिलसिले में समूची अनुसूची पर आम बहस करने का मौका मैं दूंगा।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** अब तक तो आप यह प्रणाली बरतते आ रहे थे कि सभी संशोधनों के पेश कर दिये जाने के बाद अनुच्छेद पर आम बहस का मौका देते थे क्या अब इस प्रणाली को छोड़ देंगे?

***अध्यक्ष:** आम बहस को तो मैं नहीं रोक रहा हूं। यदि किसी अनुच्छेद पर कोई संशोधन ही नहीं है तो उस पर बोलने की क्या जरूरत है? हां यदि कोई सदस्य किसी अनुच्छेद पर कुछ कहना चाहते हों तो उनको बोलने का मौका जरूर दिया जायेगा।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास : जनरल): यदि अनुमति हो तो एक सुझाव रखूं श्रीमान्। अच्छा यह होगा कि आप बहस के लिये किसी एक पैरा को ले लें। मेरा सुझाव यह है कि इसके लिये पैरा 4 को हम लें। उस पर कई संशोधन भी आये हैं। वस्तुत: सारी अनुसूची का दारोमदार इसी पैरा पर है। आप इसी पर सभा को आम बहस का मौका दें।

***अध्यक्ष:** आम बहस शुरू की जायेगी पैरा 4 और 5 पर विचार करते समय।

***बाबू रामनारायण सिंह** (बिहार : जनरल): अगर किसी पैरा पर कोई संशोधन न भी आया हो तो हो सकता है कि उस पर कुछ कहना जरूरी हो।

***अध्यक्ष:** वैसी सूरत में बोलने से किसी को रोका नहीं जायेगा। किसी पैरा पर कोई सदस्य अगर कुछ बोलना चाहेगा उसे उसकी अनुमति मिलेगी।

***बाबू रामनारायण सिंह:** समूची अनुसूची के बारे में भी बोलने की अनुमति सदस्य को मिलनी चाहिये।

***अध्यक्ष:** हां, पैरा 4 पर विचार करते समय इसकी भी अनुमति दी जायेगी।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** मेरा सुझाव यह है श्रीमान, कि पहले सारे संशोधन पेश हो जायें और तब अनुसूची पर आम बहस शुरू की जाये।

***अध्यक्ष:** मैं हर पैरा पर पुकार कर दूंगा और अगर कोई सदस्य बोलना चाहता तो तो वह बोल सकता है।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** यदि अनुमति हो श्रीमान, तो एक सुझाव मैं रखूं। जैसाकि प्रो. शिब्बन लाल ने अभी सुझाया है, अगर आप की अनुमति हो तो पहले सारे

संशोधन पेश कर दिये जायें। उस हालत में भी हर पैरा पर अलग-अलग मत लेने का अधिकार तो आपको रहेगा ही। इस व्यवस्था से यह होगा कि जो सदस्य अनुसूची पर आम तौर से कुछ कहना चाहते हैं उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिल जायेगा और इस व्यवस्था में अतिरिक्त समय भी नहीं लगेगा।

***अध्यक्ष:** क्या आपका यह कहना है कि पहले सभी संशोधन पेश हो जायें और तब हर पैरा पर अलग मत लिया जाये?

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** हां, मेरा यही कहना है।

***अध्यक्ष:** अच्छी बात है। मैं ऐसा कर सकता हूं।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** हर पैरा पर अलग-अलग मत लेने के पहले मेरा ख्याल है कि जो भी सदस्य आम तौर पर अनुसूची पर कुछ कहना चाहते होंगे उन्हें इसका मौका दिया जायेगा।

***अध्यक्ष:** मैं इसका मौका दूंगा। पैरा 2 पर मत लिया जा रहा है। अब हम लेंगे पैरा 3 को।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** इससे तो बड़ी पेचीदगी पैदा हो जायेगी और सभा गुंजलक में पड़ जायेगी। इससे कहीं अच्छा यह होगा कि आम बहस का पहले मौका दे दिया जाये। जिसके लिये समय की एक उचित अवधि निर्धारित कर दी जाये। इसके बाद क्रमश: हर पैरा के संशोधनों पर मत लिया जाये। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संशोधनों को लेकर बड़ी गुंजलक पैदा हो जायेगी।

***अध्यक्ष:** क्या मैं यह जान सकता हूं कि कितने सदस्य आम बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं?

(करीब 12 सदस्य खड़े हुए)

***अध्यक्ष:** इसमें तो कम से कम तीन घंटे लगेंगे। 12 सदस्य बोलना चाहते हैं तो इसमें इतना समय तो लग ही जायेगा। मैं समय की बचत करना चाहता था। पर अगर सदस्य लोग यह नहीं चाहते हैं कि दशहरा के पहले द्वितीय पठन समाप्त हो तो मुझे इसी तरह चलना होगा। इस तरह तो दशहरा से पहले शायद हम द्वितीय पठन न समाप्त कर पायेंगे। सभा का सारा प्रोग्राम ही उलट-पलट जायेगा।

मेरा ख्याल है कि अच्छा यह होगा कि पहले सभी संशोधनों को पेश करने की अनुमति दे दी जाये और फिर आम बहस शुरू की जाये।

***माननीय श्री विनोद बिहारी झा** (बिहार : जनरल): यह व्यवस्था हमारे लिये अधिक अभिनन्दनीय होगी।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं श्रीमान्:

"कि संशोधन सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 में 'the executive power of the Union shall extend to the giving of directions' (संघ की कार्य पालिका शक्ति.... निदेश देने तक विस्तृत होगी) शब्दों के स्थान पर 'the Union Government may give directions' (संघ-शासन निदेश दे सकता है) शब्द रखे जायें।"

प्रस्तुत प्रसंग में यह पदसंहति जो उक्त संशोधन में प्रयुक्त की गई वह सीधी नहीं है। मेरे संशोधन को स्वीकार करने से यहां शब्द भी कम रखने पड़ेंगे।

मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है:

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा (1) में, 'there shall be established' (स्थापित की जायेगी) शब्दों के स्थान पर 'The Governor or the Ruler, as the case may be, shall establish' (यथास्थिति राज्यपाल या शासक स्थापित करेगा) शब्द रखे जायें।"

मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान्:

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा (1) में 'twenty members' (बीस सदस्य) शब्दों की जगह (क) 'twenty members appointed by him' (उसके द्वारा नियुक्त बीस सदस्य) शब्द रखे जायें।"

अंश (ख) को मैं नहीं पेश कर रहा हूं।

उसके बाद मैं यह भी प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान्:

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा (2) में, 'advise on such matters' (ऐसे विषयों पर मंत्रणा दे) शब्दों की जगह 'advise the Governor or Ruler on such matter' (राज्यपाल या शासक को ऐसे विषयों पर मंत्रणा देगा) शब्द रखे जायें।"

फिर उसके बाद मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान्:

"कि संशोधन सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा (2) में, 'by the Governor or Ruler, as the case may be' (यथास्थिति राज्यपाल या शासक द्वारा)

शब्दों की जगह 'by him' (उसके द्वारा) शब्द रखे जायें।"

पैरा 4 के संबंध में मेरे संशोधन बस इतने ही हैं। इस पैरा के संबंध में चन्द बातों की ओर सभा का और खास करके मसौदा-समिति का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। यह पैरा शुरू होता है इस रूप में:

"There shall be established in each state having scheduled areas therein and..... a Tribes Advisory Council." बजाय इसके कि हम यहां 'there shall be established..... इत्यादि' रखें हमें इसे इस रूप में रखना चाहिये 'the Governor or Ruler shall establish..... इत्यादि' इस रूप में रखने से यह होगा कि हमारा मन्तव्य स्पष्ट हो जायेगा और सन्देह की कोई गुंजाइश न रह जायेगी। मेरा दूसरा सुझाव यहां यह है कि 'twenty members' की जगह 'twenty members appointed by him' शब्द रखे जायें। अच्छा यही होगा कि हम इस पैरा को इसी रूप में रखें कि 'राज्यपाल या शासक..... स्थापित करेगा।' मेरा दूसरा संशोधन है पैरा 4 के उप-पैरा (2) के बारे में। इस उप-पैरा में जहां यह कहा गया है 'the Tribes Advisory Council to advise' (आदिमजाति मंत्रणा परिषद् राय देगी) वहां होना यह चाहिये कि 'the Tribes Advisory Council to advise the Governor or Ruler' (आदिमजाति मंत्रणा परिषद् राज्यपाल या शासक को राय देगा)। इस रूप में रखने से यह उप-पैरा पूर्णार्थक बन जायेगा। फिर इसी उप-पैरा में यहां यह कहा गया है 'by the Governor or Ruler, as the case may be' (यथास्थिति राज्यपाल या शासक द्वारा), मेरा संशोधन यह है कि इसके स्थान पर केवल 'by him' आना चाहिये। मेरे पूर्ववर्ती संशोधन को देखते हुए यहां केवल 'by him' शब्द ही रहने चाहियें। एक सुझाव मैं पैरा 4 के उप-पैरा 3 (क) के बारे में भी दे देना चाहता हूं। वहां 'members of the Council' यह पदसंहति प्रयुक्त की गई है। अनुसूची में हर जगह जहां मंत्रणा-परिषद् का जिक्र आया है वहां उसका पूरा नाम यानी 'Tribes Advisory Council' ही रखा गया है और केवल 'Council' का प्रयोग उसके लिये कहीं नहीं किया गया है। इसलिये मसौदे की एकरूपता के ख्याल से यहां भी परिषद् का पूरा नाम 'Tribes Advisory Council' ही रखना चाहिये।

संशोधन नं. 162 के सम्बन्ध में मैं मसौदा से अनुरोध करूंगा कि वह खुद उस पर विचार कर ले या डॉ. अम्बेडकर के उत्तर द्वारा इसका समाधान कर दे। अगर आप ठीक समझें श्रीमान्, तो उसे मसौदा-समिति पर ही छोड़ दिया जाये।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार : जनरल): पैरा 4 के संबंध में आमतौर पर मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं। यदि मुझे इसका मौका दे दिया जाये तो मैं अपना संशोधन पेश नहीं करूंगा।

***अध्यक्ष:** आपको मौका मिलेगा।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं श्रीमान्:

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा 3 में 'Governor or Ruler' शब्दों के आगे 'as the case may' शब्द जोड़ दिये जायें।"

मेरा दूसरा संशोधन यह है श्रीमान्:

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा 3 (क) में 'Council' शब्द के स्थान पर 'Tribes Advisory Council' शब्द रख दिये जायें।"

मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है श्रीमान्:

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा 3 (ख) में 'its procedure' (उसकी प्रक्रिया) शब्दों की जगह 'the procedure to be followed' (बरती जाने वाली प्रक्रिया) शब्द रखे जायें।"

अन्तिम संशोधन नं. 170 के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा श्रीमान्, कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित मूल पैरा में संशोधन करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि मैंने जो सुझाव दिया है उसे यहां रखना इस प्रसंग में अधिक उपयुक्त होगा।

इसके बाद मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान्:

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) में, 'any particular Act of Parliament or of the Legislature of the State' (संसद का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम) शब्दों के स्थान पर 'any particular existing law or any law that may be passed by the Parliament or by the Legislature of the State' (कोई विशेष वर्तमान विधि या संसद अथवा उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पास की हुई कोई विधि) शब्द रखे जायें।"

मेरा यह अन्तिम संशोधन मेरे अन्य संशोधनों से अधिक महत्वपूर्ण है।

***प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना:** पैरा 4 पर मेरा एक संशोधन है श्रीमान्।

***अध्यक्ष:** उन सबको मैं बाद में लूंगा।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** संशोधन नं. 172 के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है पैरा 5 के उप-पैरा (1) में यह कहा गया है कि "राज्यपाल या राजप्रमुख लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान-मण्डल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू न होगा... इत्यादि' इस संशोधन नं 20 को मैं मसौदा-समिति पर ही छोड़ता हूं और उससे अनुरोध करूंगा कि वह स्वयं इस पर विचार करे।

उसके बाद मेरा दूसरा संशोधन यह है श्रीमान्, जिसे मैं उपस्थित करता हूं:—

"संशोधन-सूची 1 (सातवाँ सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 में:—

(क) उप-पैरा (2) में 'may make' शब्दों की जगह 'may after previous consultation with the Tribes Advisory Council' (आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् से परामर्श लेकर..... बना सकेगा) शब्द रखे जायें।

(ख) उप-पैरा (5) निकाल दिया जाये।"

मेरे संशोधन के फलस्वरूप पैरा 5 की जो इबारत बनती है उसे देखते हुए इस उप-पैरा को रखना अनावश्यक है।

तत्पश्चात् मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं श्रीमान्:—

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (2) में, 'any area in a State which is for the time being a scheduled area' (राज्य में के किसी क्षेत्र की..... जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है) शब्दों के स्थान पर 'any scheduled area' (किसी अनुसूचित क्षेत्र की) शब्द रखे जायें।"

'अनुसूचित क्षेत्र' पद संहति की परिभाषा हमने दे रखी है इसलिये यहां अनुसूचित क्षेत्र रखना ही पर्याप्त है।

उसके बाद मैं अब यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान्:—

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (2) में, 'In particular and without prejudice etc.' (विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले) आदि शब्दों से जो वाक्य प्रारम्भ किया गया है उसे उप-पैरा (3) बना दिया जाये और बाद के उप-पैरों को तदनुसार संख्याबद्ध करके दिखाया जाये।"

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

मूल संशोधन को कुछ इस तरह भाषाबद्ध किया गया है कि वह बड़ा जटिल सा बन गया है। इसे और सरल रूप में रखने के विचार से मैंने यह संशोधन रखा है। सोचने की मूल बात यहां यह है कि पैरा 5 के उप-पैरा (2) का जो उपरोक्त अंश है वह स्वत: एक स्वतंत्र उप-पैरा है। मैं चाहता यह हूं कि इस अंश को एक स्वतंत्र उप-पैरा के रूप में रखा जाये न कि इसे उप-पैरा (2) के अंग के रूप में रखा जाये। यह एक स्वतंत्र उप-पैरा है और इसे स्वतंत्र उप-पैरा के रूप में यहां रखना चाहिये। बाद के उप-पैरों को तद्नुसार पुन: संख्या-बद्ध करके रखना चाहिये। दूसरे सभी स्थलों पर इस तरह के अंश को एक स्वतंत्र उपखण्ड के रूप में ही रखा गया है अत: कोई कारण नहीं है कि इसे एक स्वतंत्र उप-पैरा के रूप में यहां क्यों न रखा जाये।

दूसरा प्रस्ताव मैं यह रखता हूं श्रीमान्:—

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा के उप-पैरा (2) (ग) में 'carrying of business as money, lender by persons who lend money' (ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करना) शब्दों के स्थान पर केवल 'business of money lending' (धन उधार देने का कारबार) शब्द रखने चाहियें।"

मूल संशोधन में जो पदसंहति प्रयुक्त की गई है वह बड़ी जटिल है। आखिर धन उधार देने का कारबार वही करेगा जो साहूकार या महाजन होगा। फिर सीधी सी बात को इस रूप में कि "ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करना" रखने की क्या जरूरत है? इतने अधिक शब्दों को न रखकर केवल 'धन उधार देने का कारबार' कहना ही यहां पर्याप्त है।

अब मैं अपना संशोधन नं. 178 पेश करता हूं। मैं यह निवेदन कर दूं कि इसके द्वारा मूल संशोधन में मैंने यत्र तत्र अल्प शाब्दिक परिवर्तन ही किया है जिसकी सूचना में कार्यालय को दे दूंगा। ये परिवर्तन साधारण तरह के हैं न कि महत्वपूर्ण। अस्तु मैं यह संशोधन प्रस्तावित करता हूं श्रीमान्:—

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (3) के स्थान पर यह नया उप-पैरा रखा जाये।"

'(3) The Governor or Ruler, by regulation made under sub-paragraph (2) of this paragraph, may, notwithstanding anything contained in any other part of this Constitution, direct that any existing law or any law that may be passed by the Parliament of by the Legislature of the State shall not apply with or shall

apply such modifications and changes, to any scheduled area or part thereof.' "

[(3) इस संविधान के अन्य किसी भाग में अन्यथा किसी बात के होते हुये भी, इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन निर्मित किसी विनियम के द्वारा राज्यपाल या शासक यह निदेश दे सकता है कि कोई वर्तमान विधि या संसद अथवा उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा स्वीकृत कोई विधि, किसी अनुसूचित क्षेत्र पर या उसके किसी भाग पर अमुक संशोधन या परिवर्तन के साथ लागू होगी।]

मेरा ख्याल है कि मुझे यह बात यहां बता देनी चाहिये कि आखिर किस कारण से मैंने यह संशोधन रखा है। पैरा 5 के उप-पैरा (3) में यह कहा गया है "ऐसे किसी विनियमन को बनाने में जैसी कि इस पैरा के उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल या शासक संसद के या उस राज्य के विधान-मण्डल के अधिनियम को अथवा किसी वर्तमान विधि को जो प्रश्नास्पद क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसित या संशोधित कर सकेगा।"

मेरे संशोधन का मूल अभिप्राय यह है कि "संसद के राज्य के विधान-मण्डल के किसी अधिनिमय को निरसित या संशोधित कर सकेगा" ये शब्द यहां न रखे जायें। इन शब्दों का प्रयोग यहां हमें बचाना चाहिये। इस उप-पैरा का मतलब यह नहीं है। कि राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त रहे कि वह संसद के या राज्य के विधान-मण्डल के किसी अधिनियम को वह निरसित या संशोधित कर दे। इसके द्वारा राज्यपाल को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह विधियों में ऐसा परिवर्तन या अनुकूलन कर सकता है जिससे वह कबायली इलाकों पर लागू हो सके। इसलिये मेरा कहना यह है कि हमें यहां यह न रखना चाहिये कि वह संसद के या राज्य के अधिनियम को "निरसित या संशोधित कर सकेगा"। सच तो यह है कि वह किसी अधिनियम को निरसित या संशोधित नहीं करता है। वह ऐसा कर नहीं सकता है। 'अधिनियम को निरसित करना' इसका एक खास अर्थ होता है। किसी राज्य का राज्यपाल किसी अधिनियम को नहीं निरसित करता है। उसे अधिकार इतना ही है कि वह संसद के किसी अधिनियम या विधि को अनुसूचित क्षेत्र पर लागू न होने दे या विधि में ऐसा संशोधन या परिवर्तन करे कि वह अनुसूचित क्षेत्र पर संशोधित रूप में लागू हो सके। मेरा ख्याल यह है कि अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का अधिकार उसे नहीं दिया जा सकता है। वह अधिनियम में संशोधन कर सकता है या यह कह सकता है कि वह लागू नहीं होता है। आशा है सभा को यह संशोधन मान्य होगा।

दूसरा संशोधन मैं यह पेश करता हूं श्रीमान्:—

"कि संशोधन सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (3) में—"

(क) 'regulation' शब्द की जगह 'regulations' रखा जाये।

(ख) 'as is referred to' शब्दों की जगह केवल 'under' शब्द रखा जाये।

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

(ग) 'repeal or amend any Act of Parliament or of the Legislature of the State or any existing law which is for the time being applicable to the area in question' (संसद के उस राज्य के विधान-मण्डल के अधिनियम को अथवा किसी वर्तमान विधि को जो प्रश्नास्पद क्षेत्र में तत्समय लागू है निरसित या संशोधित कर सकता है) शब्दों के स्थान पर 'direct that any existing law or any law that may be passed by the Parliament or by the Legislature of the State shall apply with such modification and changes as he thinks fit' (निदेश दे सकता है कि कोई वर्तमान विधि या संसद अथवा उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा स्वीकृत कोई विधि ऐसे संशोधन या परिवर्तनों के साथ जिन्हें कि वह ठीक समझे, लागू होगी) शब्द रखे जायें।"

यह संशोधन एक तरह से संशोधन नं. 178 का रूपान्तर मात्र है। इसलिये अगर संशोधन नं. 178 को सभा नहीं भी स्वीकार करती है तो इस संशोधन नं. 179 के विभिन्न अंगों को वह स्वीकार कर सकती है।

उसके बाद आता है मेरा संशोधन नं. 180 जिसे मैं पेश करता हूं। वह यों है:

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (4) में 'shall be submitted to the President and until assented to by him shall have no effect." (राष्ट्रपति को प्रेषित किये जायेंगे और जब तक वह उनको अनुमति न दे दे तब तक उनका कोई प्रभाव न होगा) शब्दों की जगह 'shall be valid on receiving the assent of the President' (राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ही मान्य होंगे) शब्द रखे जायें।"

डॉ. अम्बेडकर ने संशोधित उप-पैरा जो प्रस्तावित किया है उसमें कहा गया है कि विनियम बनते ही राष्ट्रपति के पास तुरंत भेज दिये जायेंगे। मैं नहीं समझ पाता कि यहां 'तुरंत' शब्द रखने का क्या मतलब है। उसके बाद फिर वह यह कहते हैं कि 'जब तक राष्ट्रपति उनको अनुमति न दे दे तब तक उनका कोई प्रभाव न होगा।" साधारणत: इस संबंध में जो प्रक्रिया व्यवहृत होती है उसे बताने के लिये ही यह उप-पैरा रखा गया है। साधारणत: यही प्रक्रिया काम में लाई जाती है कि राष्ट्रपति के अनुमति देने पर ही विनियम प्रभावी माना जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति उस पर मिलना आवश्यक है। पर यह कहना कि विनियम तुरंत बनते ही राष्ट्रपति को भेजा जायेगा बिल्कुल बेमतलब है। वह राष्ट्रपति के पास यथा समय भेजा ही जायेगा। इसमें जल्दी की क्या बात है यदि ऐसी ही स्थिति होगी कि फौरन राष्ट्रपति के पास उसका भेजना जरूरी है तो राज्यपाल तो उसे फौरन भेजेगा ही। किन्तु यह बात यहां रखना कि विनियम तुरंत राष्ट्रपति के पास भेजा

जायेगा सर्वथा अनावश्यक है। कहना यहां इतना ही है कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ही विधेयक कानून बन सकता है।

इसके बाद अब मैं अपना संशोधन नं. 184 पेश करता हूं। प्रस्ताव यह है श्रीमान्:—

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के भाग 3 के शीर्षक में 'Areas' शब्द की जगह 'Area' शब्द रखा जाये।"

अब मैं अपना संशोधन नं. 186 पेश करता हूं जो यों है:—

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) में जहां कहीं भी 'areas' शब्द आये हैं उसकी जगह 'area' शब्द रखा जाये।"

इन दोनों संशोधनों के संबंध में मुझे यह कहना है कि यहां उप-पैरा (1) में जहां इस शब्द की परिभाषा दी गई है वहां यह शब्द 'area' बहुवचन में रखा गया है पर उप-पैरा (2) में यह शब्द सभी जगह एकवचन में प्रयुक्त किया गया है। एकवचन या बहुवचन जिसमें भी इसे रखिये पर रखिये सब जगह एक ही रूप में। मेरा ख्याल है कि इसे एकवचन में रखना ही उचित है और एकवचन में रखने से बहुवचन का भी अर्थ शामिल है।

अब मैं पेश करता हूं अपना संशोधन नं. 187 जो यों है:—

"कि संशोधन-सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) में 'as appear' शब्दों की जगह 'as may appear' शब्द रखे जायें।"

मेरे कुछ संशोधन इतने ही हैं। मैं यह मानता हूं कि इनमें अधिकांश संशोधनों में केवल मसौदे की रचना में हेर फेर करने की बात ही कही कई है और मसौदा-समिति का ध्यान इन बातों की ओर आकृष्ट करने के लिये ही मैंने इन्हें पेश किया है।

और अगर आगे आपकी अनुमति हो तो श्रीमान, तो एक अन्य छोटी बात की ओर भी सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। संविधान में जहां कहीं भी "Scheduled Castes", "Scheduled Tribes" और "Scheduled Areas" यह पद संहतियां प्रयुक्त हुई हैं, तब जगह इनके आरम्भ के वर्णों को बड़े में रखा जाये या सब जगह छोटे में रखा जाये। यों तो यह एक महत्वशून्य सी बात लगती है पर मेरे विचारधारा के लोगों के लिये यह महत्व रखती है। "Scheduled Castes" पद संहति में तो दोनों शब्दों के आरम्भ के अक्षरों को बड़े में रखा है पर जहां "Scheduled Tribes" रखा है वहां दोनों ही के आरम्भिक अक्षरों को छोटे में रखा है। यही बात 'Scheduled Area' पद संहति के साथ है। ऐसी पद संहतियां जिनसे किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष का बोध होता है उनके शब्दों के आरम्भ के अक्षरों में बड़े में ही देना ठीक है। इससे उस वर्ग या स्थान को जिसके लिये

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

कि पद संहति प्रयुक्त की जाती है, समुचित महत्व प्राप्त होता है और व्याकरण की दृष्टि से सर्वत्र एक रूपता बनी रहती है। "Non-regulated provinces" को भी बड़े अक्षर से हमने रखा है। मेरा ख्याल है कि मसौदा-समिति को तृतीय पठन में "Scheduled Areas" को भी बड़े अक्षर से रख देना चाहिये।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं:—

> "कि ऊपर के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 में जहां भी 'scheduled areas' शब्द आये हैं, उनके आगे 'Scheduled Tribes' शब्द रख दिये जायें और 'whenever so required by the Government of India' (या जब भी भारत शासन इस प्रकार की अपेक्षा करे) शब्द निकाल दिये जायें।"

इस अनुसूची के संबंध में जो कुछ मुझे कहना है वह तो मैं उस समय कहूंगा जब उस पर आम बहस शुरू होगी पर अभी केवल यह बता देना चाहता हूं कि यह संशोधन मैं क्यों पेश कर रहा हूं। इस अनुसूची के भाग 1 का शीर्षक यह रखा गया है:—

> "Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes" पर भाग 3 में "scheduled tribes" का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया यह मैं समझ नहीं पाता हूं। राज्यपाल या शासक भारत सरकार को जो रिपोर्ट दे वह अवश्य ही ऐसी व्यापक होनी चाहिये कि उसमें सभी अनुसूचित जातियों के प्रशासन का हाल दिया हो चाहे वह अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर रहती हो या उसके बाहर। अगर रिपोर्ट केवल अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर रहने वाली अनुसूचित जातियों तक ही सीमित रहेगी तो फिर इसका मतलब यह होगा कि भारत सरकार को सभी अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी न हो सकेगी। इन जातियों के लाखों लोग ऐसे होंगे जो अनुसूचित क्षेत्र के बाहर रहते होंगे। बिना यह जाने हुए कि अनुसूचित क्षेत्रों का परिसीमन किस प्रकार होगा यह तर्क करना बेकार होगा कि रिपोर्ट में सभी अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में उल्लेख दिया रहेगा या नहीं किया रहेगा। हमें मालूम नहीं कि सारा बिहार अनुसूचित क्षेत्र माना जायेगा या नहीं। पर बहस की गरज से मान लीजिये हम यह मान लेते हैं कि सारा बिहार अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा। तो उस सूरत में अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन अनावश्यक है। पर अभी हमें यह तो मालूम है नहीं कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में रिपोर्ट देने के लिये जिस आयोग को नियुक्त करेंगे वह रिपोर्ट क्या देगा। जब तक कि इस आयोग की रिपोर्ट के फलस्वरूप अनुसूचित क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हो जाता है मैं इस बात के लिये अभी अवश्य आग्रह करूंगा कि एक ऐसा पक्का उपबंध यहां जरूर रहना चाहिये जिससे राज्यपाल के लिये यह अनिवार्य हो कि रिपोर्ट में वह यह भी बताये कि सभी अनुसूचित जातियों के लिये यानी हर राज्य के पिछड़े हुए लोगों के

लिये क्या किया गया है। आशा है डॉ. अम्बेडकर इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और उस हालत में इस पैरा का यह रूप होगा:—

"The Governor or Ruler of each State having scheduled areas and scheduled tribes therein shall annually make a report to the Government of India regarding the administration of the scheduled areas and scheduled tribes in that State and the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to the State as to the administration of the said areas and scheduled tribes of the State."

[प्रत्येक राज्य का राज्यपाल या शासक जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करेगा तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन के विषय में निदेश देने तक विस्तृत होगी।]

मेरे संशोधन के दूसरे हिस्से में यह कहा गया है कि "or whenever so required by the Government of India" (अथवा अब भी भारत सरकार इस प्रकार की अपेक्षा करे) शब्द हटा दिये जायें। मेरी समझ से इन शब्दों को निकाल देना जरूरी है। संविधान में इस बात का उपबंध रहना चाहिये कि प्रतिवर्ष राज्यपाल या शासक अनुसूचित जातियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करेगा। मालूम नहीं यह अनुसूची कब तक बनी रहेगी। और जब तक यह मालूम न हो जाये मैं इस बात पर जोर देने के लिये विवश हूं कि अनुसूचित जातियों की दशा सुधारने का काम तेजी से होना चाहिये। उनकी दशा सुधारने का काम किया नहीं जा सकता है अगर राष्ट्र को यही मालूम हो कि इस दिशा में क्या किया जा रहा है। इसलिये मेरी समझ से जरूरी यही है कि प्रतिवर्ष प्रतिवेदन करने पर यहां जोर दिया जाये। मैं यह मंजूर करता हूं कि अपने संशोधन के इस दूसरे अंश के लिये मुझे कोई विशेष आग्रह नहीं है क्योंकि कोई कारण नहीं है कि हम यह संदेह करें कि सरकार सोती रहेगी और बीस साल में कहीं एक बार प्रतिवेदन की अपेक्षा करेगी। सरकार के बारे में ऐसा सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। इसलिये अपने संशोधन के इस दूसरे अंश के लिये विशेष जोर नहीं दूंगा पर इस बात के लिये अवश्य आग्रह करूंगा कि प्रतिवेदन सभी अनुसूचित जातियों के शासन के बारे में होना चाहिये।

मेरा दूसरा संशोधन है नं. 33 का जिसे मैं पेश करता हूं। वह यों है:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा (2) के स्थान पर यह रखा जाये:

'(2) It shall be the duty of the Tribes Advisory Council generally to advise the Governor or Ruler of the State on all matters

[श्री जयपाल सिंह]

pertaining to the administration, advancement and welfare of the Scheduled Tribes of the State.' "

(आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् का साधारणत: यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के अनुसूचित जातियों के प्रशासन, समुन्नति तथा कल्याण से सम्बद्ध सभी विषयों पर राज्य के राज्यपाल या शासक को मंत्रणा दे।)

मेरा ख्याल है कि मेरा यह संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा यह संशोधन मूल मसौदे के पक्ष में है। आशा है डॉ. अम्बेडकर इसे स्वीकार करेंगे।

अब मैं पेश करता हूं संशोधन नं. 47 को जो यों है:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) में 'as the case may be' शब्दों के आगे 'if so advised by the Tribes Advisory Council' शब्द जोड़े जायें।"

मैं देखता हूं कि इस नई पांचवीं अनुसूची में, किसी तरह ऐसा हो गया है—और शायद यह जान बूझ कर नहीं किया गया है—कि यहां आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् का उल्लेख ही नहीं आ पाया है। मूल मसौदे में आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् को ही प्राधान्य दिया गया था और अनुसूचित जातियों के सुधार के काम की प्रेरणात्मक शक्ति उसी को दी गई थी। पर अब इस नई अनुसूची में तो यह बात नहीं रह गई है और सारा अधिकार दे दिया गया है राज्यपाल या शासक को। मुझे खेद है कि इस स्थिति को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। अध्यक्ष महोदय, सभा को सखेद मुझे यह भी कहना पड़ रहा है कि गत कई दिनों से कुछ लोग आपस में गुप्त परामर्श करते रहे हैं और उनकी बैठकें होती रही हैं। पर उस संबंध में मुझसे कभी कोई परामर्श नहीं लिया गया। इस नई अनुसूची के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी दलों से परामर्श लेकर उसको यहां रखा गया है। इस सिलसिले में जो भी बैठकें लोगों की हुई हैं उनमें मुझे कभी नहीं बुलाया गया। उस नई पांचवीं अनुसूची में यह परिवर्तन अचानक बज्रपात की तरह हमारे सामने आया है। इस सूची को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरा कहना यह है कि इस प्रस्तावित अनुसूची के सुधार की काफी गुंजाइश अभी है। आदिवासी होने के नाते मुझे इसका हक था और होना चाहिये कि पहले मुझसे इस परिवर्तन के बारे में परामर्श लिया जाता।

अब मैं अपना संशोधन नं. 50 पेश करता हूं जो यों है:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (2) में, 'in any such area' शब्दों को निकाल दिया जाये।"

इस संशोधन के पीछे भी कारण वही है जिसका मैं अभी पहले जिक्र कर चुका हूं अर्थात् यह कि अनुसूचित जातियों को जो भी लाभ हम पहुंचाना चाहते

हैं वह केवल उन्हीं तक सीमित न रहना चाहिये जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहते हैं बल्कि वह सभी अनुसूचित लोगों को मिलना चाहिये जो कि राज्य में रह रहे हैं।

मेरा एक और संशोधन रह गया है जो है नं. 52 का। मैं उसे भी उपस्थित किये देता हूं।

वह यों है:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (5) में, 'consulted' शब्द की जगह 'been so advised' शब्द रखे जायें।"

यहां भी मेरा उद्देश्य यही है कि आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् वस्तुत: एक प्रभावी निकाय हो और वास्तविक शक्ति उसके हाथ में रहे। राज्यपाल या शासक को कार्रवाई करने की शक्ति जरूर प्राप्त रहे उस पर मुझे रंच मात्र भी आपत्ति नहीं है पर मैं यह अवश्य महसूस करता हूं कि 'consulted' शब्द यहां ठीक नहीं होगा। मेरे इस संशोधन के स्वीकृत होने पर उप-पैरा का रूप यहां हो जायेगा: "इस पैरा के अधीन कोई विनियम तब तक न बनाया जायेगा जब तक कि विनियम बनाने वाले राज्यपाल या शासक को, उस राज्य के लिये आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् होने की अवस्था में ऐसी परिषद् से ऐसा करने की राय न मिल गई हो।"

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं मेरे इन संशोधनों में मुख्यत: दो सैद्धान्तिक बातों पर ही जोर दिया गया है। एक तो यह कि इस अनुसूची के उपबन्धों से लाभ पहुंचना चाहिये। अनुसूचित जातियों के सभी लोगों को और दूसरे यह कि आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् वस्तुत: एक प्रभावशाली निकाय होना चाहिये न कि केवल दिखावे का।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र** (उड़ीसा राज्य): मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान्:—

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा (1) में, 'if the President so directs' (यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे) शब्दों को हटा दिया जाये।"

डॉ. अम्बेडकर की वक्तृता मैंने यहां सुनी है। आपका कहना है कि जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां तो आदिम-जाति मंत्रणा-परिषद् की रचना करना राष्ट्रपति के लिये अनिवार्य है पर जिस राज्य में ऐसे क्षेत्र नहीं हैं उसके लिए मंत्रणा-परिषद् स्थापित की जाये या न की जाये यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है।

मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को जो स्वविवेकानुसार चलने का अधिकार दिया गया है वह उठा दिया जाये। अनुसूचित जातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं श्रीमान्, और केन्द्र तथा राज्य में दोनों ही जगह, शासन को इनकी उन्नति के लिये खास तौर पर ध्यान देना जरूरी है। मेरे ख्याल में इसी उद्देश्य से कुछ क्षेत्रों को यहां अनुसूचित क्षेत्र तथा कुछ जातियों को अनुसूचित जातियों के नाम से वर्णित किया गया है। जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है अगर

[श्री युधिष्ठिर मिश्र]

उसके लिये आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् की स्थापना की जाती है तो फिर ऐसे राज्य की अनुसूचित जातियों के लिये भी यही बात क्यों न रखी जाये जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है? अगर यह बात राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दी जाती है तो होगा यह कि उसे केन्द्र तथा प्रान्त की कार्यपालिका की राय पर चलना होगा और हो सकता है कि प्रान्तीय शासन ऐसी परिषद् का बनना ही पसन्द न करे। इसलिये मेरा यह कहना है कि अनुसूचित जातियों के लाभ के लिये हमें ऐसा उपबन्ध रखना चाहिये कि जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र न भी हों वहां के लिये राष्ट्रपति को ऐसी मंत्रणा-परिषद् की स्थापना करना लाजिमी होगा।

अब मैं अपना दूसरा संशोधन—नं. 33 को—पेश करता हूं जो यों है:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा (2) के स्थान पर यह रखा जाये:

'(2) It shall be the duty of the Tribes Advisory Council to advise the Government of the State on all matters pertaining to the administration of the scheduled areas and the welfare and advancement of the scheduled tribes in the State.' "

[आदिजाति मंत्रणा-परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से तथा राज्य की अनुसूचित जातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बद्ध सभी विषयों पर राज्य की सरकार को मंत्रणा दे।]

इस प्रस्तावित अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा (2) में यह कहा गया है कि आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् राज्य की सरकार को, राज्य की अनुसूचित जातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बद्ध ऐसे विषयों पर मंत्रणा देगी जो उनको, यथास्थिति, राज्यपाल या शासक द्वारा सौंपे जायें। अपने संशोधन के द्वारा यहां एक तो यह उपबन्ध रखना चाहता हूं कि मंत्रणा-परिषद् अनुसूचित जातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बद्ध विषयों पर मंत्रणा देने के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भी वह राज्य की सरकार को मंत्रणा देगी। दूसरी बात मैं यहां यह रखना चाहता हूं कि मंत्रणा-परिषद् को जो मंत्रणा देने का अधिकार है वह केवल कार्यपालिका की मरजी तक सीमित न रहे बल्कि कार्यपालिका द्वारा न सौंपे गये ऐसे विषयों पर भी मंत्रणा दे सके। अगर मंत्रणा-परिषद् को मंत्रणा देने का अधिकार केवल उन्हीं विषयों के सम्बन्ध में होगा जो राज्यपाल या शासक उसे सौंपेंगे तो फिर इस अनुसूची का उद्देश्य ही खत्म हो जायेगा। हो सकता है श्रीमान, कि किसी विषय को, जिसका समूची अनुसूचित जातियों पर असर पड़ता हो राज्यपाल मंत्रणा-परिषद् को सौंपे ही नहीं। ऐसे विषय के बारे में मंत्रणा देने का उसे अधिकार न रहेगा और उसके सम्बन्ध में वह कुछ कह नहीं सकेगी। हम अनुच्छेद 215-ख में यह पहले ही कह चुके हैं श्रीमान, कि पांचवीं अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। पर इस प्रस्तावित

अनुसूची के अनुसार मंत्रणा-परिषद् को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में मंत्रणा देने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह मंत्रणा-परिषद् आखिर केवल मंत्रणा देने वाला निकाय होगा। राज्यपाल के लिये लाजिमी नहीं है कि वह उसकी मंत्रणा को माने ही। इस तरह तो यह परिषद् सर्वथा नाम मात्र की ही रह जायेगी।

अब मैं अपना संशोधन नं. 46 पेश करता हूं जो यों है:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) में, 'as the case may be' (यथास्थिति) शब्दों के आगे 'on the advice of the Tribes Advisory Council' (आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् की राय पर) शब्द जोड़ दिये जायें।"

यदि यह संशोधन सभा को स्वीकार्य न हो तो वह मेरे संशोधन नं. 51 पर विचार करे। मैं उसे उपस्थित करता हूं वह यों है:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (5) में, 'No' शब्द के आगे 'notification or' शब्द जोड़ दिये जायें।"

इन दोनों ही संशोधनों का अभिप्राय यह है श्रीमान, कि पैरा 5 के उप-पैरा (1) के अधीन अगर कोई अधिसूचना निकाली जाये तो उसके लिये आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् से सलाह जरूर ली जाये। संशोधन नं. 20 में, राज्यपाल या शासक द्वारा निकाली जाने वाली अधिसूचना में तथा उनके द्वारा प्रख्यापित होने वाले विनियम में भेद किया गया है। विनियम के लिये तो यह कहा गया है कि राज्यपाल या शासक बिना मंत्रणा-परिषद् की राय लिये उसको प्रख्यापित नहीं कर सकता है पर अधिसूचना के लिये यह रखा गया है कि बिना मंत्रणा-परिषद् की राय के वह निकाली जा सकती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि अधिसूचना के लिये भी मंत्रणा-परिषद् की राय अवश्य ली जानी चाहिये। इस बात को चाहे आप उप-पैरा (1) में रखिये या उप-पैरा (5) में।

उसके बाद मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं श्रीमान्:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) में, 'scheduled area' शब्दों के आगे 'scheduled tribes' शब्द जोड़े जायें।"

इस आशय का एक संशोधन श्री जयपाल सिंह ने भी पेश किया है। इसको उपस्थित करने में मुझे कहना यह है कि शासन का कर्तव्य यह होना चाहिये कि वह जो अधिसूचना निकाले या विनियम प्रख्यापित करे वह न केवल अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण और समुन्नति के लिये हो बल्कि सारी अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए भी। अगर पांचवीं अनुसूची का पैरा 5 इसी रूप में रखा जाता है तो राज्यपाल के लिये यह लाजिमी न रह जायेगा कि वह ऐसा निदेश कि संसद या राज्य के विधान-मण्डल का कोई विशेष अधिनियम अमुक खास कबायली जाति पर लागू न होगा।

[श्री युधिष्ठिर मिश्र]

इस संशोधन को रखने का खास प्रयोजन यह है श्रीमान्, कि मध्य प्रान्त और उड़ीसा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हो सकता है अनुसूचित क्षेत्र न ठहराया जाये पर उसमें कुछ अनुसूचित जातियों रहती हैं जिनमें भूमि विषयक विशेष तरह के कानून चलन में हैं। उदाहरण के लिये मैं बताऊं कि मध्य प्रान्त और उड़ीसा में गैर-आदिमजाति के लोग आदिमजाति वालों की जमीन अवाप्त नहीं कर सकते जब तक कि सरकार इसके लिये स्वीकृति न दे दे। अब श्रीमान्, राज्यपाल या शासक अगर इस पैरा कि अनुसार विनियम नहीं बनाता है और सम्पत्ति हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जो कानून है उनको गैर आदिम जातियों के लिये लागू रखता है तो मैं यह कहूंगा कि हमारा यह कहना कि सरकार आदिम जातियों के हित को सुरक्षित रखने के लिये तैयार है बिल्कुल बे-माने है।

***अध्यक्षः** आप अपना संशोधन नं. 49 भी पेश कर रहे हैं?

***श्री युधिष्ठिर मिश्रः** हां श्रीमान्। मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (2) में, 'for the time being a scheduled area' शब्दों के आगे 'and also for the welfare and advancement of the scheduled Tribes' शब्द जोड़ दिये जायें।'

इसका मतलब भी वही है जो संशोधन नं. 48 का है।

***अध्यक्षः** जहां तक मैं देखता हूं, इस प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची पर अब और कोई संशोधन नहीं रह गया।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** मेरे कुछ संशोधन हैं श्रीमान्।

***अध्यक्षः** ये संशोधन बिल्कुल आखिरी समय आये हैं और सदस्यों को वितरित भी नहीं किये जा पाये हैं। आज प्रातः 8-58 पर तो ये मिले हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किस बारे में यह हैं। इनको उपस्थित करने की अनुमति न मिलनी चाहिये।

***अध्यक्षः** अगर आपको कोई संशोधन रखना है तो भाषण के सिलसिले में उसके लिये जो कुछ कहना हो कह दीजियेगा। सभा को मैं बता दूं कि प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना और डॉ. देशमुख के कई नये संशोधन मुझे मिले हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** उनकी प्रतियां हमारे पास नहीं हैं। हम लोगों को यह नहीं मालूम है कि संशोधन में उन्होंने कहा क्या है।

***अध्यक्षः** डॉ. देशमुख का संशोधन आज सवेरे 9-20 पर मिला है। प्रो. सक्सेना के संशोधन आये हैं आज 8-58 पर। नियम के हिसाब से तो आपके सभा शुरू होने से पहले जरूर पहुंच गये हैं पर मेरी समझ से इनको लेने से सदस्यों को बड़ी असुविधा होगी।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): मेरे संशोधनों का संबंध केवल मसौदे की रचना से है।

***अध्यक्ष:** अच्छी बात है, वह मसौदा-समिति को सुपुर्द कर दिये जायेंगे। हां प्रो. सक्सेना, मेरा ख्याल है आपके किसी संशोधन में कोई खास सार की बात तो नहीं है?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** ये संशोधन जरूरी हैं।

***अध्यक्ष:** नियम के अनुसार सदस्य को सभा की बैठक शुरू होने से पूर्व संशोधन की सूचना देने का अधिकार है और प्रो. सक्सेना के संशोधन बैठक शुरू होने से पहले आ चुके हैं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपने संशोधनों को पेश करने की अनुमति दी। इन संशोधनों को उपस्थित करने में मेरा एक ही उद्देश्य है। अनुसूचित क्षेत्रों का तथा अनुसूचित जातियों का अस्तित्व हमारे लिये उसी तरह कलंक की बात है जैसा कि हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता की व्यवस्था का रहना। हमारे ये कबायली बन्धु आज भी दीन हीन दशा में अर्ध मानव की तरह जो अपना जीवन बिता रहे हैं यह एक ऐसी बात है जिसके लिये हमें लज्जित होना चाहिये। माना कि अब तक हमारा देश गुलाम था और उस पर अंग्रेजों का आधिपत्य था फिर भी हम अपने को सर्वथा दोष मुक्त नहीं मान सकते हैं। इसलिये मेरा ख्याल यह है कि जहां तक हो सके जल्द से जल्द अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों को देश के अन्य वर्गों और प्रदेशों के समकक्ष ला देना चाहिये और उनका भी पूरा विकास करना चाहिये। मैं केवल यही चाहता हूं कि इन क्षेत्रों और जातियों को शीघ्र से शीघ्र इस तरह समुन्नत बनाया जाये कि उनमें और देश के अन्य वर्गों और क्षेत्रों में कोई अन्तर न रह जाये। मैं यह चाहता हूं कि इनको समुन्नत बनाने की जिम्मेदारी संघ-शासन पर रहनी चाहिये। यह जरूर है कि राज्यपाल या शासकों को भी इस दिशा में अपना काम करना होगा पर मैं चाहता यह हूं कि इनकी समुन्नति का पूरा दायित्व होना चाहिये केवल केन्द्रीय शासन पर। इसलिये मेरे संशोधनों में यही कहा गया है कि जहां-जहां भी राज्यपाल या शासक शब्द आये हैं उनके स्थान पर राष्ट्रपति और संसद शब्द रख दिये जायें। इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन पेश करता हूं:—

> "कि सूची 1 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा (3) में तथा पैरा 5 के उप-पैरा (1) 'राज्यपाल या शासक' शब्दों की जगह 'राज्यपाल या शासक के परामर्श से राष्ट्रपति' शब्द रख दिये जायें।"

प्रस्तावित अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा (3) में कहा गया है कि:—

> "राज्यपाल या शासक मंत्रणा-परिषद् के सदस्यों की संख्या इत्यादि..... विषयों के यथास्थिति विहित करने या विनियम करने के लिये नियम बना सकेगा।"

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

मंत्रणा-परिषद् एक महत्वपूर्ण निकाय होगा। यह निकाय अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन चलायेगा। और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये मंत्रणा देगा। इसके सदस्यों की संख्या यथा इससे संबंधित अन्य बातों की जिम्मेदारी यहां राज्यपाल को दी गई है। मैं चाहता यह हूं कि इन सब बातों के लिये जिम्मेदारी होनी चाहिये राष्ट्रपति पर और वही राज्यपाल या शासक के परामर्श से जैसा चाहे करे। यही बात मैं पैरा 5 में भी चाहता हूं। वहां कहा यह गया है कि:—

"Notwithstanding anything contained in this Constitution the Governor or Ruler, as the case may be, may by public notification direct that any particular Act of Parliament or of the Legislature of the State shall not apply to a scheduled area or any part thereof in the State or shall apply to a scheduled area or any part thereof in the State subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification."

[इस विधान में किसी बात के होते हुये भी यथास्थिति राज्यपाल या शासक लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद या उस राज्य के विधान-मण्डल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू न होगा अथवा राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में ऐसे अपवादों और रूप भेदों के साथ लागू होगा जैसा कि वह अधिसूचना में अल्लिखित करे।]

आप यह देखेंगे कि इसके अनुसार संविधान में किसी बात के होते हुये भी लोक-अधिसूचना द्वारा राज्यपाल या शासक संसद के अधिनियम को किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिए निराकृत या प्रभाव शून्य कर सकता है। अपने संशोधन द्वारा मैं चाहता यही हूं कि यहां "राज्यपाल या शासक" शब्दों के स्थान पर "राज्यपाल या शासक के परामर्श से राष्ट्रपति" शब्द रख दिये जायें। यहां मेरे सुझाये गये शब्दों को रखना उचित और लोकतंत्रीय है। राज्यपाल को यह अधिकार नहीं प्राप्त रहना चाहिये कि संसद के किसी अधिनियम को वह निराकृत कर सके।

मेरा दूसरा संशोधन यह है श्रीमान्:—

"कि संशोधन सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा 4 में 'All' शब्द के बाद 'notifications and' शब्द जोड़ दिये जायें।"

ऐसा करना जरूरी है क्योंकि उप-पैरा (1) में 'लोक-अधिसूचना द्वारा' ऐसा निदेश करने का अधिकारियों को हम अधिकार दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये अधिसूचनायें भी राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही निकाली जायें।

पैरा 5 के उप-पैरा (5) के सम्बन्ध में मैं इस संशोधन का प्रस्ताव रखता हूं:—

"कि संशोधन सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (5) में शब्द के बाद 'notification or' शब्द जोड़ दिये जायें।"

इसको रखने में मेरा उद्देश्य यह है कि सभी अधिसूचनायें आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् से परामर्श ले लेने पर ही निकाली जायें।

पैरा 6 (1) के सम्बन्ध में मेरा यह संशोधन है श्रीमान्:—

"कि संशोधन सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) में 'President may by order' शब्दों के स्थान पर 'Parliament may by law' शब्द रखे जायें।"

इन सब बातों को राष्ट्रपति के हाथ में छोड़ना ठीक नहीं होगा। यह अधिकार संसद को प्राप्त रहना चाहिये कि वह विधि द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे।

बाकी जो मेरे संशोधन हैं श्रीमान्, वह मेरे ऊपर के संशोधनों के फलस्वरूप यहां आवश्यक हो जाते हैं। उनमें पहला संशोधन यह है:—

"कि संशोधन सूची 1 (सातवां सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) में 'such order may' शब्दों की जगह 'such law may' शब्द रखे जायें।"

इस बात को देखते हुये कि ये आदेश यानी 'आर्डर' होंगे अनुसूचित क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन करने के बारे में यह जरूरी है कि यह काम राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न किया जाये बल्कि संसद निर्मित विधि के द्वारा किया जाये।

मेरा दूसरा संशोधन यह है:—

"कि पैरा 6 के उप-पैरा (2) (ग) में 'to the President' शब्दों की जगह 'to the Parliament' शब्द रखे जायें।"

मेरे पूर्ववर्ती संशोधन के फलस्वरूप यह संशोधन आवश्यक हो जाता है।

अब मैं अपने अन्तिम महत्वपूर्ण संशोधन को लेता हूं जिसकी सूचना मैं दे चुका हूं। वह यों है:—

"कि पैरा 6 के उप-पैरा 2 (ग) में 'Save as aforesaid, the order made under sub-paragraph (1) of this paragraph shall not be varied by any subsequent order.'

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

(किन्तु उपर्युक्त नीति से अन्यथा इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन निकाला गया आदेश किसी अनुगामी आदेश से परिवर्तन नहीं किया जायेगा।) शब्दों को निकाल दिया जाये।

इस संशोधन को रखने में मेरा उद्देश्य यह बताता है कि देश का यह विशाल संख्यक अनुसूचित वर्ग जो अर्ध मानव की तरह दीन-हीन जीवन बिता रहा है वह हमारे लिये एक कलंक की बात है। दस साल के अन्दर इस समुदाय को हमें देश के शेष समुदाय के स्तर पर ला देना चाहिये ताकि उनमें और बाकी लोगों में कोई अन्तर न रह जाये। मैं चाहता यह हूं कि इस कलंक को दूर करने का भार संसद पर होना चाहिये और उसको यह अधिकार मिलना चाहिये कि वह इस अवधि के अन्दर इस अनुसूचित जाति के समुदाय को देश के शेष लोगों के साथ मिलाकर एक कर दे।

***अध्यक्ष:** सारे संशोधन अब पेश हो चुके हैं।

***एक सदस्य:** मेरा एक संशोधन है जिसे मैं अभी तक पेश नहीं कर सका हूं।

***अध्यक्ष:** आपका संशोधन पुरानी अनुसूची के संबंध में है। पुरानी अनुसूची पर आये संशोधनों की मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। पुरानी अनुसूची अब पूरी बदल गई है।

चूंकि सभी संशोधन पेश हो चुके हैं। इसलिये अब अनुसूची तथा संशोधन पर बहस की जा सकती है।

***श्री कुलधर चालिहा** (आसाम : जनरल): इस अनुसूची पर मुझे जो संशोधन रखने हैं उनकी सूचना मैं नहीं दे सका क्योंकि संशोधन सूची ही मुझे कल रात को दस बजे मिली।

***अध्यक्ष:** संशोधनों पर कोई संशोधन नहीं रखे जा सकते हैं।

***श्री कुलधर चालिहा :** ये संशोधन तो मुझे मिले ही कल रात को 10 बजे?

***अध्यक्ष:** वे शनिवार को ही वितरित कर दिये गये थे। पांचवीं अनसूची वितरित की गई थी शुक्रवार को। कल रात को जो सूची वितरित की गई थी वह तो कल तक आये सभी संशोधनों की सूची थी।

***श्री कुलधर चालिहा:** छठी अनुसूची कल रात को वितरीत की गई है।

***अध्यक्ष:** छठी अनुसूची शनिवार को वितरीत की गई थी।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित अनुसूची का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हो रहा हूं श्रीमान्। अनुसूची का समर्थन तो मैं कर रहा हूं पर यह बता देना चाहता हूं कि इस अनुसूची के कुछ उपबन्धों से मेरा मतैक्य नहीं है। चन्द दिन पहले यहां सभा में मैंने यह कहा था कि कबायली जातियों के लिये सर्वोत्तम शासन व्यवस्था यह होगी कि उनके प्रदेश को केन्द्र प्रशासनाधीन रख दिया जाये।

***अध्यक्ष:** माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि यहां एक वाक्य में यह कहना कि: "मैं अनुसूची का समर्थन करने के लिये खड़ा हो रहा हूं" और फिर बाद के दूसरे वाक्य में यह कहना कि "अनुसूची के उपबन्धों से मेरा मतैक्य नहीं है" बिल्कुल बे माने है। सदस्यों के भाषण में आखिर कुछ सामञ्जस्य तो रहना चाहिये।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं कह यह रहा था श्रीमान् कि मैं अनुसूची को स्वीकार कर रहा हूं इसलिये कि सभा इसे मान चुकी है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में यही होता है कि बहुमत के निर्णय को मानना होता है चाहे उसके संबंध में किसी की निजी राय कुछ भी क्यों न हो। इसी नाते मैंने उक्त बात कही थी। मैं आपके इस कथन को स्वीकार करता हूं कि परस्पर विरोधी बातें कहना न उचित है, न तर्क संगत है और न शोभनीय ही है।

दिल्ली के संस्करण में "स्टेट्स मैन" ने 4 सितम्बर 1949 के अपने सम्पादकीय लेख में यह कहा है:—

> "अभी हाल में संविधान सभा ने यह स्वीकार किया है कि संघ के तथा राज्य के निचले सदनों में दस साल तक आदिमजातियों के लिए स्थान रक्षित रखे जायेंगे। इस निर्णय से किसी को कोई विवाद नहीं हो सकता है। पर उस निर्णय को उपादेयता निर्भर करती है इस बात पर कि उनके प्रतिनिधि चुने किस तरह जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को उनका प्रतिनिधि बनाया जाता है जो उनके विश्वस्त नेता और हित चिन्तक हैं या दलगत सम्बन्धों के आधार पर इनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं? स्वभाव तथा बुद्धि की दृष्टि से जो लोग लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अनुपयुक्त हैं उनमें राजनैतिक कलह का क्या कुपरिणाम हो सकता है इसको और प्रान्तों में शायद ध्यान ही नहीं दिया गया है।"

आगे चल कर यही पत्र यह कहता है:—

> "पर दिल्ली में कुछ पर्यवेक्षकों को संकट का एक नया आभास मिला है। अभी हाल में आदिमजातियों के जो उपद्रव हुए हैं और उन्होंने अपनी पुरानी बर्बर प्रथाओं को अपनाने की जो प्रवृत्ति दिखलाई है इससे लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है। इस समूची आदिमजाति-समस्या पर फिर से छानबीन करना वांछनीय समझा जा रहा है। शायद ऐसा करने से ही यह भरोसा हो सकता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में लोकतंत्रीय व्यवस्था का जो प्रयोग चालू हो रहा है उसमें कबायली लोग तो सहानुभूतिपूर्वक दिलचस्पी लेंगे ही पर भारतीय संघ राज्य के राष्ट्रपति तथा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल भी अपने को उन आदिमजातियों का विशेष संरक्षक समझेंगे जिनके हित को देखने का भार संविधान द्वारा इन पर दिया जा रहा है। अगर ये लोग अपने कर्त्तव्य का पालन उसी बुद्धिमत्ता और समझदारी से करें जिससे कि स्वर्गीय सर अकबर हैदरी ने आसाम में किया था तो, सभी कुछ ठीक-ठीक चलेगा और ज्यादा गड़गड़ी न होने पायेगी।"

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

इस संबंध में मुझे और कोई बात नहीं कहनी है। आदिम-जाति मंत्रणा-परिषद् की स्थापना के पक्ष में मैं नहीं हूं। मंत्रणा-परिषद् की स्थापना का जिक्र करना मूल प्रश्न को टालना है। आदिम-जाति के लोगों की मांग यह नहीं है कि मंत्रणा-परिषद् स्थापित की जाये बल्कि मांग वह इस बात की करते हैं कि संविधान द्वारा उनको यह प्रत्याभूति मिलनी चाहिये कि सभी कबायली लोगों को जीवन यापन का साधन प्राप्त रहेगा। नि:शुल्क शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी सभी सुविधायें प्राप्त रहेंगी। यह मांग ऐसी मांग नहीं है जिसे असम्भव कहा जाये। देश के सभी नागरिकों के लिये इन सुविधाओं की मांग नहीं की जा रही है। यह मांग की जा रही है देश के केवल ढाई करोड़ लोगों के लिये। आर्थिक दृष्टि से हमारे प्रान्त आज कमजोर हैं और वह इस स्थिति में नहीं हैं कि इस दायित्व का भार वहन कर सकें। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि कबायली इलाकों को केन्द्र प्रशासनाधीन कर दिया जाये। अगर इतने कम लोगों को भी जीवनयापन के साधन की तथा नि:शुल्क शिक्षा और चिकित्सा की गारन्टी भारत सरकार नहीं दे सकती है तो फिर उसे बने रहने का क्या अधिकार है? केन्द्र आदिमजाति वालों को यह सभी सुविधायें दे सकता है। प्रान्तीय शासनकारों को किसी तरह कम किये बिना ही ऐसा वह कर सकता है। आदिमजाति वालों के लिये सर्वोत्तम शासन व्यवस्था यह होगी कि सारे कबायली इलाके को केन्द्र प्रशासन के अधीन रख दिया जाये। इस ध्येय की प्राप्ति मे एक ही रुकावट है। आदिमजातियों की सांस्कृतिक समुन्नति तथा आर्थिक विकास में प्रबल बाधक बन रही है क्षेत्र विस्तार की हमारी लालसा।

यदि कबायली इलाकों को केन्द्र प्रशासन में रख दिया जाता है तो इससे देशवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर किसी प्रान्तीय हित का देश हित से मेल नहीं खाता है तो उस सूरत में मैं तो देश का साथ दूंगा न कि प्रान्त का। देश हित का प्रादेशिक हितों से कभी विरोध हो नहीं सकता है। और अगर ऐसा कोई हित है जिसका देशहित से सामञ्जस्य नहीं बैठता है तो उस हित का हमें विरोध करना होगा; उसे समाप्त कर देना होगा। ऐसे किसी प्रान्तीय हित की चर्चा करना ही बेकार है जो देश हित के प्रतिकूल हो।

इस पैरा 4 के सम्बन्ध में एक और बात है जिसकी ओर सभा का ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा। आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् में राज्य के विधान-मण्डल के वह सभी सदस्य रहने चाहियें। जो आदिमजातियों के प्रतिनिधि रूप में वहां पहुंचे हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या है बिहार में। यहां करीब 55 कबायली प्रतिनिधि राज्य के विधान-मण्डल में आयेंगे। अवश्य ही मंत्रणा-परिषद् के लिये यह संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इस मंत्रणा-परिषद् को आखिर केवल परामर्श देने का ही तो अधिकार प्राप्त रहेगा। इसे कोई विधायिनी या कार्यपालिका शक्ति तो प्राप्त न रहेगी। अगर ऐसी शक्ति उसे प्राप्त रहती तो इस सूरत में तो पचास या पचपन सदस्यों को परिषद् में रखना अवांछनीय भी कहा जा सकता था। पर चूंकि मंत्रणा-परिषद् केवल एक परामर्श देने वाला निकाय होगा न कि विधि बनाने वाला या अधिशासीय निकाय इसलिये पचास सदस्यों का इसमें होना ज्यादा नहीं कहा जा सकता है।

पैरा 5 में दो बातों का उपबंध हमें जरूर रखना चाहिये था। आदिमजाति वालों की जमीन गैर आदिमजाति के लोगों के पास न जा सकेगी। इसके लिये संविधान

में एक उपबंध रहना चाहिये था। मैं यह मांग कर रहा हूं, मनुष्यता के नाम पर। अगर संविधान में ऐसा उपबन्ध नहीं रखा जाता है, तो इसका जो राजनैतिक परिणाम होगा, उसको हम शायद अभी ठीक-ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। इससे होगा यह कि आदिमजातियों और गैर-आदिमजातियों के आपसी संबंध में कटुता पैदा हो जायेगी। कबायली क्षेत्रों में राज्य के प्रति अनिष्ठा उत्पन्न होगी।

मैं चाहता यह हूं, श्रीमान्, कि कबायली इलाकों की कोई जमीन, जिस पर किसी आदिमवासी का स्वामित्व है, वह बिना डिप्टी कमिश्नर की अनुमति के किसी आदिमवासी को भी न बेची जा सके और न बंधक रखी जा सके। सन्थाल परगनों में ऐसी व्यवस्था है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि गैर आदिमवासियों को उस जमीन या सम्पत्ति से वंचित किया जाये, जो अनुसूचित क्षेत्रों में उनको मिल चुकी है। पर इन क्षेत्रों में गैर आदिवासियों को अब और जमीन कभी न मिलनी चाहिये। अनुसूचित जातियों के हितार्थ इस संरक्षण का संविधान में होना जरूरी है। यह बात आदिमजाति के नेताओं की मांगों से भी सर्वथा संगत है। अगर इतना संरक्षण संविधान द्वारा उनको दे दिया जाता है, तो इससे अनुसूचित जातियों में राज्य निष्ठा की भावना उत्पन्न होगी। राज्य निष्ठा पैदा होती है, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर। आन्ता की तरह राज्य निष्ठा कोई ईश्वर दत्त वस्तु नहीं है। अगर राज्य निष्ठा कोई ईश्वर प्रदत्त वस्तु होती, तो हमें जीवन के साथ प्राप्त होती, तो फिर राज्य निष्ठा का प्रश्न ही क्यों उठता? बजाय इसके कि हम अल्पसंख्यकों को राज्यनिष्ठ होने का, देश के प्रति सच्चा होने का उपदेश दें, चाहिये हमें यह कि हम उन स्थितियों को दूर कर दें जिनसे राज्य के प्रति अनिष्ठा की भावना पैदा होती है और लोग किसी विदेशी शक्ति के प्रति सहानुभूति या निष्ठा रखने लगते हैं। अभी अभी हमें यह आशंका थी, श्रीमान्, कि यहां एक पृथक् मुसलिम राज्य की मांग में अनुसूचित जाति के लोग मुसलिम लीग का साथ देंगे, किन्तु सौभाग्य से यह संकट अब नहीं रह गया। अगर हम यह चाहते हैं कि भविष्य में कभी हमारे सामने फिर ऐसा संकट न आये, तो हमें अनुसूचित जातियों की आशंकाओं को दूर करना ही होगा। इस लिये अगर हमें अपने मार्ग से किंचित् हटना भी पड़े तो भी हमें हटना होगा। एक असंतुष्ट अल्पसंख्यक समुदाय राज्य की स्थिरता के लिये हमेशा खतरा बना रहता है। इन्हीं अल्पसंख्यकों के कारण ही समूचा यूरोप आज टुकड़े-टुकड़े हो गया है। संगीन मौकों पर जब राष्ट्र को किसी विषय विपत्ति का सामना करना पड़ता है, उस समय सन्तुलन शक्ति आ जाती है, अल्पसंख्यकों के हाथ में, वह चाहे जिस पक्ष का पलड़ा भारी कर सकते हैं। अगर राष्ट्र को विदेशी शत्रु का सामना करना पड़ जाता है, तो उस समय यह परमावश्यक हो जाता है कि समूचा राष्ट्र राज्य का साथ दे। ऐसे संगीन मौके पर अगर अल्पसंख्यक लोग कहीं विद्रोह की आग जला बैठे, तो फिर कोई राज्य उससे अपनी रक्षा नहीं कर पा सकता है। मैं पुनः इस बात का आग्रह करूंगा कि भूमि के हस्तान्तरण को रोकने या नियंत्रण करने का अधिकार राज्यपालों को न दिया जाये। अनुसूचित क्षेत्रों की जमीन गैर आदिम जातियों के हाथ में न पड़े, इसके लिये संविधान में उपबंध रहना चाहिये।

दूसरी मांग मैं इस बात की करता हूं कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी महाजन को धन उधार देने के कुव्यवसाय की अनुमति न मिलनी चाहिये। यह व्यवसाय

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

पल्लवित होता है, गरीब और अनपढ़ आदिवासियों के शोषण पर, इस लिये इस कुव्यवसाय की अनुमति देना ही गलत होगा। यह कर्तव्य होना चाहिये कि राज्य इन क्षेत्रों में महाजनी का काम वह खुद करे। इस बात की गारण्टी संविधान द्वारा प्राप्त रहनी चाहिये कि कोई भी महाजन इन क्षेत्रों में धन उधार देने का व्यवसाय न कर पायेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण साहू (उड़ीसा : जनरल): माननीय सभापति जी, आदिवासियों के लिये जो प्रबन्ध किया जा रहा है, उसके लिये मुझे कुछ कहना है, क्योंकि मैंने आदिवासियों के बीच कुछ काम किया है।

पहले मैं एक बात यह कह देना चाहता हूं कि अभी यहां यह बात नहीं आई है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स कौन हैं। आगे अच्छी तरह सोच विचार कर यह देख लेना चाहिये कि कौन शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। यहां हम लोगों ने जो शिड्यूल्ड एरियाज बनाये हैं, उनको भी देख लेना चाहिये कि कौन से शिड्यूल्ड एरियाज हैं। और फिर हम जो इतनी पावर प्रेजीडेंट को दे रहे हैं कि कौन एरिया शिड्यूल्ड होगा, इसको वह डिक्लेयर करेगा, यह ठीक नहीं है। जैसे कि मेरे मित्र शिब्बन लाल जी ने कहा है कि यह पावर पार्लियामेंट को देना चाहिये। अगर यह पावर पार्लियामेंट के हाथ में नहीं रहेगी, तो एरियाज के डिस्ट्रीब्यूशन में जब एक लिमिट से दूसरी लिमिट को किया जायेगा, तो बहुत एजीटेशन हो सकता है। इस लिये यह पावर प्रेजीडेंट को न देकर पार्लियामेंट के हाथ में रखनी चाहिए।

और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ट्राइब्स एडवाइजरी काउन्सिल के बारे में। यह ठीक है कि हम लोग एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउन्सिल बनाते हैं और उसमें 20 मेम्बर रखते हैं और 20 मेम्बर में से तीन चौथाई हम लोग ट्राइब्स के आदमियों को रखते हैं। लेकिन बाकी एक चौथाई किसको रखेंगे, इसका कुछ जिक्र यहां नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह जो एक चौथाई हों या उन आर्गनाइजेशन्स में से हों, जो कि उन एरियाज में काम करते हैं, तभी गवर्नर को यह मालूम हो सकेगा कि ट्राइबल लोगों की क्या जरूरतें हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि वहां कुछ आर्गनाइजेशन्स काम करते हैं वह क्रिश्चियन हैं और कुछ हिन्दू हैं। उनमें आपस में कुछ खराबी हो सकती है। मेरे विचार में यह कहना ठीक नहीं है। जो उस एरिया में काम करते हैं, उन्होंने तो ऐबोरिजनल्स (आदिमजातियों) के लिये अच्छा ही काम किया है और अच्छा ही काम करते हैं और आखरी पावर तो हम गवर्नर के हाथ में दे देते हैं। इसी लिये हम को यह सोचकर जो आर्गनाइजेशन्स वहां काम करते हैं, उनको उस एक चौथाई में शामिल करना चाहिये।

और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो कि आगे आने वाली बात है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उड़ीसा में एक जाति दम्बो और पानी है, जिसको हम शिड्यूल्ड ट्राइब्स में रखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वह इतने चतुर हैं कि सब गड़बड़ वही करते हैं। इस लिये जब वह एरिया आवेगा उस वक्त हम शिड्यूल्ड ट्राइब्स में से दम्बो और पानी को निकाल देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये, जो कि वास्तव में आदिवासी हैं, हम जो भी प्रबन्ध करेंगे। उसका

उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसी लिये मैं कहता हूं कि उड़ीसा में जो दम्बो और पानी है, उनको शिड्यूल्ड ट्राइब्स में से निकाल देना चाहिये।

और यह रूल्स कैसे होंगे, यह कुछ नहीं बतलाया गया है। हम लोग इसका अनुमान भी नहीं कर सकते कि रूल्स कैसे होंगे। जब रूल्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो सन्देह हो जाता है। मैं समझता हूं कि जैसे कि पहले से हैं:—

> "Provided that where such Acts relate to any of the following subjects, that is to say marriage, inheritance of property and social customs of the tribes etc., etc."

कम से कम यह तीन चीजें डॉक्टर अम्बेडकर को अपने अमेंडमेंट में शामिल करना चाहिये, जिससे कि यह कम से कम मालूम हो जायेगा कि आदिवासियों के मैरिज, इनहैरिटेंस ऑफ प्रापर्टी और सोशल कस्टम में कोई अदल बदल नहीं कर सकेगा। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि धीरे-धीरे यह सब उड़ीसा में एक शायर जाति है वह अब हिन्दू जाति बन गई है। पहले वे आदिवासी थे, पर अब हिन्दू हो गये हैं। एबोरिजनल्स के कुछ रीति-रिवाज हिन्दुओं के अन्दर आ गये हैं और हिन्दुओं के कुछ अच्छे रीति-रिवाज आदिवासियों के भीतर आ गये हैं। ऐसा मेल जोल धीरे-धीरे होता रहता है। अगर एडवाइजरी काउन्सिल में कुछ नान एबोरिजनल्स को न मिलाया जायेगा, तो ऐसा भाव पैदा हो सकता है कि वह हमसे अलग हैं और कुछ बरस बाद फूट का भाव पैदा हो सकता है। और शायद इसी लिये यह अमेंडमेंट दिया गया है कि दस बरस तक यह चलेगा और उसके बाद क्या होगा यह अभी कुछ मालूम नहीं। मैं समझता हूं कि उसमें दस बरस या बीस बरस के बारे में कुछ चिन्ता नहीं करना चाहिये, क्योंकि आदिवासी इतने पिछड़े हुए हैं कि उनके लिये दस बरस से बीच बरस भी किया जा सकता है। तो हम लोगों को कोई शंका नहीं करनी चाहिये। शंका तो इस बात की है कि हम लोग जोर जबरदस्ती करके इनके ऊपर प्रभाव न डालें। जैसा हम लोगों में से कोई कोई अभी ख्याल करते हैं कि एबोरिजनल्स को जोर जबरदस्ती करके हम लोगों के साथ मिला लेना चाहिये। यह ठीक नहीं है। उन लोगों को हम लोगों के साथ धीरे-धीरे ही मिलने देना चाहिये। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

***बाबू रामनारायण सिंह** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, सभा का ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। क्योंकि आज-कल मैं प्रायः यहां चुप ही रहा करता हूं। माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद को केन्द्र प्रशासन से बड़ा प्रेम है। पर मैं उनसे यह कहूंगा कि वह केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में जो स्थिति वर्तमान है, उसको देखें और इसके लिये उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं। वह.....

***अध्यक्षः** उनकी बात को महत्व देने की हमें जरूरत नहीं है, योंकि उन्होंने खुद अपने किसी संशोधन को पेश नहीं किया है। उनकी सूचना उन्होंने दे रखी है।

***बाबू रामनारायण सिंहः** धन्यवाद, श्रीमान। मेरा ख्याल है, माननीय मित्र को दिल्ली की स्थिति का ही अध्ययन करना चाहिये, जहां यह इस समय रह रहे हैं। उनको यह देखना चाहिये कि आखिर खुद दिल्ली का प्रशासन कैसा चल रहा है। मैं तो केवल इस लिये यहां खड़ा हुआ हूं, श्रीमान, कि आपको, इस सभा

[बाबू रामनारायण सिंह]

को तथा समस्त देश को मैं उन वचनों की याद दिला दें, जो इस विषय के सम्बन्ध में पहले हमने दे रखे हैं, उन दलीलों की याद दिला दूं जो इस विषय के सम्बन्ध में पहले हम पेश किया करते थे। भारतीय राष्ट्रीय महा सभा कांग्रेस के आदेशानुसार ही हम केन्द्रीय विधान-मण्डल में सदा इस नीति की वकालत करते रहे हैं कि देश का प्रशासन सर्वथा एक सा रहना चाहिये और किसी प्रदेश के साथ इस सम्बन्ध में कोई भेद भाव न बरता जाना चाहिये। हम यह चाहते थे कि देश में सर्वत्र एक तरह की प्रशासन व्यवस्था रहे। 'पिछड़े हुए प्रदेश' 'अपवर्जित प्रदेश' या 'अंशत: अपवर्जित प्रदेश' इन सब पद संहतियों से हम बड़ी लज्जा का बोध करते थे। किन्तु मुझे यह देखकर दुख हो रहा है और इससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को दुख हो रहा होगा, श्रीमान, कि अब हम उन्हीं बातों को करने जा रहे हैं, जिनका कि ब्रिटिश अमलदारी में हम विरोध किया करते थे। अंग्रेजों की अमलदारी के जमाने में हम यह नहीं चाहते थे कि पिछड़े प्रदेश या अपवर्जित प्रदेश बोलकर कोई भी प्रदेश हमारे देश में हो, पर अब हम 'अनुसूचित क्षेत्र' नाम से इन्हीं प्रदेशों को रख रहे हैं। इन प्रदेशों की शासन व्यवस्था देश के अन्य प्रदेशों से भिन्न होगी। अंग्रेजी अमलदारी में यह प्रदेश प्रशासन के सम्बन्ध में अन्य प्रदेशों से सर्वथा पृथक् रखे गये थे। पर शासकों ने इन प्रदेशों के बाशिन्दों की वास्तविक भलाई के लिये कुछ भी नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूं, ईसाई उपदेशकों को, जिन्होंने कबायली लोगों का काफी सुधार कर दिया है।

मैं एक बात यहां कह दूं, श्रीमान। मेरी इन बातों का यह मतलब न लगाया जाना चाहिये कि मैं इस बात के खिलाफ हूं कि पिछड़े हुए लोगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाये। उनकी मांगें पूरी की जायें। मैं यह चाहता हूं कि उनकी मांगें पूरी की जायें। मैं भी जानता हूं और सभी लोग जानते हैं कि देश के हर भाग में पिछड़े हुए लोग हैं। हर गांव में, हर शहर में, यहां इस दिल्ली में भी आपको इस वर्ग के लोग मिलेंगे। उनकी समस्या का इलाज यह नहीं है कि इनके इलाकों को अलग कर दिया जाये या यत्र तत्र इनके लिये कुछ कर दिया जाये। मैं जानता हूं कि 'अनुसूचित क्षेत्र' के नाम से किसी भाग को पृथक् करके या ऐसी ही और कोई बात करके भारत सरकार इनकी भलाई के लिये कुछ ज्यादा नहीं कर सकती है। जैसा कि अंग्रेजी अमलदारी के जमाने में कहा जाता था और माननीय सदस्य बन्धु भी इसे जानते हैं कि देश में एक ऐसा वर्ग है, जिसके लिये शासन को कुछ विशेष सुविधायें या रियासतें देना जरूरी है। शासन को चाहिये कि वह तीन चार बातों को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। एक तो वह यह करे कि देश के सभी आदिमजातियों और पिछड़े हुए लोगों के बच्चों को अपने खर्चे से शिक्षा प्रदान करा दे। उनको जो शिक्षा दी जाये, उसमें सैनिक शिक्षा भी शामिल रहे। शिक्षित बना देने के बाद इनको सरकारी नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाये। उसके बाद शासन को यह कहना चाहिये कि हर आदिमजाति वाले को और पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्ति को कुछ भूमि दे। इतना हो जाने पर मेरा यह ख्याल है कि ये लोग देश के अन्य लोगों के स्तर पर आ जायेंगे और इनमें और बाकी लोगों में कोई सामाजिक अन्तर न रह जायेगा। फिर समूचा देश एक स्तर पर आ जायेगा; और न कोई पिछड़ा हुआ रह जायेगा और न कोई कबायली।

फिर एक बात और है, श्रीमान। आखिर भविष्य के सम्बन्ध में हमारी आकांक्षायें क्या हैं? दुर्भाग्य से हमारा देश आज कितने ही वर्गों में, सम्प्रदायों में बंटा हुआ है। हमें इस तरह चलना चाहिये कि ये सारे सम्प्रदाय और वर्गगत भेदभाव दूर हो जायें और समूचा देश एक राष्ट्र का—भारतीय राष्ट्र का रूप धारण कर ले। पर इस लक्ष्य की प्राप्ति हम अंग्रेजों के पथ पर चलकर इस वर्ग और उस वर्ग की, इस क्षेत्र और उस क्षेत्र की सृष्टि करके नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से तो हम लक्ष्य प्राप्ति में कभी सफल नहीं हो सकेंगे। मुझे खुशी है कि डॉ. अम्बेडकर का यह संशोधन उतना घातक नहीं है, जितना कि हमारी पूर्व की व्यवस्था थी। उनके इस संशोधन के या मूल अनुसूची के खिलाफ मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। पर मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि सभा में विचारार्थ ऐसा प्रस्ताव न आना चाहिये था।

***श्री यदुवंश सहाय** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यहां खड़ा हो रहा हूं, इसलिये कि डॉ. अम्बेडकर को तथा उनके साथियों की इस संशोधित अनुसूची 5 को प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद दूं। इस संशोधित अनुसूची के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं, क्योंकि मूल अनुसूची बड़ी कठोर थी, जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने खुद कहा है।

आदिम जातियों की समस्या या इस समस्या का समाधान एक बड़ा कठिन और नाजुक प्रश्न है। इसलिये इन समस्याओं के समाधान का उपबंध बनाने में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम उन लोगों का हाथ न बांध दें, जो कबायलियों का हित साधन करना चाहते हैं यह सच है और हम सभी हर एक आदमी इस पर एक मत है कि आदिम जातियों की जो समस्या बहुत पुरानी है, हाल की नहीं है। उनका शोषण, उनकी गरीबी, उनकी आर्थिक तथा सामाजिक दीनावस्था यह सभी ऐसी बातें हैं, जिनके लिये न केवल प्रान्तीय सरकारों को बल्कि केन्द्रीय सरकार को खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। किन्तु इस काम के लिये जैसा कि बाबू रामनारायण सिंह ने यहां ठीक ही कहा है, हमें निर्भर करना होगा राज्य के विधान मण्डलों पर, उनकी सरकारों पर। उनके सुधार के लिये हमें विश्वास रखना होगा, प्रान्तीय सरकारों पर तथा उन गैर सरकारी निकायों पर, जो कबायली इलाकों की स्थिति सुधारने के काम में लगे हुए हैं। यहां न केवल मैं अपना ही धन्यवाद श्री ठक्कर बापा को अर्पित करूंगा, बल्कि कबायलियों के हितार्थ काम करने वाले सभी कार्यकर्त्ताओं की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। इस वृद्धावस्था में भी वह इन इलाकों का दौरा करते रहते हैं। मुझे यहां यह कहने की जरूरत नहीं कि अगर उनके परामर्श पर हम चलते रहे और अगले दस साल तक अगर वह हमारे बीच रह गये, तो इस अरसे के अन्दर हम वह काम कर देंगे कि न केवल संसद के समक्ष हम उस पर अभिमान कर सकेंगे, बल्कि अपने कामों द्वारा हम कबायली भाइयों को वस्तुतः सुखी बना देंगे। आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से उनको सर्वथा समुन्नत बना देंगे।

जहां तक कि माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह के संशोधन का संबंध है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उनका पहला संशोधन इस आशय का है कि न केवल अनुसूचित क्षेत्रों में बसने वाले कबायलियों के ही संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे, बल्कि प्रान्त के सभी कबायलियों के बारे में वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। अवश्य ही यह एक विचारणीय सुझाव है। आशा है, डॉ. अम्बेडकर इस पर विचार करेंगे। इस बात को न हमी चाहते हैं और न डॉ. अम्बेडकर कि राज्यपाल

[श्री यदुवंश सहाय]

इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को जो प्रतिवेदन भेजें, उसमें केवल अनुसूचित क्षेत्रों में बसने वाले कबायलियों की स्थिति पर ही प्रकाश डाला रहे। हम यह जानते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर बसने वाले कबायली तो और भी पिछड़े हैं, और भी कम संगठित हैं और उनकी समुन्नति की चिन्ता करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। इस लिये अगर सुझाव हो, तो श्री जयपाल सिंह का यह संशोधन हमें जरूर स्वीकार करना चाहिये।

एक और बात है, जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, श्रीमान। आदिम-जाति-मंत्रणा परिषद् के बारे में यह कहा गया है कि उसे और अधिक अधिकार प्राप्त रहने चाहियें, मामलों की सुनवाई का अधिकार उसे प्राप्त रहना चाहिये। यह सब बातें उसके बारे में यहां कहीं गई हैं। पर मेरा कहना यह है, श्रीमान, कि मंत्रणा परिषद् को तो हमें यही काम सौंपना चाहिये कि वह कबायलियों की उन्नति और कल्याण का काम देखे, अनुसूची में उसे ठीक ही यह काम दिया गया है। अगर राजनीतिक काम देकर हम मंत्रणा-परिषदों का हाथ बांध देते हैं, तो ख्याल कीजिये कि इन परिषदों की क्या गति होगी। आप जानते ही हैं कि कई जगह हमारी ग्राम पंचायतें राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता और दाव पेच का अखाड़ा बन गई हैं। अगर वस्तुतः आप कबायली लोगों को उन्नत चाहते हैं, तो मंत्रणा-परिषद को मामलों की सुनवाई का, भूमि सम्बन्धी झगड़ों को निपटाने का अधिकार देकर उसके कमिश्नर को गुरु बना दीजिये। नई अनुसूची में इस सम्बन्ध में जो उपबन्ध रखे गये हैं, वह बिल्कुल ठीक हैं। जहां तक कि उनकी भूमि का सम्बन्ध है, न हम यह चाहते हैं और न प्रान्तीय सरकारें यह चाहती हैं कि उनकी जमीन उनके हाथ से निकल कर गैर कबायलियों के कब्जे में आये। प्रान्तीय सरकारों ने तो ऐसे कानून बना दिये हैं कि उनकी जमीनें दूसरों के हाथ में न पहुंच सकें। हमारे अपने प्रान्त में तो हमने 1937 से भी पहले "छोटा नागपुर टिनैंसी एक्ट" में ऐसा संशोधन कर दिया कि कबायलियों की जमीनें गैर कबायलियों के पास न जा सकें। मूल अनुसूची में तो कई उपबंध ऐसे थे, जिनसे बड़ी कठिनाई पैदा हो सकती थी। उसमें यह कहा गया था कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी भूमि सरकार कबायली के सिवाय और किसी को बन्दोबस्त नहीं कर सकती है। अनुसूचित क्षेत्रों में केवल कबायली लोग ही तो नहीं रहते। वहां हरिजन भी हैं और अन्य भी कई पिछड़ी हुई जातियां रहती हैं, जो और नहीं तो कम से कम आर्थिक दृष्टि से तो कबायलियों की तरह ही पिछड़ी हुई हैं। तो क्या हमारा मतलब यह है, श्रीमान्, कि उन अनुसूचित क्षेत्रों में जहां हरिजन और अन्य पिछड़ी जातियां भी हैं, वहां भी सरकार जमीन का बन्दोबस्त हरिजनों और अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लिये करे ही नहीं। अवश्य ही इस सम्बन्ध में हमें प्राथमिकता देनी होगी इन क्षेत्रों के कबायलियों को और हरिजनों को दोनों को ही। अगर इन सब बातों की व्यवस्था करके उपबन्धों को और लचीला बना दिया जाये तो इस सम्बन्ध में और कुछ कहने की हमें जरूरत नहीं रह जाती है। अवश्य ही सरकार के इस बात का ख्याल रखना होगा और हमें भी इसका ख्याल होगा कि इस सम्बन्ध में प्राथमिकता प्राप्त हो कबायलियों को। अगर उनके पास जमीन नहीं है, तो सबसे पहले जमीन मिलनी चाहिये, वहां उन्हें।

जहां तक कि अनुसूची के अन्य उपबन्धों का सम्बन्ध है, उन पर हमें यहां बहस करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में जब अनुसूचित क्षेत्रों का प्रश्न लिया

जायेगा, उस समय प्रान्तीय सरकारें राष्ट्रपति को, जिनको अनुसूचित क्षेत्रों की रचना का अधिकार यहां दिया गया है, ठीक-ठीक सलाह देंगी। अभी तो बहुत ऐसे प्रदेश हैं, जिनको अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये लटेहर सब-डिवीजन को लीजिये, जहां से निर्वाचित होकर मैं आया हूं। वहां भी कबायली काफी हैं, पर बाहुल्य है गैर कबायलियों का ही। इन सब पर हमें अभी यहां विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि इन सब बातों को प्रान्तीय सरकारों पर तथा अपने नेताओं पर छोड़ने में, जिन पर कबायलियों की समुन्नति का भार दिया गया है, हमें नुकसान कुछ नहीं होगा।

श्री ए.वी. ठक्करः अध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित इस संशोधित अनुसूची 5 का समर्थन करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है और वह दो कारणों से। एक तो यह कि इस नई अनुसूची में सारी बातें संक्षेप में रखी गई हैं। इस संक्षिप्त कारण में छोटी मोटी दो एक बातों के सिवाय अनुसूची की अन्य सभी बातें ज्यों की त्यों रखी गई हैं। बल्कि हम यह कहेंगे कि अब अनुसूची की परिधि और विस्तृत हो गई है, क्योंकि उन रियासतों के कबायली लोग भी अब इसमें शामिल कर लिये गये हैं जो रियायतें की संघबद्ध हो गई है या प्रान्तों में मिल गई है। राजपूताना के उन प्रदेशों में, मध्य भारत की रियासतों में, विन्ध्य के पहाड़ी प्रदेशों में, हिमाचल में, तथा ट्रावनकोर और कोचीन के पश्चिमी घाटों में बसने वाली कबायली जातियों को मूल अनुसूची में नहीं रखा गया था, पर अब नई अनुसूची में इन सबको शामिल कर लिया गया है। यह एक बहुत बड़ा सुधार है, जिसका असर न केवल लाखों बल्कि भारतीय रियासतों में बसने वाले करोड़ों कबायली लोगों पर पड़ेगा।

सुधार की दूसरी बात इसमें यह की गई है कि आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् की स्थापना का उपबंध इसमें रखा गया है और देश के इतिहास में यह पहला मौका है, जब एक ऐसे परिषद् को अस्तित्व में लाने की बात कही गई है। अब कबायली जातियों के उत्थान के लिये महात्मा गांधी का आन्दोलन चल रहा था, उस समय भी प्रशासन के बारे में उन जातियों की कोई समिति नहीं गठित की गई थी। अनुसूचित क्षेत्रों के लिये यह पहली बार आदिम-जाति मंत्रणा परिषद् की स्थापना की जा रही है। निश्चय ही उनकी समुन्नति के लिये यह एक बड़ा कदम उठाया गया है। इतना ही नहीं कि आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् स्थापित होगी, बल्कि उस परिषद् में तीन चौथाई सदस्य होंगे, कबायली जाति के लोग। अगर ये लोग चाहें तो कबायली लोगों के उत्थान सम्बन्धी विधियों के निर्माण में तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था को चलाने में इस मंत्रणा-परिषद् से पर्याप्त लाभ लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आशंका मुझे इस बात की है कि हमारे कबायली बन्धु अभी भी उन उपबंधों से लाभ उठाने में संभवतः संकोच करेंगे और इनसे लाभ न उठा पायेंगे। देश के समतल भागों में बसने वाले कबायलियों को ही नहीं, बल्कि पहाड़ी प्रदेशों में और पहाड़ों पर रहने वाले सुदूरवर्ती हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में बसने वाले और छोटा नागपुर, ट्रावनकोर और कोचीन के पहाड़ों में बसने वाले कबायलियों को भी हमें उच्चस्तर पर लाना होगा। इन पहाड़ी प्रदेशों में अभी भी कितने ऐसे स्थान हैं जहां ईसाई उपदेशक नहीं पहुंच पाये हैं पर, मुझे खुशी है आपको यह बताने में कि हमारे कतिपय नये नये सामाजिक कार्यकर्ता ट्रावनकोर और कोचीन के पहाड़ी इलाकों में भी पहुंच रहे हैं। इन बन्धुओं के

[श्री ए.वी. ठक्कर]

सम्बन्ध में हम लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। एक उदाहरण देकर मैं अपने इस कथन की पुष्टि करूंगा। आसाम-कबायली समिति के साथ जब मैं आसाम के कबायली इलाकों में दौरा कर रहा था, उस समय दौरे के सिलसिले में मैं–समिति के अध्यक्ष श्री गोपीनाथ बारदोलोई, वहां के प्रसिद्ध मंत्री रेवरेंड निकल्स राय तथा समिति के और सभी सदस्य—सन् 1947 में पहली बार लुसाई और नागा पहाड़ियों में पहुंचा। समिति के सभी सदस्य यहां तभी पहली बार आये थे। मेरे जैसे आदमी की बात तो जाने दीजिये, आसाम के प्रधान मंत्री भी इससे पहले कभी उन इलाकों में नहीं पहुंचे थे। इस लिये इन कबायलियों के बारे में जितनी ही अधिक हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, वह देश के लिये हितकर होगा और इस तरह हम इन लोगों को अपने में मिलाकर देश को एक कर सकेंगे।

अभी उस दिन माननीय मित्र डॉ. कुंजरू ने मुझसे यह कहा कि "ठक्कर साहब, हमारे लिये आप एक दौरे का प्रबंध क्यों नहीं कर देते कि आसाम के बाहरी इलाकों में, जहां कबायली लोग बसते हैं यानी बालपारा, सादियां और तिरिप के इलाकों में जाकर मैं उनके संबंध में जानकारी हासिल कर सकूं।" उनके इस प्रश्न के उत्तर में मैं यहां यह कहता हूं कि अगर भारत सरकार इस सभा के 40 या 50 सदस्यों की यात्रा का प्रबन्ध कर दे और ये लोग कबायली इलाकों का दौरा करें, तो इससे उनको बहुत जानकारी मिलेगी और कबायलियों की समस्या का हल निकालने में बड़ी आसानी हो जायेगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह को भी अपने प्रान्त बिहार के बाहर के कबायलियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरे इलाकों में वह बहुत कम जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वह दूसरे इलाकों में भी जायें। बिहार के सिवाय देश के अन्य भागों में जहां भी कबायलियों के सम्बन्ध में जानकारी पाने के लिये वह यात्रा करना चाहें, इसके लिये मैं चाहता हूं कि खर्च वगैरह का इन्तजाम कर दिया जाये। आखिर केवल बिहार प्रान्त के कबायलियों की जानकारी पाने से देश भर के कबायलियों की जानकारी तो नहीं मिल पायेगी। देश में बिहार जैसे अन्य कितने ही प्रदेश हैं, जहां कबायली लोग बसते हैं और उन्हें चाहिये कि उन अन्य प्रदेशों के कबायलियों की भी चिन्ता करें, जहां इनके लिये उत्थान का काम करना बिहार की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। बिहार के कबायली लोग दूसरे प्रदेशों के कबायलियों की तुलना में बहुत ज्यादा उन्नत हैं। इसके लिये मैं उदाहरण आपके सामने रखूंगा। उरांव और मुंडा ये दो कबायली जातियां हैं और रांची जिले में, जो बिहार के कबायलियों का एक केन्द्र है, मुख्यतः यही दो जातियां पाई जाती हैं। उसी के पड़ौस में सरगुजा नाम की एक रियासत है, जो मध्य प्रान्त में है। सरगुजा में भी उरांव और मुंडा जातियां हैं और यहां की यह जातियां रांची की इन जातियों की अपेक्षा बीस गुना ज्यादा जंगली हैं। इन प्रदेशों में काम करने वाले मित्रों तथा साथी कार्यकर्त्ताओं से और मध्य प्रान्त के सरकारी कर्मचारिवृन्द की ओर से, जो यहां कबायलियों के कल्याण काम में लगे हुए हैं, जो कागजात अभी मिले हैं, उनको पढ़ने से मुझे यह मालूम हुआ है कि सरगुजा की उरांव और मुंडा जातियों के लोग अपने पहाड़ी स्थानों में उत्तर मैदान में आने के लिये किसी भाव पर तैयार नहीं हैं, चाहे उन्हें कितना लोभ क्यों न दीजिये। रांची के उरांव और मुंडों में तथा पाल की रियासत सरगुजा की इन्हीं जातियों में इतना जबरदस्त अन्तर है। दूसरी

एक बात यह भी है कि गत दो वर्षों ही के अन्दर कबायलियों की दशा सुधारने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है, इसकी जानकारी लोगों को बहुत ही कम है। दो वर्षों के अन्दर ही यानी 1947 से 1949 के भीतर बम्बई, मध्य प्रान्त तथा बिहार आदि प्रान्तों की सरकारों ने इस काम में आश्चर्यजनक प्रगति की है। इस की जानकारी हममें से बहुत कम लोगों का है। मैं आपको एक बात बताऊंगा और शायद यह कोई गोपनीय बात नहीं है, जिस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। डॉ. अम्बेडकर एक हफ्ता पहले मुझसे यह पूछ रहे थे कि "क्या कोई प्रान्तीय सरकार कबायली लोगों के उत्थान के लिये कोई व्यावहारिक काम भी कर रही है?" मैंने जवाब दिया "जरूर कर रही हैं। डॉ. अम्बेडकर, आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि विभिन्न प्रान्तों में इसके लिये क्या किया जा रहा है।" समय-समय पर मैं इन इलाकों में जाया करता हूं और वहां सामाजिक कार्यकर्ताओं को मशविरा दे आया करता हूं। बम्बई सरकार ने अभी हाल में यह व्यवस्था चालू की है कि प्रान्त के ग्यारह बारह जिलों को, जहां कबायली लोगों की आबादी का प्राधान्य है, पिछड़े हुए लोगों के लिये कई इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिये हैं। मध्य प्रान्त की सरकार ने भी ऐसा ही किया है। और कहीं बड़े पैमाने पर किया है। बम्बई और मद्रास के मुकाबिले में मध्य प्रान्त को बहुत पिछड़ा हुआ समझा जाता है। यहां कई रियासतें प्रान्त में मिला दी गई हैं और इन रियासतों की कबायली आबादी शेष समूचे प्रान्त की कबायली आबादी से कहीं अधिक है। पर यहां की सरकार कबायलियों की समुन्नति के लिये पानी की तरह रुपये बहा रही है। क्या आपने सुना है कि कोई प्रान्तीय सरकार कबायलियों की भलाई के लिये स्थापित एक विभाग पर पचास लाख रुपया सालाना खर्च करती है। मध्य प्रान्त की सरकार आज उनके लिये इतना खर्च कर रही है। मुझे मालूम नहीं कि उस प्रान्त के मुख्य मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल यहां उपस्थित हैं या नहीं, पर मैंने आपके सामने जो कहा है बिल्कुल सच है और इसके लिये मध्य प्रान्तीय सरकार को हमें बधाई देनी चाहिये। एक ही बात मैं और कहूंगा। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के इस सुझाव के संबंध में कि कबायली क्षेत्रों को केन्द्र प्रशासनाधीन कर दिया जाये, अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दे ही दिया है कि यह सुझाव ऐसा नहीं है कि इस पर गम्भीरता-पूर्वक कोई ध्यान दिया जाये। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने यह फर्माया है कि कबायली इलाकों को केन्द्र प्रशासनाधीन रखा जाये और उनके शासन का खर्च केन्द्र बरदाश्त करे। मैं पूछता हूं कि केन्द्र को क्या और कोई काम नहीं करना है? क्या उस कम कार्यभार है? केन्द्र पर तो पहले से ही दायित्वों का इतना भार है कि उस कबायली इलाकों के प्रशासन का भार डालना बहुत बड़ा बोझ उसके लिये हो जायेगा। त्रिपुरा मनिपुर, कूच-बिहार तथा भूपाल आदि कितनी रियासतें आज केन्द्र द्वारा प्रशासित हो रही हैं। फिर केन्द्र पर और अधिक भार क्यों लादा जाये?

और फिर यह काम वस्तुतः प्रान्तीय सरकारों का है। यह जरूर है कि इसके लिये निदेश केन्द्र से आना चाहिये और खर्च भी केन्द्र ही को करना चाहिये। आदिम जातियों की समुन्नति के नाम में जो खर्च लगेगा, उसकी एक बड़ी राशि केन्द्र से मिलनी चाहिये। पर उनकी समुन्नति का काम प्रान्तीय सरकारों को ही अपने हाथ में लेना होगा। केन्द्र उसको अपने हाथ में नहीं ले सकता है। केन्द्र के पास तो पहले से ही दायित्वों का बड़ा बोझ है। अन्तर्राष्ट्रीय मसलों को उसे देखना होगा, युद्ध और शान्ति संबंधी प्रश्नों को उसे देखना होगा और प्रान्तों को भी उसे निदेश देना ही होगा। इस लिये केन्द्र पर और दायित्व भार लादना वस्तुतः एक

[श्री ए.वी. ठक्कर]

अपराध करना होगा। अक्सर यह शिकायत की जाती है कि जो संविधान हम बना रहे हैं, उसमें सारी शक्ति केन्द्र अपने हाथ में लेता जा रहा है। यही बात इस सम्बन्ध में भी होगी। फिर आप केन्द्र को क्यों कहते हैं कि वह इस काम को भी अपने हाथ में ले ले? और वह भी उस सूरत में, जब कि यह काम केन्द्र का है नहीं। यह काम ऐसा है जिसके लिये कई संस्थाओं की जरूरत है। यह काम हमें दस वर्ष के अन्दर पूरा कर लेना है। दस साल के बाद तो स्थान-रक्षण की जो व्यवस्था है, उसे बिल्कुल उठा ही देना होगा। आवश्य ही इस व्यवस्था को उठाने के साथ हम उस विभाग को न उठा देंगे जो आदिम जातियों के कल्याणार्थ स्थापित होंगे। इस बात का मुझे पक्का विश्वास है कि यह विभाग बना रहेगा। पर दस साल के बाद स्थान-रक्षण की व्यवस्था को जरूर उठा देंगे। जिसको आज हम उनके आश्वासन के लिये रख रहे हैं। उस समय वह इतनी बड़ी तादाद में विधान मण्डलों में न आ सकेंगे, जितनी संख्या में वह आज आये हैं। इसलिये इस दस साल की लघु अवधि का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिये और यह तभी हो सकता है, जब कि कई एजेंसियां इस दिशा में काम करें। केवल केन्द्रीय शासन के काम करने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

मुझे बड़ी खुशी हो रही है, सभा को यह बताने में कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन नं. 20 का मैं समर्थन करता हूं। इसके द्वारा मूल अनुसूची की सारी बातें संक्षेप में रख दी गई हैं और इस अनुसूची की परिधि पहले से और व्यापक हो गई है। देश के सारे आदिमजातियों की कुल संख्या है, ढाई करोड़। इसमें सभी इलाकों के आदिमजाति के लोग आ गये। यदि राज्यों को हम इस अनुसूची में शामिल करते, तो करीब इनकी एक तिहाई से भी ज्यादा आबादी अपेक्षित रह जाती और खास करके रियासतों के आदिवासी उपेक्षित रह जाते, जिनकी जानकारी में हमें पहली बार हो रही है। रिसायतों के कबायली लोगों की कभी किसी ने चिन्ता नहीं की। उन तक पहुंचने की अनुमति ही पहले कहां मिलती थी? इसलिये मैं कहूंगा कि इस संशोधन 20 द्वारा मूल अनुसूची में बहुत सुधार हो गया है और मुझे आशा है कि भारत सरकार इनकी समुन्नति के लिये काफी धन की स्वीकृति देगी। इस समस्या के पीछे मूल प्रश्न है, खर्च का। केन्द्र आज किस तरह आर्थिक तंगिश में है यह मैं जानता हूं। पर यह स्थिति दो एक साल के अन्दर जाती रहेगी। उसके बाद केन्द्र को प्रति वर्ष कम से कम एक करोड़ रुपये प्रान्तों तथा रियासतों को इस काम के लिये मदद के रूप में जरूर देना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इस काम के लिये प्रान्तों की अपेक्षा रियासतों को अधिक रकम की जरूरत है।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, शुरू में ही मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त है। आदिम-जाति समिति को, जिसने देश भर का दौरा करके यह देखा कि कबायलियों को कैसी कठिन निर्योग्यताओं के अधीन अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, मसौदा समिति को भी इस बात के लिये बड़ा श्रेय प्राप्त होना चाहिये कि उसने योग्यता के साथ एक ऐसी अनुसूची तैयार करके यहां पेश की, जिससे कबायलियों की दशा सुधारने में बहुत बड़ी मदद मिल जायेगी। मैं एक ऐसे प्रदेश से आया हूं, श्रीमान, जो विभिन्न कबायली और आदिवासी लोगों से बसा हुआ है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस अनुसूची से देश के दलित वर्गों के समुत्थान के इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्भ हो रहा है। मैं इस बात का गर्व अनुभव कर रहा हूं कि

अब इस नई व्यवस्था में उन लोगों को भी समुन्नत स्थान मिलेगा, समुन्नति का अवसर मिलेगा, जो शताब्दियों से उपेक्षित होते आ रहे हैं।

मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। अनुसूची की दो एक बातों के सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा। माननीय मित्र श्री जयपाल ने पैरा 3 के सम्बन्ध में एक संशोधन रखा है कि "अनुसूचित क्षेत्रों" के साथ "अनुसूचित जातियां" शब्द भी जोड़ दिये जायें। प्रान्तों में बहुत सी अनुसूचित जातियां ऐसी हैं, जो एक जगह नहीं बसी हैं, बल्कि तमाम प्रान्त में इधर-उधर बिखरी हुई हैं। विधान मण्डलों में इनको प्रतिनिधान देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रौढ़ मताधिकार की अपनी योजना के अनुसार ही 75 हजार की आबादी पर एक प्रतिनिधि लिया जायेगा। पर कबायली लोगों की आबादी एक जगह बसी हुई नहीं है। वे लोग हर प्रान्त में यत्र तत्र बिखरे हुए रूप में आबाद हैं इसलिये मैं नहीं समझता कि अपनी योजना के अनुसार इनको विधान मण्डलों में काफी जगह मिल सकेगी। मद्रास की विधान सभा में कुल सदस्य हैं 215 और उनमें कबायली जातियों का केवल एक प्रतिनिधि है। प्रस्तुत अनुसूची के भाग 2 में आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् की स्थापना का उपबंध रखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मंत्रणा-परिषद् के तीन चौथाई सदस्य प्रान्तीय विधान-सभा से लिये जायेंगे। जब तक यहां कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जाती, जिसके अनुसार इन बिखरे हुए कबायलियों को विशेष प्रतिनिधान प्राप्त हो सके, कबायली लोग अधिक संख्या में विधान सभाओं में नहीं पहुंच सकते हैं और न मंत्रणा-परिषद् में पहुंच सकते हैं। इस लिये मेरा यह ख्याल है कि हमें कोई न कोई उपाय ऐसा निकालना चाहिये, जिससे कबायलियों के लिये मंत्रणा-परिषद् में पहुंचना सम्भव हो सके।

यदि मंत्रणा-परिषद् के लिये विधान-सभा से पर्याप्त सदस्य पाना सम्भव न हो, तो एक दूसरा सुझाव यह भी दिया गया है कि मंत्रणा-परिषद् खुद सदस्य वरण कर ले। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि मन्त्रणा-परिषद् के लिये केवल ऐसे ही लोगों का वरण किया है, जो कबायलियों के समुत्थान के लिये काम कर रहे हों, जिनको कबायलियों के साथ पूरी सहानुभूति हो।

मैं जानता हूं कि दक्षिण में बहुत सी कबायली जातियां हैं, मसलन टोडा, पुलिया आदि जातियां जिनकी आबादी धीरे-धीरे घटती जा रही है। अभी हाल में ग्रीस के राजकुमार पीटर जब नीलागरि आये हुए थे, तो उन्होंने टोडा जाति के समुत्थान के मसले का अध्ययन किया था और उनके समुत्थान के लिये कुछ सुझाव मद्रास सरकार को आपने दिये थे। माननीय मित्र श्री ठक्कर बापा ने यह कहा ही है कि उनके समुत्थान के लिये न केवल सरकार को ही काम करना होगा, बल्कि उन सब लोगों को, जिन्हें इनके समुत्थान को वास्तविक चिन्ता है, उनको समुन्नति के लिये उपाय सोचना होगा।

आदिम-जाति मंत्रणा-परिषद् के बारे में यहां यहा कहा गया है, श्रीमान, कि यह परिषद् केवल एक मंत्रणा-दायी निकाय होगा। मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ ऐसा उपबंध यहां अवश्य रखना चाहिये कि मंत्रणा-परिषद् की सिफारिशें आदेश मूलक समझी जायें और उन पर सरकार को अमल करना लाजिमी हो। यदि ऐसा उपबंध रख दिया जाता है, तो आदिम-जातियों के समुत्थान के लिये हमारी यह व्यवस्था बहुत कुछ कारगर हो सकेगी।

[श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले]

यहां यह भी कहा गया है, श्रीमान्, कि कबायलियों के लिये स्थान रक्षण की व्यवस्था केवल दस साल के लिये रहनी चाहिए। श्री ठक्कर बापा ने आदिमजातियों के लिय, दलितों के लिये बड़ी सेवाएं की हैं, पर स्थान रक्षण सम्बन्धी व्यवस्था की अवधि के बारे में मैं उनसे सहमत नहीं हूं। कबायलियों की दशा इतनी खराब है कि दस साल के अन्दर तो कोई भी सरकार इनकी दशा नहीं सुधार सकती है, यह असम्भव कार्य है। इसलिये मेरा ख्याल यह है कि उन के हर तरह समुन्नत होने के लिये जो हमने दस साल की अवधि सोच रखी है, वह काफी नहीं है। हमें इस ख्याल को हटा देना चाहिये कि दस साल के अन्दर हम इनकी दशा सुधार सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मसौदा-समिति द्वारा प्रस्तुत की हुई इस अनुसूची 5 का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

***श्री जयपाल सिंहः** अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य ही की बात है कि मुझे शुरू में ही अपनी तथा अपनी यात्रा की चर्चा करनी पड़ रही है, ताकि माननीय मित्र श्री ठक्कर बापा के भ्रम को दूर कर सकूं। अभी कुछ मिनट पहले आपने यह फरमाया है कि मैं अपने प्रान्त बिहार की बाबत जानकारी जरूर रखता हूं, पर बिहार के बाहर के आदिम जातियों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपने यह भी कहा कि मैंने बहुत कम भ्रमण किया है, यह संकेत दिया है कि निजी सौजन्य से तथा अपने पूंजीपति सहायकों की मदद से वह मेरी अखिल-भारतीय यात्रा की व्यवस्था कर देंगे, ताकि पश्चिमोत्तर भारत आदि प्रदेशों की यात्रा कर मैं और बुद्धिमान बन जाऊं, कुछ और जानकारी हासिल कर लूं। मैं समझता था कि वह मुझे अच्छी तरह जानते हैं, पर मैं देखता हूं कि वे मुझे नहीं जानते हैं। मैं उन्हें बताऊं कि कई वर्षों तक मैं मध्य प्रान्त में रह चुका हूं। वहां कोई ऐसी रियासत नहीं है, जहां मैं न गया होऊं। मैं उन्हें यह भी बताऊं कि पूर्वी बंगाल में भी मैं पांच साल तक रह चुका हूं और वहां मेरा एक काम यह भी था कि वहां के अगम्य, अन्तर्वर्ती प्रदेशों में जाकर, निवासियों की दशा का अध्ययन किया करता था। पश्चिमी बंगाल, जहां आदिवासियों की एक बड़ी आबादी रहती है, मेरे घर के बिल्कुल पड़ौस में पड़ता है। साल साल तक मैं जमशेदपुर में रह चुका हूं, जहां पश्चिमी बंगाल तथा अन्य जगहों से काफी आदिवासी आया करते हैं। ठक्कर बापा तो आसाम गये हैं, एक उपसमिति के साथ अभी केवल दो साल पहले। पर मैं उनको बताऊं कि आसाम के हर कबायली प्रदेश में मैं गया हूं और न सिर्फ एक बार, दर्जनों बार। न मद्रास से मैं अपरिचित हूं और न बम्बई से। मैं उन लोगों में नहीं हूं, जो अपनी यात्रा के प्रोग्राम का विज्ञापन किया करते हैं, जैसा कि माननीय ठक्कर बापा या अन्य लोग करते हैं। मैं बिना कोई शोर मचाये अपने आदिवासियों के बीच घूमा करता हूं। और उनको समझने की कोशिश करता हूं और शीघ्रता में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता हूं। गत ग्यारह वर्षों से यथाशक्ति मैंने यह कोशिश की है कि गैर आदिवासियों को यह समझा सकूं कि आदिवासियों में आत्म-सम्मान की कितनी प्रबल भावना है, उनकी सस्कृति में कितनी बारीक बातें हैं। कतिपय विदेशी मानव विज्ञान वेत्ताओं के अधीन रहकर दो साल तक अध्ययन करने का मुझे मौका मिल चुका है। मुझे नहीं मालूम कि श्री ठक्कर साहब को कितनी आदिवासी भाषाओं की जानकारी है।

***श्री ए.वी. ठक्करः** एक की भी नहीं।

***श्री जयपाल सिंहः** मुझे खुशी है कि आप इतने सच्चे हैं कि यह स्वीकार कर लिया कि आप एक भी आदिवासी भाषा नहीं जानते हैं।

***श्री ए.वी. ठक्करः** बस एक गुजरात के कबायलियों की भाषा मैं जरूर जानता हूं।

***श्री जयपाल सिंहः** उनके जीवन के इस सान्ध्य काल में भी मैं उन्हें यह सुझाव दूंगा कि अगर उनके कार्यकर्त्ता उन्हें अनुसूचित जातियों की, आदिवासियों की या अन्य दलित वर्गों की, जिनके बीच उन्हें काम करना पड़ता है—भाषा सीख लें, तो वह और अच्छा काम कर सकेंगे। मसलन दक्षिणी बिहार तथा छोटा नागपुर के इलाकों में काम करने वाले उनके कार्यकर्त्ता अगर सन्थाली, उराव या मुंडारी भाषायें सीख जायें—और मैं बता दूं कि इन सबको जानता हूं—तो आदिवासी उनको इतने सन्देह की दृष्टि से नहीं देखेंगे, जितना कि वह उनको देखते हैं। गैर आदिवासियों के प्रति वह बड़े ही संदिग्ध रहते हैं और उनका संदिग्ध होना ठीक ही है, क्योंकि गैर कबायली लोगों ने उनके साथ सदा डिकुओं की चाल चली है। 'डिकू' शब्द मेरा निकाला हुआ नहीं है, जैसा कि बिहार के कई मंत्री प्रायः कहा करते हैं। आज करीब अस्सी वर्षों से मेरी पैदाइश के बहुत पहले से यह शब्द अधिकार-अभिलेख में आ रहा है। अतीत काल में गैर आदिवासियों ने वह 2 कारनामे किये हैं कि उनसे आदिवासियों को भारी क्षति पहुंची है।

अवश्य ही, इस बात को भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि उनमें से श्री ठक्कर सरीखे चन्द्र व्यक्तियों ने इन असहायों की अमूल्य सेवाएं की हैं। मैं अपना गुण-गान करने के लिये यहां नहीं खड़ा हुआ हूं, पर सभा को यह जरूर बता देना चाहता हूं कि भारत का या बाहर का मैंने उतना कम भ्रमण नहीं किया है, जितना कि मेरे माननीय मित्र ने। मैं नहीं जानता कि माननीय श्री ठक्कर साहब ने कितनी बार दुनिया का भ्रमण किया है। मैं कम से कम दो बार सारी दुनिया घूम चुका हूं। पांच साल तक मैं अफ्रीका में रह चुका हूं। पालिनेसिया के आदिवासियों को मैंने देखा है। आज की तथा पूर्ववर्त्ती शासन कालीन आदिवासी सदस्य को मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की है, न कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, जैसा कि आज देश के बहुत से लोगों की प्रवृत्ति है। अच्छा यह होगा कि हम इस समस्या की तह तक पहुंचने की कोशिश करें, आदिवासियों के मन की बात जानने की कोशिश करें, ताकि हम समझ सकें कि उनसे हम किस तरह वह सब काम करा सकते हैं जो उनकी समुन्नति के लिये हम आवश्यक समझते हैं। आखिर 24.8 लाख आदिवासियों को अपनी गोद में लिये नहीं फिर सकते हैं। उनको अपने पांव पर खड़ा होने की शिक्षा हमें देनी होगी। अपने आदरणीय मित्र की एक भूल और मैं सुधार देना चाहता हूं। उनकी संख्या ढाई करोड़ ही नहीं है, जैसा कि वह फरमाते हैं। उनकी संख्या है, 24.8 लाख। वह ढाई करोड़ से ज्यादा हैं। पर मैं इस संख्या के प्रश्न पर कोई बहस नहीं करना चाहता।

***अध्यक्षः** 24.8 लाख तो ढाई करोड़ से कम होता है।

***श्री जयपाल सिंह:** अस्तु, माननीय मित्र श्री वक्तृता में आशा की एक सुनहली झलक अवश्य वर्तमान है। मुझे विशेषत: खुशी इस बात की है कि अपने भाषण में आप राजनीतिक देशबंदी की भावना से सर्वथा ऊपर उठ गये हैं और इस समस्या पर एक महामना व्यक्ति की तरह विचार करने की कोशिश की है, जो उनके और पूर्व वृत्त के सर्वथा अनुरूप है। मूल अनुसूची के सम्बन्ध में जो कतिपय संशोधन आपने भेजे थे, मैं उनको लेकर बड़ा चिन्तित था। किन्तु सौभाग्य से आपने उनको पेश करने का इरादा छोड़ दिया और उनको सर्वथा भुला दिया। अवश्य ही ऐसा करने के लिये आपको साहस से काम लेना पड़ता है। मैं आपकी राजनीतिज्ञता की प्रशंसा करता हूं।

निस्सन्देह यह संशोधित अनुसूची मूल अनुसूची से कहीं अधिक व्यापक है। उसके उपबंधों को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से ही मैंने अपने संशोधन रखे हैं और आशा करता हूं कि डॉ. अम्बेडकर और उनकी मसौदा-समिति कुछ ऐसा यंत्र जरूर निकालेंगे कि मेरे पांचों संशोधनों में सुझाई गई बातों को किसी तरह अनुसूची में समाविष्ट किया जा सके। समूची स्थिति में अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। न केवल देश स्वातंत्र्य के कारण, बल्कि रियासतों के विलीनीकरण की व्यवस्था के कारण इस आदिमजाति समस्या का समूचा नक्शा ही बिल्कुल बदल गया है। संख्या की दृष्टि से अब आदिवासियों को कहीं भी अपने को असहाय समझने की जरूरत नहीं है। हां, उड़ीसा की समस्या अवश्य ही एक कठिन समस्या है। वह इसलिये नहीं कि समस्या ही वहां अजेय है, बल्कि इसलिये कि वहां की समस्यायें तब तक हल नहीं की जा सकती हैं, जब तक कि धन की तुरन्त उनको मदद न मिले। उत्तम से उत्तम सद्‌भिप्राय रखते हुए भी उड़ीसा अपने पिछड़े हुए वर्गों के लिये, आदिवासियों तथा दलितों के लिये, अधिक कुछ नहीं कर सकता है, जब तक कि केन्द्र से एतदर्थ उसे कोई विशेष निधि न प्राप्त हो। आसाम के साथ भी यही बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मित्र पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपने यहां अपनी तुच्छ शक्ति के अनुसार इस काम का श्री गणेश कर दिया है। मेरी समझ से पचास लाख की रकम कोई ऐसी बड़ी रकम नहीं है, जिस पर हम उमंग से फूले न समायें। पर मुझे खुशी इस बात की जरूर है कि आपने काम शुरू कर दिया है। इस काम के लिये जो धन-राशि आपने निकाली है, उसके आगे एक शून्य और बढ़ा दें, तो अवश्य ही मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। असल में इस काम के लिये जरूरत धन की है और यही कारण है कि कुछ लोगों ने जो इसके लिये एक अवधि सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है, उससे मैं मतैक्य नहीं रखता हूं। बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि यहां यह रखा ही न जाये कि अमुक अवधि की समाप्ति पर ये प्रावधान प्रवर्तन में न रह जायेंगे। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि दस बरस या बीस तक हम आदिवासियों और दलितों को शेष लोगों के स्तर पर लाने के लिये काम करते रहें और उसके बाद राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करके इस बात का अनुसंधान करायें कि कहां तक समुत्थान सम्बन्धी उपायों को सफलता मिली है; उन उपबन्धों को समाप्त कर दिया जाये या उनकी अवधि और बढ़ा दी जाये। दस साल के बाद इन सब बातों का अनुसंधान करके ही ये उपबन्ध समाप्त किये जायें या प्रवर्तमान रखे जायें। कल्पना जगत में रहना और यह सोचना कि दस साल के अन्दर इनकी दशा सुधर जायेगी, एक भारी बेवकूफी होगी। यह काम दस बरस में नहीं पूरा हो सकेगा, इसके लिये और लम्बी अवधि अपेक्षित है। दस साल तो लग जायेंगे आपको इसमें ही कि

आदिवासियों को इस बात पर राजी कर लें कि अपने स्थानों से निकल कर मैदानी इलाकों में आकर वह हम लोगों को सहयोग देने लग जायें। सन्देह का जो वातावरण आज उन लोगों में वर्तमान है, उसे हमें दूर करना होगा। हमें चाहिये यह कि यथार्थवादी की तरह इस समस्या पर विचार करें। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि दस साल की समाप्ति पर स्थिति का अवलोकन किया जाये। उस समय हम लोग तथा देशवासी लोग सभी इस बात का पता लगा सकेंगे कि इनकी समुन्नति के लिये हम क्या कर पाये हैं और तब हम इस बात का फैसला करेंगे कि इन उपबंधों को आगे दस या पन्द्रह साल के लिये चालू रखा जाये या नहीं। मैं इस विचार के सर्वथा विरुद्ध हूं कि इन उपबंधों के लिये दस साल की या अन्य कोई कालावधि निर्धारित कर दी जाये और उस अवधि की समाप्ति कर ये उपबंध प्रभावी न रह जायें।

अगर मद्रास से आये हुए मित्रों की अनुमति हो, तो चन्द शब्द मैं अपनी हिन्दी में—जो मैंने बिहार में सीख रखी है–कह दूं।

श्री जयपाल सिंहः सभापति जी, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि यह इन्तजाम, यह नया बन्दोबस्त, यह नया शिड्यूल उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं आप से यही अर्ज करूंगा कि आपकी जो ट्रांसलेशन कमेटी है, वह शिड्यूल ट्राइब्स का उल्था वनजाति न करे। आपके यहां जो उल्था किया गया है, उन सबमें आदिवासी शब्द का व्यवहार नहीं किया गया है। क्यों? मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं कि क्यों? आदिवासी का व्यवहार क्यों नहीं किया गया और वन जाति क्यों? हमारी कौम में कई ऐसे हैं, जो वन में नहीं रहते। आप भी पश्चिमी बंगाल में रहती हैं, वहां एक भी जंगल नहीं है, वहां एक पेड़ का निशान भी नहीं है। तो वह वनजाति कैसे हुई? वनजाति तो वही हो सकती है, जो जंगल में आबाद हो। मैं चाहता हूं कि जो आपकी ट्रांसलेशन कमेटी है, उसको आपकी तरफ से फरमान हो जाये कि शिड्यूल्ड ट्राइब का उल्था आदिवासी होना चाहिये। आदिवासी शब्द में इज्जत है। आप उनको क्यों पुराने लफ्जों में गाली देना चाहते हैं, वनजाति यानी जंगलों का रहने वाला। मेरी पहली बात यह हुई।

दूसरी बात मेरी यह है कि यहां कई एक मेम्बरान हैं जो दुनिया को दिखलाना चाहते हैं कि उनका हृदय सहानुभूति खून से बह रहा है। पहले क्या हुआ वह बात आप छोड़ दीजिये। मगर मैं आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि वे यह कहते हैं कि भविष्य में वे अपनी जान देने को तैयार हैं। जब कभी, जनाब, इलेक्शन आते हैं, तो ऐसे ऐसे मैनीफैस्टो और ऐसे-ऐसे कागज़ निकाले जाते हैं।.....

***माननीय श्री धनश्याम सिंह गुप्त** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): अगर अनुमति हो, तो एक बात कहने के लिये माननीय सदस्य की वक्तृता में हस्तक्षेप करूं? अब इस शब्द का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस शब्द को हमने हटा दिया है।

***श्री जयपाल सिंहः** किस शब्द को?

***माननीय श्री धनश्याम सिंह गुप्तः** 'वन जाति' शब्द को, जिसका आपने अभी हवाला दिया है। हमारी कठिनाई यह है कि हम मसौदे का अनुवाद कर रहे हैं, न कि उसका सुधार।

***श्री जयपाल सिंहः** मुझे खुशी है कि आप में अब अधिक बुद्धि आ गई है।

***सरदार भूपेन्द्र सिंह मान** (पूर्वी पंजाब : सिख): इसकी जगह नया शब्द क्या रखा गया है?

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्तः** अब हम 'जन जाति' शब्द प्रयोग में ला रहे हैं।

***अध्यक्षः** इसके लिये एक दूसरा शब्द है 'आदिमजाति', जो बिहार में काम करने वाले एक संगठन या निकाय के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है।

श्री जयपाल सिंहः खैर जो भी हो, आपने मेरे परामर्श को सुन लिया है। मेरे विचारानुसार तो आदिवासी ही होना चाहिये। अगर आप सैंट्रल प्राविंसेज और बम्बई की तरफ जायें तो वहां आप देखेंगे कि बहुत ही जगहें है, जहां आदिवासी सेवा मण्डल वगैरह काम कर रहे हैं। इस शब्द का बहुत दिनों से व्यवहार हो चुका है। इस शब्द को सब आदिवासी समझते हैं। तो अगर आप इस शब्द का व्यवहार करें, तो में कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि इसके कोई गलत माने हो सकते हैं। मेरे विचार में तो आदिवासी ही होना चाहिये। मैं आदिवासी हूं। मैं अपने को आदिवासी कहता हूं। तो फिर आप मुझे क्यों दूसरा नाम देंगे। मैं बड़े हर्ष से आदिवासी शब्द का स्वागत करूंगा।

इसके बाद, सभापति जी, मैं आपसे कह रहा था कि कई आदमी हैं कि जिनका दिल जलता है। क्यों? आदिवासियों की सेवा करने के लिये। ऐसे ऐसे जितने सदस्य हों, चाहे यहां विधान-परिषद् में या इसके बाहर, उनसे मैं यही कहूंगा कि काम ज्यादा कीजिये और बात कम कीजिये। जब तक अपने दिल में, अपने हृदय में, जिस जाति के मध्य में आप सेवा करते हैं, उसका आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो आप सेवा करने के काबिल नहीं हैं। जिस प्रकार से छह हजार मील से अंग्रेज़ हिन्दुस्तान का पुनरुत्थान करने के लिये यहां पधारे थे, उस किस्म का उद्देश्य अगर आपके दिल में है, तो आप आदिवासी इलाकों से निकल जाइये। "Physician, heal thyself".

यही मैं आपसे कहूंगा। पहले अपने को सुधार लीजिये, फिर दूसरों को सुधारने की चिन्ता कीजिये।

सभापति जी, इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं।

***अध्यक्षः** मगर आप हिन्दी में क्यों चले गये? मैंने समझा था कि कुछ मद्रासी भाइयों के लिये आपको कोई खास बात हिन्दी में कहनी थी।

***श्री जयपाल सिंहः** चन्द शब्द मैं मद्रासी जबान में भी कहना चाहता हूं, श्रीमान।

***अध्यक्षः** कुछ जरूरत नहीं। वह मान लेंगे कि आप कई भाषायें जानते हैं।

***श्री जयपाल सिंहः** चन्द शब्द अपनी भाषा में कह कर, जो कि इस देश की प्राचीनतम भाषा है, मैं अपनी बात समाप्त ही करने जा रहा था। यह देश

हम लोगों के प्राचीनतम वर्ग का ही देश है और श्री मुंशी को पाकर हम लोग बहुंत खुश हैं। इस अनुसूची 5 का समर्थन मैं अपनी वेश भूषा यानी धनुष वाण, व्याघ्र चर्म, कर्ण कुण्डल, ढोल और वंशी धारण करके नहीं कर रहा हूं, जिससे श्री मुंशी को निराशा हुई होगी। मुझे खेद है कि मैं उनको निराश कर रहा हूं। पर अगले जाड़े में उस संगठन को शिक्षा प्रदान करके, जिसके मुख्य जन्मदाता श्री मुंशी हैं, मैं प्रसन्नता लाभ अवश्य करूंगा। उन्होंने मुझे आमंत्रण भी दे रहा है कि नर्तकों का एक दल लेकर मैं पश्चिमी भारत में पहुंचूं। उस मौके पर मैं यह दिखा दूंगा। कि आदिवासी लोग शेष भारतवासियों को क्या सीख दे सकते हैं।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा : जनरल): मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने क्या कभी आदिवासी वेश भूषा धारण भी की है?

***श्री जयपाल सिंहः** आखिर मि. दास यह क्यों समझते हैं कि मैं वह पोशाक कभी पहनता ही नहीं, जिसे हमारी जाति वाले पहना करते हैं। सहयोग तभी होगा, जब उभय पक्ष परस्पर सहयोग देने पर राजी हों। अविश्वास और शंका की जो भावना पहले दोनों तरफ वर्तमान थी, वह दोनों ही तरफ से उठ जानी चाहिये। गैर आदिवासियों को मित्र के रूप में आदिवासियों के पास पहुंचना चाहिये। और फिर आदिवासियों को भी अपना समुचित स्थान, संविधान द्वारा देश के राष्ट्रीय जीवन में जो उनको सम्मान का स्थान प्राप्त होने जा रहा है, उसे ग्रहण करना चाहिए। मैं जानता हूं, प्रत्युत्तर में आदिवासी लोग अवश्य सद्भावना प्रदर्शित करेंगे। गत आम चुनाव के समय दौरे में चक्रधरपुर में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाऊं, आपने कहा था कि गत छह हजार वर्षों से आदिवासी लोग अपनी मर्यादा के लिये, अपने आत्म सम्मान के लिये लगन के साथ संघर्ष करते आ रहे हैं। अब आगे हमेशा चिरकाल तक वह यही कोशिश करेंगे कि भारत के सम्मान को क्षति न पहुंचने पाये। पांचवीं अनुसूची पर आये हुए इन संशोधनों का मैं बड़ी खुशी से समर्थन करता हूं।

***अध्यक्षः** क्या अभी और कई भाषणों की जरूरत है?

***श्री विश्वनाथ दासः** सन् 1934 के विधान को तोड़ने के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं सन् 1937 का चुनाव लड़ा था। चुनाव हो जाने के बाद कांग्रेस का आदेश मिला कि हम लोग रूढ़ि भंग करने का काम प्रारम्भ कर दें। उसके बाद हमारी दूसरी मंजिल आई उस समय, जब सन् 1935 के विधान को तोड़ने के उद्देश्य से हम प्रान्तों में शासनारूढ़ हो गये और अपने मंत्रिमण्डल बना लिये, पर आज हमें यह देखकर घोर आश्चर्य हो रहा है कि सन् 1935 के विधान से हम अब अधिक चिपकते जा रहे हैं। यही नहीं, बल्कि आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो सन् 1935 के अन्य उपबंधों को रखना ही काफी नहीं है। आज हम सन् 1935 के विधान के विधान उपबंधित अंशतः अपवर्जित क्षेत्रों को भी रखने में खुश हो रहे हैं। इन सब बातों से दुखी हो कर मैं इस सोच विचार में पड़ गया हूं कि पहले हमने जो कदम उठाया था, वह क्या गलत और बुद्धिमत्ताशून्य था? आज हम सन् 1935 के विधान के वृहद् अंश को उठाकर ज्यों का त्यों यहां रख रहे हैं। हमारा यह काम ठीक है या गलत; इसका निर्णय मैं देश की भावी संततियों पर छोड़ता हूं। पर मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जिस तरह हम यहां चल रहे हैं अधिकांश विषयों के सम्बन्ध में हम जो सन् 1935 के विधान के महत्वपूर्ण अंशों को यहां स्थान दे रहे हैं, उससे मैं किसी

[श्री विश्वनाथ दास]

तरह खुश नहीं हूं। चालीस साल तक लड़ने के बाद बड़ी मुश्किलों से तो हम कहीं उस साम्प्रदायिक विष को दूर कर पाये हैं, जो सन् 1909 के मारले मिण्टो सुधार द्वारा तथा बाद के सन् 1919 और 1935 के अधिनियमों द्वारा भारतीय राजनीति में प्रविष्ट कराया गया था। इस बुराई को दूर करने के लिये हमें घोर संघर्ष करना पड़ा है, बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। इस बुराई को दूर करने में देश को और हम को बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। देश दो भागों में—पाकिस्तान, हिन्दुस्तान—बंट गया, तब कहीं जाकर यह बुराई दूर हो पाई।

पर हम अब क्या कर रहे हैं? आदिमजाति मंत्रणा-परिषदों का अनुसूचित क्षेत्रों का संविधान में उपबन्ध करके हम एक नया जहर, एक प्रजातीय जहर पैदा कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, श्रीमान् इस उपबंध से लाभान्वित कौन होगा? जहां तक हो सका है स्थिति के निराकरण के लिये हम ने भरपूर कोशिश की है। यथा शक्ति अपने आदर्शों पर डटे रहने की हमने कोशिश की है। हमारी राष्ट्रीय महा सभा दुनिया का एक प्रबलतम साम्राज्य विरोधी संगठन मानी गई है। रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष को करने वाली एक महत्तम संस्था दुनिया में यह मानी गई है।

मताधिकार पाने के लिये अमरीका के निग्रो आज सौ साल से भी ज्यादा अरसे से लड़ते आ रहे हैं। पर अमेरिका के अन्य नागरिकों के समान उन्हें अभी तक पूर्ण मताधिकार नहीं प्राप्त हो पाया है। जब अमेरिका की यह हालत है, तो अन्य राज्यों की तो बात ही जाने दीजिये। जहां उन्हें असंख्य यातनायें भुगतनी पड़ रही हैं।

हमने डंके की चोट से यह ऐलान कर दिया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बिना किसी जाति, वर्ग या सम्प्रदाय भेद के बराबर समझा जायेगा और यहां नागरिकता के समान अधिकार सबको प्राप्त रहेंगे। हमने इतने ही से सन्तोष नहीं किया, बल्कि देश के लाखों या यों कहिये कि करोड़ों लोगों को, जिन्होंने मताधिकार पाने की कभी कल्पना भी नहीं की थी, फौरन मताधिकार दे दिया। प्रौढ़ मताधिकार की व्यवस्था द्वारा हमने देश के सभी लोगों को, सभी कबायलियों को मताधिकार दे दिया है। इतना ही नहीं, संविधान में मूल अधिकारों को स्थान देकर हमने ऐसे अल्पतम अधिकारों और विशेष अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित कर दी है, जो मनुष्य के लिये सर्वथा आवश्यक हैं। मैं यह आपसे अपील करता हूं, श्रीमान्, कि इतना सब कर देने पर अब हमारे लिये क्या यह उचित है कि अंशतः अपवर्जित क्षेत्रों का, मंत्रणा-परिषदों का तथा इसी तरह की अन्य बातों का उपबंध करके हम वर्ग भेद, स्थान भेद पैदा करें? ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने तो कबायली जातियों को तथा अनुसूचित क्षेत्रों को यहां सैकड़ों वर्षों तक इसलिये रखा कि दुनिया के सामने बतौर नुमाइश के वह उन्हें पेश करना चाहते थे, ताकि अपना यहां बने रहने का औचित्य बता सकें। पर इस बुराई को बनाये रखने का, उसे स्वामित्व प्रदान करने का अब हमें क्या प्रयोजन रह गया है? अब इनको रखने की कतई कोई जरूरत नहीं है। हम इस कार्यक्रम को पूरा करने का वायदा कर चुके हैं कि कबायलियों का, दलितों का, देश की आम जनता का, सबका—जीवन स्तर हम ऊंचा करेंगे और उनको सभ्य बनायेंगे। फिर इन कबायली इलाकों को, मंत्रणा-परिषदों और इसी तरह की अन्य बातों को संविधान

में रखने की अब क्या जरूरत है? मैं अपील करता हूं कि इस सम्बन्ध में सभा सोच समझ कर तर्क से काम ले।

माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह ने यहां यह शिकायत की है कि उनके परोक्ष में इस मसले पर परामर्श करने के लिये सदस्यों की गोष्ठियां हुई हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस अविश्वास-भाव का परित्याग कर दें। जिन लोगों के प्रति वह ऐसा अविश्वास कर रहे हैं वह ऐसे लोग नहीं हैं जिन पर अविश्वास करने की कोई गुंजाइश हो। इन लोगों ने तो यथाशक्ति प्रयास इसी बात का किया है। सभी सम्बन्धित हितों को संतोष हो सके और ऐसी योजना उपस्थित की जाये, जो यहां सबको मान्य हो जाये। यही कारण है, जिसके लिये कि खुद माननीय ने मसौदा समिति को धन्यवाद दिया है, ठक्कर बापा को धन्यवाद दिया है जिनसे बढ़कर कबायली लोगों के हितों का अनन्य सेवक मिलना मुश्किल है। दो व्यक्तियों की तुलना करना एक बड़ा अप्रिय या घृणित काम है पर मुझे कोई चारा नहीं रह गया है। माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह की तुलना मैं ठक्कर बापा से नहीं करूंगा। मेरे लिये या किसी के लिये भी यह एक हास्यास्पद बात ही होगी कि किसी एक व्यक्ति को वह चाहे कितना ही महान क्यों न हो, हम जहाड़ी जातियों का एक मात्र प्रतिनिधि मान लें। हमारे माननीय मित्र आवास करते हैं, आलीशान इम्पीरियल होटल के तिमंजिले पर एक सुसज्जित फ्लैट में। ठक्कर बापा से आप जैसे व्यक्ति की तुलना करना अशोभनीय मालूम पड़ता है।

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य से मैं यह कहूंगा कि व्यक्तियों का उल्लेख यहां न करें।

***श्री विश्वनाथ दासः** मैं समझता हूं, श्रीमान्, और ऐसा नहीं करूंगा। पर ठक्कर बापा की निन्दा के प्रति अपना आक्रोश मैं अवश्य व्यक्त करूंगा।

मसौदा समिति ने जो मसौदा इस सम्बन्ध में हमारे सामने रखा है, उसके लिये मैं कहूंगा, श्रीमान, कि समिति को मैं कुछ अधिक धन्यवाद नहीं दे सकता हूं। पर मैं यह जरूर मानता हूं कि एक सर्वमान्य योजना तैयार करने में समिति को जो सुबह से शाम तक विभिन्न व्यक्तियों, हितों और वर्गों के पास दौड़कर जाना पड़ा है, उनकी हाजिरी देनी पड़ी है, इसमें उसे बड़ी कठिनाई और असुविधायें भुगतनी पड़ी हैं।

इन अनुसूचियों के अधीन कबायली लोगों की समुन्नति के लिये हमने कुछ पर्याप्त उपबंध रखे हैं, यह संतोष मुझे नहीं हो रहा है। इन लोगों को और सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें। सन् 1940 में उड़ीसा में जो घटनायें घटी थीं, वह मुझे याद हैं। सवार और पन (जिसको यहां आपने आदिवासी माना है) जातियों के आपसी मतभेद को लेकर जो फिसाद पैदा हुआ था, वह मुझे याद है। उस फिसाद में सैकड़ों की जानें गईं और ऐसे समय जब हम जेलों में बन्द थे और वहां प्रान्तीय शासन चल रहा था, भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 93 के अधीन उनके मतभेद का फल यह हुआ था कि कबायलियों (सवार जाति वाले) और ईसाई मत को अपनाने वालों (पन जाति वाले) में लड़ाई हो पड़ी थी। सवार जाति वालों का यह विश्वास था कि ईसाई धर्म को अपना लेने वाले पन लोग उनके शोषक

[श्री विश्वनाथ दास]

हैं और उनको उनके धन, भूमि, सम्पत्ति से वंचित कर रहे हैं। इस संघर्ष का अन्ततोगत्वा परिणाम यह हुआ कि हजारों सवार जाति वाले जेलों में डाल दिये गये। क्या बिना भेदभाव किये सभी कबायलियों को आप सुविधायें दे देना चाहते हैं? जो उपबंध आप रख रहे हैं, उनसे तो सभी कबायलियों के लिये अपने को आदिवासी घोषित करने की सुविधा मिल जायेगी और ये सब ही आदिवासी होने का दावा करने लगेंगे। कुछ दिन हुए बिहार के एक सज्जन मेरे पास पहुंचे और एक चुनाव सम्बन्धी प्राधिकारी के खिलाफ यह शिकायत की कि वह उनका नाम आदिवासी सूची में नहीं रखता है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** क्या मैं इन हरिजन सज्जन का नाम जान सकता हूं, जिनका आप यहां हवाला दे रहे हैं?

***अध्यक्ष:** इसकी जरूरत नहीं है।

***श्री विश्वनाथ दास:** इस घटना से सभा यह समझ सकती है कि जाल में फंसाने के लिये चारा किस तरह फेंका जाता है। यहां इस बात के लिये रास्ता खुला रख छोड़ा गया है कि गैर आदिवासी भी आदिवासी होने का दावा कर सकें। माननीय मित्र को चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना यही है कि इन उपबंधों से गैर आदिवासियों के लिये यह सम्भव हो जायेगा कि अपने को आदिवासी कह कर उनको प्राप्त होने वाली सुविधाओं का वह दावा करें।

माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह ने 6 हजार वर्ष पूर्व के इतिहास का यहां उल्लेख किया है। उनसे इतिहास पर बहस करने मैं नहीं आया हूं। इतिहास और पुराणों की जो बात आप कर रहे हैं, उससे हम सब भी परिचित हैं। इसलिये एक दीर्घकाल पूर्व के निकाले गये सिद्धान्तों की चर्चा करना यहां गलत है। आदिवासी और अनादिवासी प्रश्न को यों ही न छोड़ देना चाहिये, क्योंकि वैसा होने से राजनीतिज्ञ लोग इससे अपना स्वार्थ साधन करने लग जायेंगे। उड़ीसा में ब्राह्मणों का एक वर्ग है, श्रीमान्, जो अपने को आर्य अर्थात् जंगल ब्राह्मण कहता है। उनको आप आदिवासी मानेंगे या गैर आदिवासी? आदिवासी और गैर-आदिवासी के बीच अन्तर करने से जो मुसीबतें पैदा होंगी, उनसे मुल्क को आखिर बचाया क्यों न जाये? मैंने ठक्कर बापा से आग्रह किया है कि इस विपत्ति जनक 'आदिवासी' पद संहति से देश को बचाया जाये। जब तक ऐसी पदसंहतियों को रखेंगे, उन्हें मान्यता देंगे, तब तक वर्गों में अन्तर और भेदभाव बढ़ता ही जायेगा और आर्य या जंगल ब्राह्मण जैसे वर्ग यही कोशिश करेंगे कि आदिवासी में उनको शुमार किया जाये। इसलिये मैं श्री जयपाल सिंह से, ठक्कर बापा से, यही अनुरोध करूंगा कि पार्थक्य की मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाले उन अन्तरों को स्थायी न बनाया जाये। यह एक अभिशाप है, जिसने भारत को अब तक विभक्त रखा है।

मैं खुद यह दावा करता हूं, श्रीमान्, कि श्री जयपालसिंह की तरह मैं भी आदिवासी हूं, इस देश का मूल वासी हूं। अगर इनको जमीन की जरूरत है, अवश्य इनको जमीन दी जाये। अगर इनकी समुन्नति सम्बन्धी योजनाओं के लिये धन की

जरूरत है, तो केन्द्रीय शासन को धन देना चाहिए। मैं केन्द्र से यह आग्रह करूंगा कि दलित एवं पीड़ित वर्गों की उन्नति के लिये जो भी धनराशि अपेक्षित हो, उसको वह मंजूर करे। यह सब किया जाये, पर अतीत कालीन या आज कल होने वाले अत्याचारों की बारम्बार यहां भर्त्सना करना और साथ ही इस भेदभाव को स्थायी भी बनाना सर्वथा निष्प्रयोजन है। मैं श्री जयपाल सिंह से तथा उनके विचार वाले सभी लोगों से यह अपील करूंगा कि वे अपने प्रभाव का उपभोग करें, देश की भलाई में और देश को इस पार्थक्य की मनोवृत्ति से बचाने में।

बस एक बात और मुझे कहनी है, श्रीमान्। इस अनुसूची के उपबंधों के समर्थन में मैंने इतना सब कुछ तो कहा, पर अब चन्द बातें इसकी आलोचना में भी कहूंगा। हमने केन्द्र द्वारा मनोनीत राज्यपालों को ही रखने का उपबन्ध नहीं किया है, बल्कि राजप्रमुखों को भी रखने का उपबंध किया है, जो पैतृक आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जायेंगे और हटाये न जा सकेंगे। अपनी स्थिति और सम्पत्ति के कारण जीवन भर के लिये स्थायी शासक बने रहने के कारण, इनको महती प्रतिष्ठा प्राप्त रहेगी। बड़ा प्रभाव प्राप्त रहेगा; जिसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इन शक्तिशाली पदाधिकारियों के हाथ में आप महत्वपूर्ण अधिकार दे रहे हैं। उनको इतने अधिकार देकर आप उन्हें इस बात का मौका देंगे कि आदिवासियों को मिला कर वह अपने प्रभाव को और बढ़ा सकें। किसी राजप्रमुख पर लांछन लगाने के हेतु मैं यह सब नहीं कह रहा हूं। अपने उड़ीसा प्रान्त का जो मुझे अनुभव है, उसके आधार पर मैं यह कह रहा हूं। वहां कुछ शासकों ने आदिवासियों से मिलकर वहां की स्थिति से तथा आदिवासियों की प्रजातीय और साम्प्रदायिक भावना से लाभ उठाकर कांग्रेस तथा शासन के विरुद्ध एक मोर्चा कायम करने की कोशिश की है। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि जो अधिकार आज आप राजप्रमुखों को दे रहे हैं, उनके बल पर वह बड़ी खुराफात पैदा कर सकते हैं। जवाब में आप यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की स्वीकृति का उपबंध जब रखा गया है, बिना उसकी स्वीकृति के राजप्रमुख कुछ नहीं कर सकता है। इसलिये वैसी कोई क्षति नहीं पहुंच सकती है, जिसकी कि आशंका यहां की जा रही है। पर मैं यह कहता हूं कि आदिम-जाति मंत्रणा-परिषद् की स्वीकृति हो जाने पर राष्ट्रपति के लिये अगर यह असम्भव नहीं तो बड़ा कठिन तो हो ही जायेगा कि वह मंत्रणा-परिषद् की सिफारिशों को नामंजूर करे। ऐसी हालत में मैं यह अनुभव करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारों को राजप्रमुखों के हाथ में छोड़ना ठीक न होगा।

अपने प्रान्त में मैं यह जानता हूं कि भूमि के हस्तान्तरण के बारे में जो वर्तमान विधि है, उसे गैर-आदिवासियों के हक में बड़ा कठोर बना दिया गया है। जब ऐसी बात है, अर्थात् जब जनता के प्रतिनिधि मंत्रीगण ही भूमि, न केवल भूमि के हस्तान्तरण के बारे में, बल्कि भूमि के स्वामित्व के बारे में भी पहाड़ी जातियों के हित-रक्षार्थ ऐसी सुनिश्चित और महत्वपूर्ण कार्यवाही स्वतः कर रहे हैं, तो फिर संविधान में ऐसा खण्ड क्यों रखा जाये, जिसके अधीन वर्तमान अधिनियमों के विषय में भी हस्तक्षेप किया जा सकता हो। आप ऐसा क्यों करें? मैं मसौदा समिति से पुनः यह कहूंगा कि ऐसा करना अनावश्यक है, अवांछनीय है। ऐसी हालत में, इस प्रस्ताव की कुछ बातों से चाहे मुझे कितनी भी सहानुभूति क्यों न हो, इसका विरोध करने के सिवाय मुझे और कोई चारा नहीं है।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में कतई दखल नहीं देना चाहता था। पर माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह की दो बातों की वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। उन्होंने यह शिकायत की है कि हममें से कुछ लोगों ने, जिन्हें इस समस्या से दिलचस्पी है, इस पर विचार करने के लिये जो गोष्ठी बुलाई थी, उसमें उन्हें न बुलाया गया और न उनकी राय ली गई। उनको यह मानना होगा कि उनका यह दोषारोप अनुचित है। बिहार के श्री यदुवंश सहाय को हमने उन्हें बुलाने के लिये तीन बार भेजा था। उन्होंने श्री यदुवंश सहाय से तो यह कह दिया कि अभी आता हूं, पर आये आप कतई नहीं।

दूसरी बात आपने यह कही है कि चूंकि वह आदिवासी वेशभूषा में धनुष वाण धारण कर यहां नहीं आये, इससे मुझे बड़ी निराशा हुई है। अवश्य ही मुझे बड़ी निराशा हुई है, पर इस कारण से नहीं कि वह आदिवासी पोशाक में यहां नहीं पधारे हैं, बल्कि इसलिये कि अनुसूची के इस नये मसौदे को जिसके द्वारा मूल अनुसूची में बहुत सुधार कर दिया गया है, उन्होंने अपना पूरा हार्दिक समर्थन नहीं किया है। सभा के कई सदस्यों ने जिसमें कई प्रान्तीय मिनिस्टर भी शामिल हैं, जो जैसा कि ठक्कर बापा ने बताया है, बड़े पैमाने पर सुधार-कार्य कर रहे हैं, यह महसूस किया कि मूल अनुसूची सन्तोषजनक नहीं है। इसलिये अनुसूची में परिवर्तन करना दो कारणों से आवश्यक समझा गया। पहला कारण तो यह है कि हमने समूचे देश के लिये एक तरह की संहिता निर्धारित कर रखी है, पर कबायलियों की समस्या सर्वत्र एक सी नहीं है। एक प्रान्त में उनकी समस्या कुछ है तो दूसरे प्रान्त में कुछ है। यहां तक कि एक जिले में भी उनकी कुछ समस्या है, तो दूसरे जिले में कुछ और। सुतरां मूल अनुसूची को ज्यों का त्यों रखने से उनके हितों को नुकसान पहुंचता। दूसरा कारण यह है कि भाग 3 की रियासतें भी अब इस योजना में शामिल की जा रही हैं। पुराने मसौदे का सम्बन्ध केवल प्रान्तों से था। इसलिये समूचे देश के लिये एक तरह की योजना तैयार करना जरूरी था, जो सभी अनुसूचित जातियों पर समान रूप से लागू होता हो।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मूल अनुसूची में यह सब संशोधन करने का हमारा मूल उद्देश्य वही है, जो माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह का है, अर्थात् यह कि अनुसूचित जातियों का जीवन आगे चलकर उसी स्तर पर लाया जा सके, जिस पर कि देश के अन्य लोगों का है और ये लोग राष्ट्र में घुल मिल कर एक हो जायें। इनके सामाजिक जीवन में और यहां के अन्य लोगों के सामाजिक जीवन में कोई अन्तर न रह जाये। जहां तक इस उद्देश्य का सम्बन्ध है, हम सब एकमत हैं। पर माननीय मित्र श्री जयपाल ने उस बैठक में आने की क्यों नहीं कृपा की, जिसमें इस प्रश्न पर विचार करने के लिये उन्हें आमंत्रित किया गया था, इसे मैं समझ सकता हूं। वस्तुत: इस उद्देश्य की प्राप्ति वह जिस तरीके से करना चाहते हैं, वह उससे सर्वथा भिन्न है, जिसे कि इस सभा ने और राष्ट्रीय महासभा ने अपना रखा है। माननीय मित्र की यह विचारधारा दो बातों पर आधृत है। पहली बात है तथ्य सम्बन्धी प्रश्न, जिस पर हम दोनों में सर्वथा मतैक्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम दोनों के दृष्टिकोणों में अन्तर है। मैं पहली बात को लेता हूं।

उनका ख्याल यह है कि सभी कबायली जातियां, जो हर प्रान्त में तीस से लेकर पचास वर्गों में विभक्त हैं और जिन सबको वह आदि वासी कहते हैं, वह

सब एक समुदाय के अंग हैं। अपने प्रान्त के बारे में मैं जो कुछ जानकारी रखता हूं, उसके आधार पर मैं यह कहूंगा कि उनका यह ख्याल बिल्कुल गलत है। हर प्रान्त में अपनी अलग अनुसूचित जातियां हैं, जो नस्ल के ख्याल से, भाषा के ख्याल से, सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों के ख्याल से एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। एक जाति दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और साम्य की कोई बात इनमें नहीं पाई जाती है। हमारे अपने प्रान्त में ही पांच कबायली जातियां हैं, दुब्ला, भील, कोली, बरदा तथा गोंद–और संविधान के अनुसार ये सभी अनुसूचित जाति मानी जायेंगी। मैं इन जातियों के बारे में कुछ जानकारी जरूर रखता हूं। ये सब एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। मुझे विश्वास है कि कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि बिहार के सन्थाल, बम्बई के गोंड या भील और आसाम के नागा ये सब एक नस्ल के हैं और इनका धार्मिक तथा सामाजिक आचार विचार एक है। ये भिन्न-भिन्न सभ्यताओं को मानते हैं और भिन्न-भिन्न युग में इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इन सबको शेष देश के स्तर पर लाने के लिये हमें भिन्न-भिन्न बातों का ख्याल रखना होगा। इन सबको आदिवासी कहना और एक समुदाय का मानना न केवल असत्य बात ही होगी, बल्कि ऐसा करना तो इन जातियों के लिये सर्वथा ही अहितकर होगा। इसलिये, समाज में इनको समुचित स्थान दिलाने के हेतु यह आवश्यक है कि उनकी समुन्नति के लिये भिन्न-भिन्न उपाय अपनाये जायें। हम लोगों में तथा माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह के दृष्टिकोण में यही मुख्य अन्तर है। इस देश में आदिवासी लोग एक सुसम्बद्ध समूह या वर्ग के रूप में नहीं हैं कि कोई आदमी उनकी ओर से बोल सके या उनको एक समूह के रूप में सुसम्बद्ध करने के लिये कोई आन्दोलन चला सके। अगर ऐसी कोई नीति यहां बरती जाती है, तो उससे खुद आदिवासियों का ही बड़ा अहित होगा।

दूसरी बात जिस पर हम लोगों में सैद्धान्तिक मतभेद है, वह यह है। हम यह चाहते हैं कि देश की अनुसूचित जातियों को उन जातियों के विघातक आघात से सुरक्षित रखा जाये, जिनकी संस्कृति उनकी संस्कृति से समधिक उन्नत और प्रभावशाली है और उनको इस बात के लिये उत्साहित किया जाये कि वह अपने जातीय जीवन और संस्कृति को और समुन्नत करें। पर इसके साथ ही हम यह भी चाहते हैं। कि अनुसूचित जातियां अपने देश के राष्ट्रीय जीवन में भी अधिकाधिक हाथ बटाती जायें। यह न होना चाहिये कि राष्ट्र से असम्बद्ध होकर ये लोग पृथक्-पृथक् वर्गों के रूप में या छोटे-छोटे जनतन्त्र के रूप में स्थायी होकर यहां रहें। हम चाहते यह हैं कि अपनी स्वकीय संस्कृति का विकास करते हुए ये लोग राष्ट्र में मिलकर एक हो जायें। पर श्री जयपाल सिंह के संशोधनों से तो यह मालूम पड़ता है कि वह चाहते ये हैं कि वे लोग छोटे-छोटे असम्बद्ध वर्ग के रूप ही में बने रह कर स्वतंत्र रूप से अपना विकास करें और राष्ट्र में घुल मिल न जायें। हमारा और माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह का, दोनों का लक्ष्य यही है कि सभी अनुसूचित जातियों के लोग देश के राष्ट्रीय जीवन में घुल मिलकर एक हो जायें। पर उनके संशोधन से हमारे इस लक्ष्य की पूर्ति न हो सकेगी; बल्कि उल्टे इससे उसको क्षति पहुंचेगी।

माननीय मित्र का एक संशोधन यह भी है (संशोधन नं. 27) कि "Scheduled Areas" शब्द जहां कहीं भी आये हैं, उनके आगे सर्वत्र "Scheduled Tribes"

[श्री के.एम. मुन्शी]

शब्द भी रख दिये जायें। इसका मतलब तो यह होगा कि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य यदि किसी नगर में आ जाता है और वहां जीवन में घुल मिलकर एक हो जाता है, तो उस हालत में भी उसे वहां के समाज का सदस्य न समझा जाये, बल्कि अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में ही उसे देखा जाये, और उसकी हिफाजत के लिये वहां भी एक आदिम-जाति मंत्रणा-परिषद् जरूर रहे। इससे तो यह समूचा उद्देश्य ही विनष्ट हो जायेगा, जिसे वह अपनी अभीष्ट बताते हैं।

अपने दूसरे संशोधन नं. 33 के द्वारा वह यह चाहते हैं कि पैरा 4 के उप पैरा (2) में ये शब्द जोड़ दिये जायें:-

"It shall be the duty of the Tribes Advisory Council generally to advise the Governor or Ruler of the State on all matters pertaining to be administration, advancement and welfare of the Scheduled Tribes of the State."

(आदिमजाति मंत्रणा-परिषद् का साधारणत: यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के अनुसूचित जातियों के प्रशासन, समुन्नति तथा कल्याण से सम्बद्ध सभी विषयों पर राज्य के राज्यपाल या शासक को मंत्रणा दे।)

मूल उप पैरा में 'प्रशासन' शब्द जान बूझ कर नहीं रखा गया है और इस कारण से कि प्रशासन शब्द के अन्तर्गत तो कलक्टर, इन्सपेक्टर या पुलिस सुपरिन्टेंडेंट की नियुक्ति की बात भी आ जायेगी। प्रशासन शब्द के अन्तर्गत तो वनों का प्रशासन, शान्ति और सुव्यवस्था का प्रशासन ये सभी बातें आ जायेंगी। अवश्य ही हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि इन सभी बातों के बारे में राज्यपाल मंत्रणा-परिषद् से राय ले। यहां हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि अनुसूचित जातियों की समुन्नति तथा कल्याण से सम्बद्ध विषयों के बारे में ही राज्यपाल मंत्रणा-परिषद की राय ले। अगर यहां 'प्रशासन' शब्द भी जोड़ दिया जाता है, जैसा कि माननीय मित्र संशोधन नं. 23 के द्वारा चाहते हैं, तो इसका मतलब तो यह होगा कि किसी जिला के भी किसी छोटे अनुसूचित क्षेत्र में भी, बिना मंत्रणा-परिषद् की राय लिये कुछ किया ही न जा सकेगा। अवश्य ही यह एक ऐसी स्थिति है, जो कभी वांछनीय नहीं कही जा सकती है।

माननीय मित्र जयपाल सिंह ने दूसरे संशोधन पेश किये हैं, नं. 47 और 52 के। इसी तरह श्री युधिष्ठर मिश्र ने अपना संशोधन नं. 46 पेश किया है। इन सभी संशोधनों का आशय यह है कि आदिम-जाति मंत्रणा-परिषद् एक छोटा-मोटा ऐसा निकाय हो, जिसे इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों के बारे में राज्यपाल को मंत्रणा तथा सहायता देने की शक्ति प्राप्त रहे। इसका मतलब तो यह है कि इन सभी विषयों के बारे में एक ऐसी उत्तरदायी शासन व्यवस्था होनी चाहिये, जिसके अधीन कि राज्यपाल मंत्रिमण्डल की बात न मानकर सभा की बात माने। यह सर्वथा निरर्थक बात है। पहली बात को ही लीजिये। मूल पैरा में यह कहा गया है कि संसद या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होता है, उसके बारे में यदि राज्यपाल यह समझता हो

कि अनुसूचित जातियों के हितार्थ उस अधिनियम का कोई खास अंश उस क्षेत्र पर लागू न होना चाहिये, तो उसे ऐसा निर्णय करने की स्वतन्त्रता रहेगी। क्या आप यह समझते हैं कि छोटी-छोटी अनुसूचित जातियों की हर मंत्रणा-परिषद् के लिये यह सम्भव हो सकेगा कि संसद के व्यापक अधिनियम के संबंध में वह किसी एक निश्चय पर पहुंच सकें या यह तय कर सकें कि अधिनियम के अमुक-अमुक उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर न लागू किये जायें? प्रस्तुत मसौदे के अनुसार विनियमों के बार में राज्यपाल मंत्रणा-परिषदों से राय जरूर लेगा, पर अधिसूचना के लिये यह कहा गया है कि किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम के बारे में अगर राज्यपाल का यह ख्याल हो कि किसी केन्द्रीय अधिनियम या उस राज्य के विधान-मंडल को किसी अधिनियम का कोई अंश अनुसूचित जातियों के उस क्षेत्र पर लागू न होना चाहिए, तो इसके लिये मंत्रणा-परिषद् से परामर्श लेना उसके लिये जरूरी नहीं होगा क्योंकि ऐसी कार्यवाही के बारे में प्रान्तीय शासन पर ही हमने अपना पूर्ण विश्वास रख छोड़ा है। भूमि के हस्तान्तरण के बारे में तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण से सम्बद्ध अन्य विषयों के बारे में जो विनियम बनाये जायेंगे, उनके बारे में मंत्रणा परिषद् की राय लेना जरूरी होगा। यह तो स्वाभाविक है कि परामर्श के प्रसंग में अनुसूचित जातियों के हित शासन के समक्ष जरूर रखे जायेंगे, पर यहां यह उपबंध रखना कि राज्यपाल को इस सम्बन्ध में मंत्रणा-परिषद् की राय के अनुसार ही निश्चय करना होगा, ठीक न होगा क्योंकि ऐसे उपबंधों से खुद अनुसूचित जातियों का अहित होगा। हो सकता है कि परामर्श ले लेने पर राज्यपाल यह महसूस करे कि परिषद् की राय ठीक नहीं है। उदाहरण के लिये आप महाजनी या साहूकारी की बात को ही लीजिये। मुझे विश्वास है कि मेरी तरफ के आदिवासी साहूकारी सम्बन्धी कानून का क्या-क्या असर पड़ेगा, इसे कभी नहीं समझ सकते हैं। और अगर इसके बारे में उनकी राय ली जाती है, तो मुझे विश्वास है कि वह साफ-साफ कह देंगे कि इस कानून का एक अक्षर भी वह नहीं समझ सकते हैं। इसलिये यहां 'advice' शब्द की जगह 'consulted' शब्द जानबूझ कर रखा गया है।

इस सम्बन्ध में अन्तिम संशोधन है, प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना का जिसमें यह कहा गया है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केन्द्रीय संसद के हाथ में होना चाहिये। मेरी राय में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह समस्या सर्वत्र एक सी नहीं है। न केवल प्रान्तों में ही बल्कि जिलों में भी इस समस्या का रूप विभिन्न है। संसद के लिये यह सम्भव न हो सकेगा। कि विधि द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करे। इसलिए मेरा कहना यही है कि समूची अनुसूची जिस रूप में यहां रखी गई है, वह अनुसूचित जातियों के लिये हितकर है और सभा को इसे इसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये।

***अध्यक्षः** अब मैं बहस बन्द कर देना चाहता हूं। डॉ. अम्बेडकर जवाब में कुछ कहना चाहते हैं, क्या?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जवाब में जो कुछ कहना आवश्यक था, उसे श्री मुंशी ने यहां कह दिया है। मैं नहीं समझता कि मैं कोई और बात कह कर सभा को लाभान्वित कर सकता हूं।

***अध्यक्ष:** तो अब मैं संशोधनों पर मत लेता हूं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मेरे संशोधनों पर मत लेने की जरूरत नहीं है। उस पर मसौदा समिति, अगर विचार करना चाहे, तो विचार कर ले।

***श्री के.एम. मुन्शी:** आपके कुछ संशोधन तो बहुत ही बहुमूल्य हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** पर सभा तो उनको अस्वीकार ही करेगी।

***अध्यक्ष:** प्रथम दो पैरों को हम पास कर चुके हैं। अब लिया जाता है, तीसरा पैरा। इस पर पहला संशोधन है श्री जयपाल सिंह का, जो 23 नं. का है।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:—

"कि ऊपर के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 3 में जहां कहीं भी 'scheduled areas' शब्द आये हैं, उनके आगे 'scheduled tribes' शब्द रख दिये जायें और 'whenever so required by the Government of India" (या जब भी भारत शासन इस प्रकार की अपेक्षा करे) शब्द निकाल दिये जायें।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रस्ताव यह है:–

"कि प्रस्तावित पैरा 3 पांचवीं अनुसूची का अंग समझा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पैरा 3 पांचवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

पैरा 4

***श्री युधिष्ठिर मिश्र:** अपने संशोधन नं. 31 और 32 को वापस लेने की मैं अनुमति चाहता हूं।

संशोधन नं. 31 और 32 सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

***श्री जयपाल सिंह:** श्री मुंशी ने जवाब में जो कुछ कहा है, उसे मैं माने लेता हूं और अपना संशोधन नं. 33 वापस लेना चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन नं. 33 वापस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में, प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा 3 में तथा पैरा 5 के उप-पैरा (1) में 'राज्यपाल

या शासक' शब्दों की जगह 'राज्यपाल या शासक के परामर्श से राष्ट्रपति' शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अन्य सभी संशोधनों पर मत नहीं लिये जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये सभी संशोधन पैरा 4 के सम्बन्ध में हैं। अब प्रस्ताव यह है:

"कि प्रस्तावित पैरा 4 पांचवीं अनुसूची का अंग समझा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पैरा 4 पांचवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

पैरा 5

***श्री युधिष्ठिर मिश्र:** संशोधन नं. 46, 48 और 51 को, जो मेरे नाम से हैं, मैं वापस लेना चाहता हूं।

सभा की अनुमति से ये संशोधन वापस लिये गये।

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) में 'as the case may be' (यथा स्थिति) शब्दों के आगे 'on the advice of the Tribes Advisory Council' (आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् की राय पर) शब्द जोड़ दिये जायें।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (2) में "in any such area" शब्द निकाल दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है:

"कि उक्त संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (2) में 'consulted' शब्द की जगह 'been so advised by' शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (4) में 'all' शब्द के आगे 'notifications and' शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (5) में 'No' शब्द के आगे 'notification or' शब्द रखे जायें।"

***अध्यक्ष:** बाकी जो संशोधन हैं, वह श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के हैं और मेरा ख्याल है कि वह यह नहीं चाहते हैं कि उन पर राय ली जाये। सो अब प्रस्ताव यह है:

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

"कि पांचवीं अनुसूची का प्रस्तावित पैरा 5 उस अनुसूची का अंग समझा जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

पैरा 5 पांचवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

पैरा 6

***अध्यक्ष:** अब आते हैं संशोधन नं. 185, 186 और 187। मैं समझता हूं कि श्री नज़ीरुद्दीन अहमद यह नहीं चाहते हैं कि इन पर मत लिया जाये। अब प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) में 'President may by order' (राष्ट्रपति आदेश द्वारा) शब्दों की जगह 'President may by law' (राष्ट्रपति विधि द्वारा) शब्द रखे जायें।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है:

"कि सूची 1 (सप्तम सप्ताह) के संशोधन नं. 20 में प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (2) में,—

(क) 'such order may be' (ऐसे किसी आदेश में) शब्दों की जगह 'such law may' (ऐसी किसी विधि में) शब्द रखे जायें;

(ख) 'to the President' (राष्ट्रपति को) शब्दों की जगह 'to the Parliament' (संसद को) शब्द रखे जायें; तथा

(ग) 'but save as aforesaid, the order made under such paragraph (1) of this paragraph shall not be varied by any subsequent order' (किन्तु उपर्युक्त रीति से अन्यथा इस कंडिका की उपकंडिका (1) के अधीन निकाला गया आदेश किसी अनुगामी आदेश से परिवर्तित नहीं किया जायेगा) शब्द निकाल दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रस्ताव यह है:

"कि पांचवीं अनुसूची का प्रस्तावित पैरा 6 इस अनुसूची का अंग समझा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पैरा 6 पांचवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

पैरा 7

प्रस्तावित पैरा 7 पांचवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

***अध्यक्ष:** अब प्रस्ताव यह है:

"कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची यथा प्रस्तावित रूप में संविधान का अंग समझी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पांचवीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई

षष्ठ अनुसूची

***अध्यक्ष:** अब हम छठीं अनुसूची को लेते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं, श्रीमान्:

"कि पैरा 1 के उप-पैरा (1) में 'the tribal areas' शब्दों के पूर्व 'subject to the provisions of this paragraph' शब्द रखे जायें।"

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

मूल मसौदे में केवल इतना ही कहा गया था कि आदिमजाति क्षेत्र वह क्षेत्र माने जायेंगे, जो इस अनुसूची से संलग्न सारिणी में दिये गये हैं। सारिणी में दिये गये इन क्षेत्रों की सीमा को व्याख्यापित करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया था। अब महसूस यह किया जाता है कि सारिणी के दिये गये इन क्षेत्रों की सीमा को व्याख्यापित करने का अधिकार राज्यपाल को मिलना आवश्यक है। राज्यपाल को यह अधिकार देने के लिये ही संशोधन में रखे गये इन शब्दों को जोड़ने का सुझाव दिया जा रहा है।

***अध्यक्षः** संशोधन नं. 99 भी तो पैरा 1 के बारे में है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** अनुमति हो तो उसे भी पेश कर दूं?

***अध्यक्षः** हां, उसे भी आप पेश कर सकते हैं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं प्रस्ताव यह रखता हूं, श्रीमानः

"कि पैरा 1 उप-पैरा (3) के स्थान पर यह उप-पैरा रखा जायेः

'(3) The Governor may, by public notification—

(a) include any area in Part I of the said Table,

(b) create a new autonomous district,

(c) increase the area of any autonomous district,

(d) diminish the area of any autonomous district,

(e) unite two or more autonomous districts or parts thereof so as to form one autonomous district, and

(f) define the boundaries of any autonomous district:

Provided that no order shall be made by the Governor under clauses (b), (c), (d) and (e) of this sub-paragraph except after consideration of the report of a Commission appointed under sub-paragraph (1) of paragraph 14 of this Schedule.' "

[(3) राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा—

(क) उक्त सारिणी के भाग (क) में किसी क्षेत्र को डाल सकेगा;

(ख) नया स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा;

(ग) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा;

(घ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा;

(ङ) दो या अधिक स्वायत्तशासी जिलों या उनके भागों को मिलाकर एक स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा; तथा

(च) किसी स्वायत्तशासी जिले की सीमायें परिभाषित कर सकेगा:

परन्तु राज्यपाल इस उपकंडिका के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन कोई आदेश इस अनुसूची की कंडिका 14 की उपकंडिका (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही निकाल सकेगा।]

इस संशोधन में नई बातें रखी गई हैं, उस पैरा (3) के खण्ड (ङ) और (च) में, जिसकी ओर सभा का ध्यान जाना चाहिए। यहां खण्ड (ङ) में जो नई बातें रखी गई हैं, उनको रखने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति विशेष में हो सकता है कि दो या अधिक स्वायत्तशासी जिलों को मिलाकर एक जिला बना देना जरूरी हो जाये। खण्ड (च) की जरूरत इसलिए है कि हो सकता है कि विभिन्न आदिम जातियों के बीच झगड़ा पैदा हो जाने पर जिले की सीमाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ जाये।

परन्तुक में एक परिवर्तन किया गया है। इस परन्तुक को अगर आप मूल परन्तुकों से मिला कर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस उप पैरा 3 के साथ मूल मसौदे में दो परन्तुक रखे गये थे। प्रथम परन्तुक के अनुसार राज्यपाल खण्ड (ख) या (ग) के अधीन काम कर सकता था, आयोग की सिफारिश के आधार पर। पर खण्ड (घ) या (ङ) के अधीन चलने के लिये उसके लिये यह जरूरी था कि सम्बन्धित स्वायत्तशासी जिलों की जिला परिषदों से स्वीकृत एक संकल्प वह प्राप्त कर ले और तभी वह खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन कार्यवाही कर सकता था। सोचा यह जा रहा है कि उप पैरा (3) के विभिन्न अंशों के लिये दो परन्तुक रख कर विभेद बरतना आवश्यक नहीं है। अच्छा यह होगा कि उस उप-पैरा की सभी बातों के लिये एक तरह का उपबंध रखा जाये और यह उपेक्षित रखा जाये कि राज्यपाल इस अनुसूची के पैरा 14 के उप-पैरा (1) के अधीन नियुक्त होने वाले आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही इस सम्बन्ध में आदेश निकाल सकेगा।

***अध्यक्ष:** जहां तक इस छठी अनुसूची का संबंध है, सारी अनुसूची में परिवर्तन का सुझाव नहीं रखा गया है, बल्कि उसके चन्द पैराग्राफों में परिवर्तन करने के लिये संशोधन उपस्थित किये गये हैं। इसलिए मैं चाहता यह हूं कि इस अनुसूची के हर पैरे पर पृथक्-पृथक् विचार कर लिया जाये। पहले पैरा के बारे में मसौदा-समिति की तरफ से दो संशोधन आये हैं, जो पेश हो चुके हैं। अब मैं उन संशोधनों को लेता हूं जिनकी सूचनायें आई हैं। संशोधन-सूची में जो दूसरा खण्ड छपा है, उसमें कई संशोधन आ गये हैं।

(संशोधन नं. 3489, 3490 तथा 3491 पेश नहीं किये गये।)

[अध्यक्ष]

एक संशोधन इस आशय का है कि 1 से 16 तक के पैरे हटा दिये जायें। मैं नहीं जानता कि इस पर विचार किया जाये या नहीं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है।

***अध्यक्षः** ठीक है। तो सदस्यगण हर पैरा पर अपना मत दे सकते हैं।

संशोधन नं. 101 अब लिया जाता है, जो श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के नाम में है।

***श्री कुलधर चालिहाः** मेरा एक संशोधन है, जो 100 नं. का है। मैं चाहता यह हूं, श्रीमान, कि दोनों परन्तुक हटा दिये जायें। पर उक्त संशोधन में केवल एक परन्तुक को ही हटाने की बात कहीं गई है।

पैरा 14 को अगर पढ़ें, तो देखेंगे कि उसमें यह कहा गया है:

"provision of educational and medical facilities and communications in such districts;

the need for any new or special legislation in respect of such districts; and the administration of the laws, regulations and rules made by the District and Regional Councils."

(ऐसे जिलों में शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाओं और संचार के उपबंधों की; ऐसे जिलों के बारे में किसी नये या विशेष विधान की आवश्यकता की; तथा

जिला और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, विनियमों और नियमों के प्रशासन की।)

किन्तु इन विषयों का उल्लेख आपको पैरा 3 में नहीं मिलेगा। वहां अन्य विषयों का ही उल्लेख है। जब तक कि पैरा 14 में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर दिया जाये, मैं नहीं समझता कि उसके अन्दर ये विषय आ सकते हैं। इसलिए मेरा अभिप्राय यह है कि इस समूचे पैरा को ही हटा दिया जाये, ताकि आयोग रखने की कोई आवश्यकता न रहे और राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा यह सब कर ले।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** मसौदा-समिति द्वारा रखे गये संशोधन नं. 134 को अगर माननीय सदस्य पढ़ें, तो उन्हें अपनी इस शंका समाधान मिल जायेगा। उसमें ये सभी बातें आ गई हैं।

***श्री कुलधर चालिहा:** यह संशोधन मैंने पढ़ा है। कुछ हद तक ये बातें उसके अन्दर आ जाती हैं, पर मैं यह नहीं चाहता हूं कि यह सब आयोग द्वारा किया जाये। राज्यपाल के करने का मतलब ही हुआ कि वहां का मंत्रिमण्डल करेगा। मैं नहीं चाहता कि आयोग को यहां प्रविष्ट किया जाये। राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि मंत्रिमण्डल से परामर्श और विचार-विमर्श करके इन बातों के सम्बन्ध में व्यवस्था करे। अगर यह बात आयोग के ऊपर छोड़ी जाती हैं, तो साफ है कि काम में बहुत विलम्ब होगा। फिर आपने यह भी तय नहीं किया है कि आयोग की रचना कैसे होगी और उसके सदस्य कौन होंगे; विधान-मण्डल के प्रतिनिधि उसमें होंगे या नहीं या केवल स्वायत्तशासी जिलों से ही चुने हुए सदस्य उसमें लिये जायेंगे। मैदानी इलाके, जो किसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल दिखा दिये गये हैं, वह प्रतिनिधान पाने से सदा अपवर्जित ही रहेंगे। जब तक यह स्पष्ट नहीं कह दिया जाता कि विधान-मण्डल के सदस्यों को भी उसमें प्रतिनिधि रूप में रखा जायेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि यह पैरा 14 काफी नहीं होगा, आपको यह घोषित कर देना चाहिये कि आयोग का गठन कैसे किया जायेगा। जब तक इस सम्बन्ध में समुचित रूप से निर्णय नहीं कर लिया जाता है, यह त्रुटि बनी ही रहेगी। इसलिये मैं यह कहता हूं कि इस परन्तुक को हटा दिया जाये, सुतरां मैं यह प्रस्ताव रखता हूं:

"कि संशोधन-सूची (द्वितीय खण्ड) के संशोधन नं. 3487 के सम्बन्ध में पैरा 1 के उप-पैरा (3) का परन्तुक हटा दिया जाये।"

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** इस सम्बन्ध में मेरे तीन और संशोधन हैं। मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या संशोधन नं. 188, 190 और 191 को भी अभी पेश कर दूं?

***अध्यक्ष:** आप उन्हें पेश कर सकते हैं। संशोधन नं. 101 और 102 का तो वही आशय है, जो श्री चालिहा के संशोधन का है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं संशोधन नं. 103 को पेश करता हूं मेरा प्रस्ताव यह है:

"कि पैरा 1 के अन्त में यह अंश जोड़ दिया जाये—

"इस खण्ड के अधीन राज्यपाल अपने कृत्यों का निष्पादन राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में करेगा।' "

या विकल्पश: यह

"इस खण्ड के अधीन राज्यपाल अपने कृत्यों का निष्पादन स्वविवेक से करेगा।"

मेरे दूसरे संशोधन भी हैं, जिन्हें मैं अभी पेश करना चाहता हूं। प्रस्ताव यह है।

"कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) में 'राज्यपाल' शब्द के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द रखा जाये।"

दूसरा संशोधन में यह प्रस्तावित करता हूं:

"कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) के दोनों परन्तुक हटा दिये जायें।"

***अध्यक्ष:** आपका यह संशोधन तो उसी आशय का है, जो श्री चालिहा के संशोधन का है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** उस सूरत में आप इसे प्रस्तावित न मानिये। अगर सभा इन संशोधनों को स्वीकार कर लेती है, तो इसका असर यह होगा कि आसाम के आदिमजातीय क्षेत्रों का प्रशासन केन्द्राधीन हो जायेगा। मैं बड़ी गम्भीरता के साथ ही यह सुझाव रख रहा हूं कि देशहित के लिये यह आवश्यक है कि ये सारे क्षेत्र केन्द्राधीन कर दिये जायें। इस छठी अनुसूची के बारे में मैंने 49 संशोधन भेजे हैं। और इसी तरह पांचवीं अनुसूची के सम्बन्ध में भी 49 संशोधन मैंने रखे थे। इन संशोधनों को, जो मैंने यहां पेश नहीं किया, उसका कारण यह नहीं है कि इनके लिये मैं विशेष चिन्तित नहीं हूं।

वस्तुत: इनकी चिन्ता मुझे बहुत है, पर चूंकि सभा ने यहां यह इच्छा व्यक्त की थी कि दशहरा की छुट्टी शुरू होने से पहले इन सब पर यहां विचार समाप्त हो जाना चाहिये, इसलिये मैंने इन्हें पेश नहीं किया। पर अगर सचिन्त होने का प्रमाण आप इसी बात को मानते हैं कि संशोधन को लोग उपस्थित ही करें, तो मैं अपने सभी 49 संशोधनों को पेश करने के लिये तैयार हूं।

मैं इसके विरुद्ध हूं, श्रीमान, कि कबायली इलाकों को प्रान्तीय शासकों के हाथ में दे दिया जाये। विरुद्ध मैं इसलिये हूं कि आसाम प्रान्त की सीमा पांच या छह विदेशों की सीमा से मिली हुई है। मेरा मतलब है चीन, तिब्बत, बरमा और पाकिस्तान से। आसाम प्रान्त में तरह तरह के संघर्ष चल रहे हैं। अहोम, आसामी, बंगाली, मुसलमान और मंगोलों के बीच परस्पर संघर्ष वहां चल रहे हैं। इस संघर्ष ने कितना उग्र रूप धारण कर लिया है, इसका पता सदस्यों को नहीं है। यही कारण है, जो वह यह नहीं समझ रहे हैं कि आसाम सरकार के सामने कितनी गहन स्थिति आ पड़ी है। पूर्वी बंगाल से एक बड़े पैमाने पर लोग वहां जबरदस्ती पहुंच रहे हैं। आसाम सरकार उनके प्रवेश को रोकने में असमर्थ हो रही है। आसाम सरकार ने, हम जानते हैं, केन्द्र से इसके लिये अनुरोध भी किया है कि बाहर से आने वालों को रोकने में वह उसकी सहायता करे। पर, जैसे भी हो, केन्द्र ने इस सम्बन्ध में उसको सुविधा और सहायता नहीं दी, जिसका फल यह हो रहा है कि न केवल पूर्वी बंगाल से, बल्कि अन्य सीमावर्ती देशों से भी, जिनका मैंने जिक्र किया है, अवांछनीय लोग, पांचवें दस्ते के लोग वहां बड़ी तादाद में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। आज आसाम में, श्रीमान, बंगालियों और आसामियों का झगड़ा, हिन्दू और मुसलमान का झगड़ा, कबायलियों और गैर कबायलियों का झगड़ा बहुत जोरों पर चल रहा है और वहां की सरकार के लिये यह झगड़ा एक बड़ी समस्या हो गया है। प्रान्तीय बजट की 72 प्रतिशत रकम तो सरकारी नौकरों का वेतन चुकाने में ही खत्म हो जाती है।

इसलिए, श्रीमान्, ठीक यही है, कुशल मूलक यही है, नीति के नाते वांछनीय यही है, सामरिक दृष्टि से भारत सरकार के लिये हितकर यही है और राजनैतिक दृष्टि से भी वांछनीय यही है कि इस वृहत क्षेत्र का प्रशासन प्रान्तीय शासन के

हाथ में न दिया जाये और खास करके उस प्रान्त के प्रदेश का, जहां राजनैतिक स्थैर्य का सर्वथा अभाव है। प्रान्तीय स्वायत्त शासन से अधिक प्रिय है मुझे अपना देश। मैं जानता हूं कि आसाम की समस्यायें इतनी जटिल, इतनी गहन हैं कि प्रान्तीय शासन उनका समाधान नहीं कर सकता है। उसके पास इसके लिये पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं हैं। इसलिए इन समस्याओं को छोड़िये, विशेषज्ञों के हाथ में, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, शिक्षकों, इंजिनियरों, डॉक्टरों, समाजशास्त्री वेत्ताओं, दार्शनिकों तथा मनोविज्ञान वेत्ताओं के हाथ में। राजनीतिज्ञों को तो इस समस्या में दखल न देने दीजिये।

***अध्यक्षः** मिस्टर चालिहा, तो मैं मान लूं कि आपका संशोधन पेश हो चुका है?

***श्री कुलधर चालिहाः** हां, श्रीमान्।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि इस पैरा पर अब और कोई संशोधन रह गया है। डॉ. अम्बेडकर, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** इन संशोधनों पर बोलते हुए सिर्फ दो बातें ऐसी कही गई हैं, जिनका जवाब जरूरी है। पहली बात कही है श्री चालिहा ने। मैं यह जरूर कहूंगा कि श्री चालिहा के इस संशोधन रखने पर मुझे आश्चर्य हुआ है, क्योंकि पांचवीं अनुसूची की तरह यह छठी अनुसूची भी मसौदा-समिति ने तैयार की है, आसाम के मुख्य मंत्री और श्री निकल्स राय से परामर्श करके आपसी रजामन्दी से। परामर्श के लिये जो बैठक हुई थी, उस में श्री चालिहा भी उपस्थित थे और मसौदा समिति द्वारा संशोधित इस नई अनुसूची को आपने भी उस समय स्वीकार किया था। अस्तु, जो सन्देह उनके दिमाग में हो रहा है, उसे दूर करने के लिये मुझे ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। उनके मन में सन्देह इस बात को लेकर है कि आखिर आयोग का गठन किस प्रकार किया जायेगा और कौन लोग उसके सदस्य होंगे। मेरा ख्याल है कि श्री चालिहा अगर छठी अनुसूची को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, तो उन्हें इस बात का पता चल जायेगा कि आयोग को नियुक्त करने में राज्यपाल स्वविवेक से काम नहीं कर सकेगा। इस सम्बन्ध में स्वविवेक का अधिकार राज्यपाल को दिया ही नहीं गया है। ऐसी हालत में यह स्वतः स्पष्ट है कि आयोग की रचना करने में, इसे परिभाषित करने में कि आयोग को किन-किन बातों के आधार पर विचार करना है, राज्यपाल को स्थानीय मंत्रियों से पथप्रदर्शन मिलेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि जो आशंकायें उन्होंने व्यक्त की हैं, उनकी कोई भी गुंजाइश है।

अब मैं माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन को लेता हूं। जहां तक कि मेरा सम्बन्ध है, मैं यह महसूस करता हूं कि यह एक ऐसा संशोधन है, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने गम्भीर तर्क उपस्थित किये हैं। आपका कहना यह है कि आसाम का समूचे कबायली इलाकों को प्रान्तीय शासन के हाथ से निकाल कर केन्द्र के शासनाधीन रख देना चाहिये। जो संशोधन उन्होंने रखा है, उसका यही असर होगा। इसके सिवाय उसका आखिर और मतलब ही क्या हो सकता है? वह चाहते यह हैं कि इस समस्त क्षेत्र को केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बना दिया जाये। पर वह दो बातें भूल जाते हैं, जिनमें पहली बात यह है। हमने यह जरूर किया है कि इस प्रदेश में रहने वाले कबायलियों के सन्तोष के लिये स्वायत्तशासी जिलों के निर्माण की व्यवस्था कर दी है, ताकि प्रथम दस साल तक तो उन्हें अपने प्रदेश के शासन

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

के बारे में उनको स्वतंत्रता प्राप्त रहे, पर हमने यह उपबंध कहीं नहीं किया है कि ये स्वायत्तशासी जिले आसाम प्रान्त का अंग ही न रह जायेंगे। इसलिए यह तो बहुत ही मुश्किल है कि प्रान्त का कुछ हिस्सा तो राज्यपाल के प्रशासन में रखा जाये और कुछ हिस्से को केन्द्र प्रशासनाधीन रख दिया जाये।

दूसरी बात जो माननीय मित्र भूल रहे हैं, वह यह है। आप इस तथ्य को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। कि मसौदा-समिति ने स्वायत्तशासी जिलों के निर्माण की व्यवस्था करने में इस बात को भी ध्यान में रखा है कि स्वायत्तशासी जिलों की सीमाओं पर कतिपय ऐसे इलाके हैं, जो 'सीमावर्ती क्षेत्र' के नाम से ज्ञात हैं। इस अनुसूची में यह भी उपबन्ध रखा गया है कि जहां तक आसाम के इन सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रशासन का सम्बंध है, राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन उसका प्रशासन चलायेगा। इसलिए, स्थिति की दृष्टि से इन सीमावर्ती क्षेत्रों का जो भी महत्व हो, केन्द्र को यह अधिकार प्राप्त रहेगा कि वह उन उपद्रवकारी तत्वों के अस्तित्व को ही वहां न रहने दे, जिनका माननीय मित्र ने यहां हवाला दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सभी संशोधन अनावश्यक हैं और इनकी यहां कोई जरूरत नहीं है।

***श्री कुलधर चालिहा:** संशोधन नं. 139 को आप स्वीकार कर रहे हैं, क्या?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इस समय बिना उसे देखे और विचारे मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। इस समय तो मैं केवल आपके तथा श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधनों की बात कह रहा था। मेरी समझ से यह अनावश्यक हैं।

***अध्यक्ष:** संशोधन नं. 139 तो अभी पेश ही नहीं हुआ है। वह पैरा 14 के बारे में है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** उस पर तो विचार उस समय किया जायेगा, जब हम पैरा 14 पर पहुंचेंगे।

***श्री कुलधर चालिहा:** पर वस्तुत: उसका सम्बन्ध इस पैरा से भी है।

***अध्यक्ष:** पैरा 14 को हम अभी नहीं ले सकते हैं। अब मैं संशोधनों पर मत लेता हूं। पहले लिया जाता है, संशोधन नं. 98, जो डॉ. अम्बेडकर का है। प्रश्न यह है:

"कि पैरा 1 के उप-पैरा (1) में 'tribal areas' शब्दों के पूर्व 'subject to the provisions of this paragraph' शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब लेता हूं, संशोधन नं. 99 को। प्रश्न यह है:

"कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) के स्थान पर यह उप-पैरा रखा जाये–

'(3) The Governor may, by public notification—

(a) include any area in Part I of the said Table,

(b) create a new autonomous district,

(c) increase the area of nay autonomous district,

(d) diminish the area of any autonomous district,

(e) unite two or more autonomous districts or parts thereof so as to form one autonomous district,

(f) define the boundaries of any autonomous district.

Provided that no order shall be made by the Governor under clauses (b), (c), (d) and (e) of this sub-paragraph except after consideration of the report of a Commission appointed under sub-paragraph (1) of paragraph 14 of this Schedule.' "

[(3) राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा–

(क) उक्त सारिणी के भाग में किसी क्षेत्र को डाल सकेगा;

(ख) नया स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा;

(ग) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा;

(घ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा;

(ङ) दो या अधिक स्वायत्तशासी जिलों या उनके भागों को मिलाकर एक स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा; तथा

(च) किसी स्वायत्तशासी जिले की सीमायें परिभाषित कर सकेगा।

परन्तु राज्यपाल इस उपकंडिका के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन कोई आदेश इस अनुसूची की कंडिका 14 की उपकंडिका (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही निकाल सकेगा।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** मेरा ख्याल है कि इसके पास हो जाने पर अब अन्य संशोधनों का, जो परन्तुक को हटाने के बारे में हैं, सवाल ही नहीं उठता है। अब रह जाता है सिर्फ एक संशोधन, जो श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का है। अब मैं इस पर सभा का मत लेता हूं। प्रश्न यह है:–

"कि पैरा 1 के अन्त में यह रखा जाये—

"कि राज्यपाल इस पैरा के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में करेगा।' "

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने दो और संशोधन रखे हैं।

***अध्यक्ष:** अब लिया जाता है संशोधन नं. 188। प्रश्न यह है:

"कि पैरा 1 के उप-पैरा (2) में 'राज्यपाल' शब्द के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब लिया जाता है संशोधन नं. 190। प्रश्न यह है:—

"कि पैरा 1 के उप-पैरा (3) में 'राज्यपाल' शब्द के स्थान पर 'राष्ट्रपति' शब्द रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब डॉ. अम्बेडकर द्वारा यथा संशोधित पैरा 1 पर मत लिया जाता है। प्रस्ताव यह है:-

"कि पैरा 1 यथा संशोधित रूप में, अनुसूची का अंग माना जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पैरा 1 यथा संशोधित रूप में षष्ठ अनुसूची में शामिल किया गया।

इसके पश्चात् सभा मंगलवार, तारीख 6 सितम्बर सन् 1949 के प्रातः 9 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।